राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ३२वां दिवस [संख्या २३

गुरुवार, दिनांक १९ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३१ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सहकारिता, उद्योग, राजस्व, सामान्य प्रशासन, विकास, पंचायत, नियुक्ति, योजना, मंत्री-परिषद, खनिज, एवं वित्त-विभाग]

परीक्षा में बैठने की अनुमति

८२०. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बी. ए. की पुराने कोर्स की परीक्षायें राजस्थान विश्व विद्यालय में १९६४ में आखरी बार हो रही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, प्राइमरी एवं सेकन्डरी शिक्षा, राजस्थान ने अपने परिपत्र संख्या ई० डी० बी० एस्टे० सी। ६३१७ से.। ६२। दिनांक १२-६-६२ द्वारा यह आदेश जारी किया था कि जो अध्यापक बी० ए० की परीक्षा में फेल हुए हैं उन्हें उदारतापूर्वक फिर बी० ए० की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे और इस कार्य हेतु ५ प्रतिशत का स्पेशल कोटा भी अतिरिक्त दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष जो अध्यापक १९६३ में बी. ए. की परीक्षा में फेल हुए हैं उन्हें सन् १९६४ की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है जब कि इस परीक्षा में बैठने का ऐसे अध्यापकों का आखरी अवसर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार ऐसे अध्यापकों को इस अन्तिम अवसर का लाभ उठाने की अनुमति देने पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। बी० ए० पुराने कोर्स की परीक्षायें राजस्थान विश्व विद्यालय में १९६४ में आखिरी बार हो रही हैं, किन्तु अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के हेतु ये परीक्षायें १९६५ में भी होंगी।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) जी हां ।

(३) यह सत्य नहीं है कि इस वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

(४) विभाग ने पहले ही इस मामले में आदेश कर दिये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार का आदेश कौन सी तारीख को जारी किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदेश तारीख २२-८-६३ का है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

सहकारी समिति में गबन

८२१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केकड़ी के भूतपूर्व सरपंच श्री सुगनसिंह ने 'दी विजय वृहत ऋणदात्री सहकारी समिति लि०, केकडी' में गबन, समिति के धन के दुरुपयोग, फर्जी हिसाब बनाने आदि की शिकायत रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार को सन् ६१ व ६२ में कई बार पेश की ? यदि हां, तो विभाग के पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं ?

(२) क्या श्री सुगनसिंह की एक ही शिकायत की दरख्वास्त आई० जी० पी० एन्टीकरप्शन ने रजिस्ट्रार के पास भेजी थी ?

(४) इन सब शिकायतों पर अब तक किस किस के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां, श्री सुगनसिंह भूतपूर्व सरपंच विजय वृहत ऋणदात्री सहकारी समिति लि० केकडी ने समिति में गबन व दुरुपयोग आदि के संबन्ध में अपने निजी हस्ताक्षरों से तो केवल एक शिकायती दरख्वास्त सन् ६१ व ६२ में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय में पेश की इसके अतिरिक्त अन्य समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ एक उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अजमेर खंड व ४ रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को दीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन शिकायतों की जांच करने के लिये श्री सुगनसिंह को सहायक रजिस्ट्रार अजमेर ने दिनांक ३-८-६२ को बुलाया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए । श्री सुगनसिंह भूतपूर्व सरपंच ने मैनेजर एवं पंचों के विरुद्ध ११०८०) रुपये का गबन की शिकायत की । परन्तु निरीक्षक द्वारा जांच कराने पर यह रकम ३,६१९) रु० ४२ न० पै० श्री सुगनचन्द मैनेजर द्वारा गबन करनी पाई गई, इस जांच के बाद श्री सुगनचन्द ने २,४६८ रु० ८६ न० पै० जमा करा दिये और शेष रकम १,४४७) रु० ५६ न० पै० का जिम्मेदार श्री सुगनचन्द मैनेजर को उप-रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अजमेर ने दिनांक २१-१०-६१ को ठहराया । जिसके विरुद्ध श्री सुगनचन्द ने राजस्थान राजस्व मंडल में अपील कर दी । इस अपील पर निम्न प्रकार फैसला हुआ:—

Page No.3

(श्री भीमसिंह)

१. ५०) श्री लालू मोहम्मद का गबन।

२. ६५) रू० ७५ न० पै० का गबन।

३. ३६०) रू० का गबन साबित नहीं हुआ।

४. ६५६) रु. ४१ न०पै० गुड़ की कीमत की जांच फिर से करने का हुक्म हुआ।

५. १३४)रु. १२ न०पै० रसीदात न होने से रकम छोड़ी गई।

६. १८१)रु. २८ न० पै० का फैसले में कोई जिक्र नहीं है।

कुल योग–१,४४७)रु. ५६ न.पै.

समिति द्वारा अनियमितता बरतने के कारण उसकी कार्यकारिणी को भंग किया जाकर प्रशासक नियुक्त किया गया और अब पुन: दूसरा संचालक मंडल बन चुका है जो कि कार्य कर रहा है। यद्यपि श्री सुगनचन्द, मैनेजर को विभाग ने इस पद से हटा दिया था परन्तु समिति ने अब पुन: उनको उसी मैनेजर के पद पर रख लिया है। इसको पुन: हटाने के लिये विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : इस गबन की कार्यवाही के सिलसिले में कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री भीमसिंह : क्योंकि केस रेवेन्यू बोर्ड से फैसला हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : १,४३७)रु. के मामले आये और ५ हजार रुपये जमा करा दिये गये; यह एक प्रकार से गबन ही था; इस संबन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री भीमसिंह : इसी कारण इसको हटाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जब कि कोग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है तो मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया?

श्री भीमसिंह : दुबारा जांच करा लूंगा।

श्र ... क्ष महोदय, गबन के मामले में इस प्रकार का रवैया चला आ रहा है कि मामला डिटेक्ट हो जाता है लेकिन मुल्जिम रुपया जमा करा देता है, गवर्नमेंट की साज-बाज से जमा होता है, इसमें कोग्नीजेबल ऑफेन्स से बचाने की कोशिश करते हैं; इसी प्रकार के उत्तर राज्य सरकार द्वारा मिलते हैं। जब कहीं गबन हो जाय और वह डिटेक्ट हो जाय तो उस हालत में कोग्नीजेबल केस रजिस्टर होना चाहिये। केवल रुपया जमा कर देना इसकी रेमेडी नहीं है एम्बेज़लमेंट के केसेज़ में।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

कागज उद्योग

८२२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि कागज बनाने के उद्योग की ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है?

२. क्या सरकार के ध्यान में है कि भीम तहसील में एक किस्म की घास पैदा होती है जो कागज बनाने के कार्य में आ सकती है?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

३. यदि हां, तो क्या इस घास की लेबोरेटरी में जांच कराई गई

४. यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इसकी रसायनिक जांच का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : १. जी हां।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

चरागाह के लिये भूमि

८२३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे :–

१. क्या ग्राम चकवाड़ा, तहसील फागी में मवेशी गणना के अनुसार तीन हजार मवेशी हैं ? और जिनके लिये केवल २६० बीघा भूमि चरागाह छोड़ी गई है ?

२. क्या उक्त छोड़ी गई चरागाह की भूमि पर भी तहसीलदार ने लोगों की काश्त करादी हैं और रास्ते ग्राम तक रोक लिये गए हैं ?

३. क्या वर्तमान में उक्त गांव के मवेशी चराई भूमि के बिना परेशान हैं और मजबूरन मवेशी मालिक गांव छोड़कर जाने पर आमदा हो रहे हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): ग्राम चकवाड़ा, तहसील फागी में पशु गणना २,०१९ में २,६६६ मवेशियां हैं; चरागाह २५५ बीघा ४ बिस्वा छोड़ा हुआ है।

२. जी नहीं।

३. परेशान होना सम्भव है परन्तु गांव में इसके अतिरिक्त सिवाय चक भूमि नहीं है जिसे चराई के लिये छोड़ा जा सके।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह चरागाह की भूमि किस हिसाब से छोड़ी जाती है फागी तहसील में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधा बीघा प्रति पशु।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक मवेशी के लिये कितनी चरागाह की भूमि होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आधा बीघा।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

राष्ट्रीयकृत पुस्तकें

८२४. **श्री जोधसिंह चौहन (गिरवा):** क्या शिक्षा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के जाली संस्करण का विक्रय हुआ है ? यदि हां, तो कहां कहां और किस किस पुस्तक के जाली संस्करणों का विक्रय हुआ ?

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) इस वर्ष राष्ट्रीयकृत पाठ्य

Page No.5

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पुस्तकों के जाली संस्करण का विक्रय होने की कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

मंत्रियों के बंगलों में फर्नीचर की सीमा–राशि

८२५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान के मंत्रियों के बंगलों में फर्नीचर की क्या कोई सीमा राशि निश्चित है ? यदि हां, तो मंत्रियों के लिये कितनी व उप-मंत्रियों के लिये कितनी ?

(२) राजस्थान के मंत्रियों के व उप-मंत्रियों के बंगलों में कितने कितने रुपयों का फर्नीचर विद्यमान है ? मंत्रीवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) सन् १९६२-६३ में किन किन मंत्रियों के लिये कितने कितने रुपयों का नया फर्नीचर बनवाया गया ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(४) क्या उक्त फर्नीचर का मंत्रीगणों से कोई किराया लिया जाता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, मुख्य मंत्री के लिये ७,५००) रुपये तथा मंत्रियों व उप-मंत्रियों के लिये, ५,०००) रुपये ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी नहीं, किन्तु सीमा राशि के ऊपर फर्नीचर सप्लाई होने पर फर्नीचर की लागत का १२ प्रतिशत वार्षिक मंत्रियों से वसूल किया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मानिकचन्द सुराणा : सन् ६२-६३ में इकोनोमिक ड्राइव लागू होने के बाद क्या कोई नया फर्नीचर मंत्रियों के बंगलों के लिये नहीं बनाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सन् ६२–६३ के किस महिने में कितना फर्नीचर बना नहीं बता सकते, उस ईयर में जितना बना है उसकी सूची रख दी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सन् ६२-६३ में वित्त मंत्री कौल के लिये ६,२५६) रुपये का फर्नीचर बनना लिस्ट में बताया गया है । १२-६-६३ तक ७,२६७) रु० तक का बताया गया, इसमें फर्क का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका कारण यह है कि उन्होंने इतना फर्नीचर बनवाया लेकिन उनके यहां पर जो फर्नीचर पहले से था उसमें से और जो नया बना कुछ उसमें से जो ठीक लगा वह रख लिया, बाकी लौटा दिया । इसलिये ७,२६७) रु० का जो फर्नीचर उनके पजेशन में है उसे सूची 'ए' में बताया है । सूची 'बी' वाली रकम वह है जो ६२–६३ में बनाया गया, हर एक्युम्रली उनके अधिकार में कितना रहा यह सूची 'ए' में बताया गया है ।

Page No.6

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितना एमर्जेन्सी डिक्लेग्रर होने के बाद और एमर्जेन्सी कट के ड्राइव के शुरू होने के बाद फर्नीचर वित्त मन्त्री, श्री कौल के बंगले में नया बना है उतना किसी और के बंगले में नहीं बना; क्या यह सही नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ६,०००) हजार का सारा का। सारा फर्नीचर वहां रह गया हो यह तो निश्चित नहीं है, जब कि उनके बंगले में ही सात हजार का फर्नीचर है। इसलिये कुछ नये में से लिया और कुछ पुराने में से रखा। दोनों मिलाकर सात हजार का हुआ है। अब इसमें कौनसी दिक्कत की बात हो गई ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो कुल नया है सारा। जब देश में एमर्जेन्सी लागू हो गई थी और आप इकोनोमी कट की बात कर रहे थे तो फिर मंत्रियों को बंगले के लिये नया फर्नीचर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये ६२-६३ से पहले ही आॅर्डर जा चुके थे। ६२-६३ तो वह साल है जब फर्नीचर कम्पलीट हो गया था।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसका इन्डेन्ट पी. डब्ल्यू. डी. भेजती है, या मन्त्री की तरफ से जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पी. डब्ल्यू. डी. भी असेस कर लेती हैं, और मन्त्री, उप-मन्त्री को जरूरत हो तो वे भी कह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके रूल्स के अनुसार इन्डेन्ट कौन भेजता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्डेन्ट तो पी. डब्ल्यू. डी. भेजती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आवश्यकता वित्त मन्त्री को इतनी क्या पड़ी नये फर्नीचर की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल सात हजार का फर्नीचर है। अब अगर उससे ऊपर है लिमिट से तो १२॥ परसेन्ट चार्ज होता है; तो ऐसी सूरत में आपत्ति क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : तीन तीन तो उनको कूलर्स चाहिये बंगले में और साढ़े सात हजार का नया फर्नीचर चाहिये। यह ऐतराज है हमको, यह आपत्ति है, आपकी समझ में अगर यह ऐतराज नहीं आता है तो सारी जनता राजस्थान की है उसे आप पूछ लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: रेफ्रीजेरटर्स तीन नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने रेफ्रीजेरटर्स के लिये नहीं कहा, रूम कूलर्स के लिये कहा है मैंने तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर. पी. डब्ल्यू. डी में हैं और रखे हुए हैं तो उनके यहां तीन हैं तो क्या हुआ, वे उसका किराया देंगे। अगर निश्चित सीमा से ऊपर किसी के पास फर्नीचर है तो १२॥ प्रतिशत लेने का नियम है। जिसके पास सीमा से अधिक फर्नीचर होता उसे १२॥ प्रतिशत अधिक पर किराये के रूप में देना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर क्या नया फर्नीचर बनाने में सरकार को नया इनवेस्टमेंट नहीं करना पड़ा है, जब कि दूसरी

Page No.7

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरफ एमर्जेन्सी कट का आपका ड्राइव चल रहा है ? तो क्या यह आपकी एमर्जेन्सी कट की पॉलिसी के विपरीत नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो इससे पहले इन्वेस्ट हो गया था।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आपने बताया है कि ऐतराज क्या है, तो ऐतराज तो यह है कि गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई में से टैक्स वसूल करके आप रुपया इकट्ठा करते हैं और उसमें से इस तरह से बरबाद करते हैं, तो यह सब से बड़ा ऐतराज है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया न कि सात हजार से अधिक नहीं है उनके पास।

श्री रामकिशन (वैर): बूढ़े मन्त्री के लिये नया फर्नीचर होता है तो यह नाराजगी है, अगर कोई नया मन्त्री लेता तो नाराजगी नहीं होती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मुझे पूछा जावे तो मैं बताऊं कि ये बड़े शौकीन तबियत के मन्त्री हैं। मुझे भी देख कर सरूर आ रहा था।

भरतपुर में फैब्रिकेटर

८२६. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या भरतपुर में पिगमेन्ट्स मिल के नाम पर कोई फैब्रिकेटर है ? यदि हां, तो इसे कब से और कब तक किस चीज का कितना कोटा दिया गया है ?

(२) क्या इस मिल ने अपना कोई उत्पादन कार्य दिखाया है ? यदि हां, क्या माल तैयार हुआ है और उसकी खपत का क्या रेकॉर्ड है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) भरतपुर में पिगमेन्ट्स मिल के नाम की निम्न दो फैक्टरियां हैं :

१. राजस्थान पिगमेन्ट्स एण्ड कैमिकल्स, भरतपुर।

२. इण्डो पिगमेन्ट एण्ड कैमिकल्स, भरतपुर।

राजस्थान पिगमेन्ट्स एण्ड कैमिकल्स को जिंक का कोटा निम्नलिखित दिया गया —

६० टन जिंक (अप्रेल-सितम्बर, ६१)
६० टन जिंक (अक्टूबर ६१, मार्च, ६२)

४० टन जिंक (अप्रेल ६२, सितम्बर ६२) तथा इण्डो पिगमेन्ट एण्ड कैमिकल्स, भरतपुर को निम्नलिखित मूल्य के सेलिनियम पाउडर के इम्पोर्ट लाइसेन्स दिये गये :

अप्रेल-सितम्बर, ६१ में ५,०००) रु०
अक्टूबर ६१, मार्च ६२ में ५,०००) रु०
अप्रेल ६२, मार्च ६३, में ५,०००) रु०
तथा १० टन जिंक।

(२) उपरोक्त दोनों मिलों ने उत्पादन कार्य दिखाया है। नम्बर १ ने जिंक ऑक्साइड और नम्बर दो ने सेलेनियम क्लोराइड मोनो तैयार किया है। जो माल तैयार हुआ है वह फिरोजाबाद के कांच के कारखानों को बेचा गया है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

जागीरदारों को मुआवजे व रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के अलावा रुपया

८२७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि निम्न चार जागीरदारों को राज्य सरकार ने इनकी जागीरों के लेजिटिमेट मुआवजे व रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के अलावा रुपया दिया ? यदि हां, तो कितना कितना व किन कारणों से :—

(क) रावल श्री अमरसिंह, जासोल,

(ख) राणा श्री प्रतापसिंह गुढ़ा,

(ग) श्री माधोसिंह,

(घ) श्री गुलाबसिंह मिणधरी ।

(२) उपरोक्त चारों जागीरदारों की रेन्टल आय जो मुआवजे हेतु मानी गई व दूसरी आमदनी कितनी मानी गई जिन दोनों के आधार पर मुआवजा व रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट दी गई ?

(३) उपरोक्त चारों जागीरों के लिये दूसरी आमदनी रेन्टल आमदनी का कितना प्रतिशत जायज़ मानकर जागीर की टोटल नेट इन्कम मानी गई ? हर जागीरवार बतावें ?

(४) सरकार ने इन जागीरदारों के मुआवजे के निर्णय के विरुद्ध अपील की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या मालानी के दूसरे जागीरदारों की रेन्टल इन्कम के प्रतिशत से भी कम अन्य आय पर भी सरकार ने अपील की हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची दें ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां । निम्नलिखित चार जागीरदारों में से प्रत्येक को २,२५०००) रुपया एक्सग्रेशिया कम्पन्सेशन दिलाया गया है :—

(क) श्री रावल अमरसिंह जासोल,

(ख) राणा श्री प्रतापसिंह गूढ़ा,

(ग) श्री माधोसिंह जासोल,

(घ) श्री गुलाबसिंह मिणधरी,

जिस कारण रुपया दिलाया गया, उसका नोट सदन की मेज पर रख दिया है ।

(२) उक्त चारों जागीरदारों को मुआवजा एवं पुनर्स्थापन अनुदान निम्नलिखित माली आय पर दिया गया है :—

क्रमांक	नाम जागीरदार मय जागीर	माली आय	अन्य आय
१	रावल श्री अमरसिंह जासोल	९,४४९)८२	३१७७१)५०
२	राणाश्रीप्रतापसिंह डि० गुढ़ा	२६०,५४)१६	५३,३९८)३२
३	श्री माधोसिंह जागीर जासोल	१६,५७४)४९	४५,३२१)५०
४	श्री गुलाबसिंह जागीर मिणधरी	१९,४१५)	३१,४३०)

(३) अन्य आय माली आय के प्रतिशत के हिसाब से नहीं मानी गई थी बल्कि जागीरदार द्वारा प्रस्तुत सबूतों एवं दस्तावेजात के आधार पर मानी गई थी । जैसा कि साधारणतया जागीर के दावों में किया जाता है ।

Page No.9

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(४) जी नहीं। क्योंकि दावे में शुमार की गई इन जागीरदारों की ग्राय जांच द्वारा नियमानुसार साबित हुई थी।

जी हां, ऐसे ३ जागीरों के दावों के खिलाफ ग्रपील की गई।

(क) श्री केशरसिंह जागीरदार, जासोल,

(ख) श्री गरणपतसिंह जागीरदार, जासोल,

(ग) श्री जसवन्तसिंह जागीरदार, गुढ़ा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि जागीर रिजम्पशन एक्ट के ग्रन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत एक्स ग्रेशिया कम्पेन्सेशन दिया जा सकता हो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो सबको विदित है कि भूस्वामियों ने ग्रपनी ग्रीवान्सेज के बारे में सरकार को रिप्रेजेन्टेशन किया था ग्रौर बाद में जाकर इसमें भारत के प्रधानमन्त्री नेहरूजी को ग्रर्बिट्रेटर बनाया गया था ग्रौर उन्होंने प्लानिंग कमीशन के मेम्बरों को जांच के लिये कायम करके उनके कहने पर ग्रवार्ड दिया था ग्रौर उसके ग्रन्दर कुछ रकम फिक्स की थी। १५ को एक्स ग्रेशिया कम्पेन्सेशन ग्रान्ट किया था ग्रगर उसी तरह के केसेज में एक्स ग्रेशिया कम्पेन्सेशन ग्रान्ट हुई थी उसी की तहत जब उन्होंने हाई कोर्ट में रिट् दाखिल की थी तो उन्हीं ग्राधारों पर यह मीडियेशन से कम्प्रोमाइज होकर एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट उनको दी गई जो नेहरू ग्रवार्ड के तहत प्रोवाइड की गई थी।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : इसका लीगल ग्राधार क्या है? कोई देना ग्राप कानून बनाकर देते हैं। ग्रापने ग्रार्बिट्रेशन के इस फैसले को कौनसी कानूनी शक्ल दी, यह बताएं जरा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में बाद में ग्रमेन्डमेन्ट हो गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इन चार जागीरदारों को ही यह मिला, या इस किस्म के जो जागीरदार थे उन सभी को मिला है यह?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रमाउन्ट फिक्स किया है ग्रौर जो भी कवर हो सकता है इसमें, उनको दिया जा सकता है ग्रौर दूसरों को भी दी गई या नहीं, क्योंकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये ग्रभी इसकी जानकारी नहीं दे सकता।

श्री तेजाराम गहलोत : इस १५ लाख को किस तरह से डिस्ट्रिब्यूट किया जाय, क्या इसके भी ग्रापने कोई नियम बनाये हैं या ग्रापने स्वयं ने ग्रार्बिट्रेरी तरीके से दे दिया; किसी को चार लाख दे दिये, किसी को कुछ नहीं दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये एक कमेटी भी बनाई गई थी ग्रौर उस कमेटी के पास प्रार्थना-पत्र भी हैं लेकिन इस समय मैं इस बारे की जानकारी नहीं दे सकता कि कौन से कौनसे प्रार्थना-पत्र स्वीकार हो गये हैं ग्रौर किन किन को दे दी गई है? ग्रौर कौन कौन बाकी रह गये हैं।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : यह कौनसे कानून में ग्रमेन्डमेन्ट की बात बताई है ग्रापने?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट है, एक्स ग्रेशिया रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): अपील जो की उसका क्या रिज़ल्ट रहा, जागीर कमिश्नर को जो हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो हाई कोर्ट में रिट् के लिये कहा था। हाई कोर्ट में रिटें की थीं और उनके अन्दर आपस में सैटल-मेन्ट होकर रिटों को विद्ड्रा करने की स्थिति में यह देना तै पाया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह अमेन्ड-मेन्ट आपने कौनसे कानून में किया। जनरल वेग् तरीके से आपने कह दिया। डेफीनिट बतावें कि कौनसा आपने अमेन्डमेन्ट किया है और कौनसी तारीख को किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख वगैरह तो मेरे पास इस समय नहीं है, आप चाहेंगे तो बाद में बताई जा सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो कम्पेन्सेशन तै किया गया, क्या वे उनके चोपड़ों के बेसिस पर किया गया और दिया गया या यों ही दे दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह डिटेल की बात है। जिस तरह से जैसे सैटिस्फाई हुए उसके आधार पर दिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही नहीं है कि जागीर कमिश्नर जब रिटायर हुए तो उसी रोज ये फैसले हुए थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख की मुझे इस समय मालूम नहीं। स्पेसिफिक कोई केस आप पोइन्ट आउट करना चाहें तो मैं जानकारी करके उत्तर दे सकता हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या कुछ राशि अभी तक बाकी पड़ी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, यह तो मैंने कहा है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जिन चार जागीरों का मंत्री महोदय ने बताया उसमें से जिस जागीर की आय ९ हजार रुपये थी उसको २। लाख रुपये दिये गये और जिस जागीर की आय १६ हजार रुपये थी उसको २ लाख रुपये दिये गये, इसका क्या कारण है और सरकार ने इसके लिए नियम क्यों नहीं बनाये ? अगर सरकार नियम बना लेती तो राजस्थान की जनता को सन्तोष होता, मगर नियम बनाये नहीं उसका क्या कारण है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केदारनाथ।

भूमि रद्द किया जाना

८२८. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) गंग केनाल क्षेत्र में कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनकी भूमि किश्तें न दे पाने की वजह से रद्द (कैन्सिल) कर दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस तरह की भूमि को नीलाम किया गया है ?

उप–मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) ४२३।

(२) जी नहीं।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि यह अलॉटीज़ जिनकी जमीन कैंसिल की गयी वह नीलाम की गयी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह जो अलॉटीज़ हैं इनकी कुछ किश्तें अदा हो चुकी थीं और कुछ किश्तें अदा नहीं हुई थीं, उसके बावजूद उनकी जमीनें कैंसिल हो गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें दो तरह के अलॉटीज़ हैं। एक तो १९५१-५२ के हैं और दूसरे ५७ के हैं। तो १९५१-५२ के केसेज़ तो बहुत कम हैं। ज्यादातर केसेज़ दूसरी तरह के हैं। जिनमें कि अगर एक दो किश्तें जिनकी अदा नहीं हुई उनको तो टाइम दिया जा चुका है। १९५१-५२ की सब किश्तें पेएबल हो चुकी हैं, वे जमा हो जानी चाहिए थीं, उसके बाद में भी उन्होंने बीच में जमा नहीं कराई और बाद में नहीं कराई और कुछ ५० केसेज़ हैं जिनमें एक किश्त छोड़कर बाद में जमा नहीं कराई। तो जिनमें एक दो किश्तें बाकी रहती हैं तो सवाल यह है कि जिन्होंने जमा नहीं कराई तो उनका अलॉटमेन्ट कैन्सिल हो जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने उनके अलॉटमेन्ट कैन्सिल नहीं करके कम से कम यह समझना चाहिए कि उनके साथ रियायत करते रहे। अब भी जब जमा नहीं कराई तो ऐसे केसेज़ हैं जिनको कैन्सिल किया। यह है आउट आफ ५००० केसेज़....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन्होंने कुछ किश्तें अदा कर दीं और कुछ नहीं कीं तो, जिन्होंने जितनी किश्तें जमा करा दीं उसके अगेन्स्ट में उनको उतनी ही जमीन सरकार अलॉट करदे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खातेदारी राइट्स पूरी कीमत अदा होने पर ही मिलते हैं।

कुछ किश्तें जमा कराने से तो उनको मिल नहीं सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप जमीन की कीमत पूरी ले रहे हैं उसमें तो रियायत है नहीं। स्टेट टाइम में भी होता था कि जितनी किश्तें जमा हो जाती थीं उसके हिसाब से उनको जमीन दे दी जाती थी। अगर किसी ने ३ किश्तें अदा कर दी हैं तो ३ किश्तों जितनी जमीन उसके अगेन्स्ट एडजस्ट कर देते थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा हमारे नियमों में प्रावधान नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप स्टेट टाइम से भी ज्यादा....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जितनी किश्तें अदा कर दीं उसके प्रपोर्शन से लैण्ड अलॉट कर देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि फ्रेग्मेन्टेशन होता है उसके लिए सरकार तैयार नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन लोगों की एक दो किश्तें बकाया हैं वह अदा नहीं कर सके, क्या उनको आप रियायत देने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप मालूम कर लीजिए, एक-दो किश्त वाले इसमें नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कम से कम १५०-२०० केसेज़ हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि इन अलॉटमेन्ट्स की जमीनें

(श्री केदारनाथ)

नीलाम की गयीं और यह ठीक है कि इसमें मेजर भी थे, माइनर भी थे; उनकी भी जमीनें कैन्सिल करने के बाद में नीलाम की गयीं। मेरा प्रश्न यह है कि कैन्सिल करने के बाद अब ये जमीनें किन की काश्त में हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि अलॉटमेन्ट कैन्सिल कर दिये हैं लेकिन इन्हीं लोगों में से २३ आदमियों को छोड़कर बाकी सबने जो टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट के रूल्स हैं उनके तहत टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट अपने नाम पर करवा लिये हैं। आप पैरवी कर रहे हैं कि उनको आधी ही दे दी जाये, इसके बारे में प्रश्न ही क्या पैदा होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार नहीं हुआ है...

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार अभी भी पूरी किश्तें चुकाने के बाद में उनको उनकी जमीन अलॉट करने के लिये तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का आश्वासन इस समय देने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार ने एग्ज़ामिन किया है कि वह अपनी किश्तें समय पर क्यों नहीं चुका पाया और क्या सरकार ने इस प्रकार की जांच करने के लिए कोई कमेटी अपोइन्ट की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

विकास विभाग के अधिकारियों के लिये पुस्तिकायें

८२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों के निर्देशन एवं सुविधा हेतु कोई पुस्तिकायें (हैंड बुक्स) प्रकाशित की गई हैं ? अगर हां, तो कितनी वॉल्युम्स अब तक निकाली गई हैं ? प्रत्येक वॉल्यूम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उप–मंत्री, विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। अब तक दो वॉल्यूम्स निकाले जा चुके हैं। प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(सम्बन्धित पुस्तकें विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०

८३०. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक ३१ जनवरी, १९६३ को दिन के १२॥ बजे होना निश्चित थी ? यदि हां, तो इस बैठक का प्रमुख विषय क्या था ?

(२) क्या यह सही है कि बैठक शुरू होते ही मुख्य मंत्री द्वारा जिलाधीश सीकर एवं सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर को इसी दिन फोन किया गया कि श्री झावर-

Page No.13

(श्री बालूराम चौधरी)

मल सुंडा जो कि बैंक के अध्यक्ष हैं, बैंक की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस समिति का वे प्रतिनिधित्व करते हैं वह आज अवसायन में ला दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त टेलीफोन की तामील में जिलाधीश सीकर ने जुवानी व सहायक रजिस्ट्रार, सीकर ने लिखित में बैंक के अध्यक्ष को पदच्युत करने का आदेश दे दिया ?

(४) क्या यह सही है कि इस आदेश के कारण साधारण सभा नहीं हो सकी ?

५) फोन द्वारा बैंक के अध्यक्ष को बैठक के ऐन मौके पर पदच्युत करने के क्या विशेष कारण थे ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, विचारणीय विषयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(५) कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री बालूराम चौधरी : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि सोसाइटी कौनसी तारीख को अवसायन में लाई गई ?

श्री भीमसिंह : क्या ? फिर से कहें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह सोसाइटी किस तारीख को अवसायन में लाई गई थी ?

श्री भीमसिंह : इस सोसाइटी के लिए गवर्नमेन्ट आॅर्डर्स १६–१–६३ को हुये थे ।

श्री बालूराम चौधरी : यह जो आॅर्डर है यह झावरमल सूंडा को कौनसी तारीख को दिये गये ?

श्री भीमसिंह : ३१-१-६३ को ।

श्री बालूराम चौधरी : तो इसी तारीख को बैंक की मीटिंग थी, क्या यह सही है कि यहां से डिप्टी रजिस्ट्रार बैंक की मीटिंग के टाइम पर वहां से पहुँचे हैं और उन्होंने आॅर्डर की कम्प्लायेन्स भी कराई है ?

श्री भीमसिंह : डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं गये ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है । डिप्टी रजिस्ट्रार उस दिन सीकर गये हैं । उनकी कार मुझे रास्ते में मिली है । उनसे साक्षात्कार हुआ था और यह भी बता सकती हूँ कि कौन कौन उनके साथ थे । मंत्री महोदय यह बिल्कुल गलत सूचना सदन को दे रहे हैं ।

श्री भीमसिंह : जो सदस्या ने अभी निवेदन किया है वह बिल्कुल गलत है । जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का लिक्वीडेशन का लैटर प्राप्त हुआ उसमें खुलासा है कि टेलीफोन पर मेसेज मिला...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह टेलीफोन किसका था ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं यह जानना चाहती हूं कि जो लिक्वीडेटर का आपने आॅर्डर निकाला है वह कौनसी तारीख को किया है और उस दिन डिप्टी रजिस्ट्रार कहां पर थे ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि १६-१-६३ को तो गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स हुए थे और ३१-१-६३ को अध्यक्ष को प्राप्त हो गये। यह असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में दिया गया कि यह समिति लिक्वीडेशन में आ गयी है।

श्री भैरोंसिंह : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को फोन किसने किया था ?

श्री भीमसिंह : डिप्टी रजिस्ट्रार।

श्री भैरोंसिंह : यह फोन करने की क्या आवश्यकता थी ? लिक्विडेशन में लाने का तो ऑर्डर ३१ तारीख तक पहुँचा नहीं तो फिर फोन करने की आवश्यकता हुई ?

श्री भीमसिंह : उनके पास कम्पलेन्ट हुई। सोसाइटी लिक्वीडेट हो चुकी थी और उसमें भाग लेना गैरवाजिब था। इसलिए फोन द्वारा कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने झावरमलजी को यह लैटर लिखा है कि उनके पास चीफ मिनिस्टर का फोन आया है और उसमें यह लिखा है कि चीफ मिनिस्टर के फोन के कारण मुझे इत्तला मिली है कि यह सोसाइटी अवसायन में आ चुकी है ?

श्री भीमसिंह : यह जो लैटर लिखा गया है उसकी कॉपी मेरे पास है वह मैं निवेदन कर देता हूं :

"व्यवस्थापक,
सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, सीकर

अभी मुझे फोन पर उप रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां जयपुर खण्ड अजमेर श्री तुलसीराम जी शर्मा का सन्देश प्राप्त हुआ है कि सुदन शीप ब्रीडिंग भेड़ नसल सुधार सहकारी समिति लि० को अवसायन में लाने के आदेश हो गये हैं। इसलिए इस समिति के प्रतिनिधि को आज दिनांक ३१–१–६३ को सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० की वार्षिक आम सभा में भाग न लेने दिया जाये।"

ह०
सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, सीकर।"

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, डिप्टी मिनिस्टर ने प्रश्न नं० २ के जवाब में नीचे ही नीचे की लाइन में लिखित में उत्तर दिया है कि वह बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे क्योंकि वह समिति आज अवसायन में ला दी गयी है और दूसरी तरफ कान्ट्रेडिक्शन दे रहे हैं वह समिति १६ तारीख को लिक्विडेशन में लाई गई है। मैं जानना चाहूँगी कि उनका कौन सा उत्तर सही है जो रिटन में दिया वह या जो सप्लीमेंटरी में कहा है वह सही है ?

श्री भीमसिंह : रिटन में मैंने निवेदन किया था कि इसके लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स १६–१–६३ को हुए थे जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने टेलीफोन पर कन्वे किये।

श्रीमती सुमित्रा : क्या डिप्टी रजिट्रार सीकर नहीं गये थे ?

श्री भीमसिंह : इसका उत्तर मैं निवेदन कर चुका हूँ और यह लैटर जो मैंने अभी सहायक रजिस्ट्रार का पढ़कर सुनाया वह खुद भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।

श्रीमती सुमित्रा : डेफीनिट जवाब चाहती हूँ। मैं टेलीफोन की बात को नहीं सुनती। मंत्री महोदय तो सिर्फ यह बतायें कि क्या वे उस दिन सीकर नहीं गये थे ? इसका निश्चित उत्तर दें।

श्री भीमसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : यह कोई पृथक से प्रश्न नहीं है। आप तो मुझे डेफीनिट बताइये कि क्या डिप्टी रजिस्ट्रार सीकर नहीं गये थे ?

श्री भीमसिंह : आप तसल्ली रखिये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The whole House is with her.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It is a question of her privilege, Sir.

श्री भीमसिंह: मैंने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का लेटर आपके सामने पढ़कर सुना दिया, इसका इन्फरेन्स आप कुछ भी निकाल लें।

श्रीमती सुमित्रा : मैं निश्चित उत्तर चाहती हूँ माननीय उप-मंत्री जी से कि वह बतायें कि उस दिन उप-रजिट्रार महोदय सीकर नहीं गये थे ?

(३.०० म० प०)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस सोसाइटी को लिक्विडिशन में लेने के लिये नोटिस कब दिया गया था ?

श्री भीमसिंह : २२–१०–६२ को।

श्री नत्थीसिंह : और इसको लिक्विडिशन में लेने से पहले फाइनेन्सिग एजेन्सी बैंक है, क्या उसकी कोन्करेन्स ली गई और ली तो कब ली गई ?

श्री भीमसिंह : जितनी उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी की गई।

श्री नत्थीसिंह : फाइनेन्शियल ऑथोरिटी बैंक है और वे (झावरमल सूंडा) उसके अध्यक्ष हैं तो बैंक की कोन्करेन्स तो लेना जरूरी था। यह बैंक की कोन्करेन्स कौनसी तारीख को ली गई जिसकी जरूरत थी।

श्री भीमसिंह : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : और कई महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि उस दिन बैठक को स्थगित किया गया था ?

श्री भीमसिंह : यह बिल्कुल गलत है। लेकिन जो वहां के प्रधान थे उन्होंने ५ तारीख को स्वयं ने स्थगित कर दिया।

सरकार ने नहीं किया। चेयरमैन ने मीटिंग एटेन्ड की और प्रिसाइड किया और तय किया कि ५ अप्रेल को होगी। इसकी घोषणा उन्होंने स्वयं ने की थी।

श्री नत्थीसिंह : कौन कौन से कारण थे जिससे उन्होंने मीटिंग स्थगित की ? उस दिन किस आइटम पर विचार हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : आपका इससे क्या मतलब है ?

श्री नत्थीसिंह् : उप-रजिस्ट्रार के आदेश थे जिसके कारण स्थगित हुआ....

श्री भीमसिंह् : यह स्वयं प्रधान ने अपनी स्वेच्छा से किया था।

श्री नत्थीसिंह् : किसने डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के ऑफिस को सूचना दी और आज्ञा दी थी कि उनको इस मीटिंग में भाग नहीं लेने दिया जाए।

श्री भीमसिंह् : अध्यक्ष महोदय, झावरमल सुंडा जो इस कोआॅपरेटिव बैंक के सदस्य थे और प्रेसिडेन्ट भी उनके खिलाफ यह शिकायत थी कि यह Sheep & Wool Society बोगस सोसाइटी है और इसमें कोई भेडें नहीं हैं। इसकी जांच के लिये डि० डाइरेक्टर शीप एन्ड वूल गये तो उनको केवल दो भेड़ें सुखराम के पास मिलीं। ऐसी हालत में २६. १. को उसको लिक्वीडेशन में ले लिया गया।

श्री नत्थीसिंह् : पहले सरकार को बैंक को लिखना चाहिये था। अगर बैंक नहीं मानता तो सरकार खुद कार्यवाही कर सकती थी, लेकिन पहले सरकार ने एकदम कार्यवाही की इसका क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, आपने सब के प्रश्नों का उत्तर दिलवाया है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया है, दिलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा राइट ऑफ प्रिविलेज है। इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दिलाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : Order! Order !!

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला।

राजस्थान का हाथी-दांत का कोटा

८३१. **श्री विजयसिंह् झाला** (नाथद्वारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में आइवरी (हाथी दांत) का कोटा कितना आता है तथा उसमें से जयपुर को कितना मिलता है ?

(२) जयपुर में सालाना आईवरी से बनी हुई चीजों का कितना विक्रय होता है तथा क्या यह सही है कि हाथी दांत की बनी हुई चीजें यहां से विदेशों में भी जाती हैं ?

(३) क्या जयपुर को खपत के अनुपात से पर्याप्त कोटा हाथी दांत का मिलता है ? यदि नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

(४) राजस्थान को यह कोटा देने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का इस पर क्या नियंत्रण रहता है ?

(५) राजस्थान लघु उद्योग कोरपोरेशन इस कोटे पर लाभ कितना प्रतिशत लेता है ?

(श्री विजयसिंह झाला)

(६) अफ्रीका से हाथीदांत प्रति किलो किस भाव से चलता है तथा यहां किस भाव से बेचा जाता है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) हाथी दांत का डेढ़ लाख का कोटा राजस्थान को मिलता है इसमें से जयपुर को साठ हजार रुपये का हाथीदांत का माल दिया जाता है ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाया जावे ।

श्री अध्यक्ष : आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है ।

(श्री चन्दनमल वैद से) आप उत्तर दें ।

श्री विजयसिंह झाला: अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया । इसका उत्तर वापिस से दिला दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जरा वापिस उत्तर दे दें ।

श्री चंदनमल वैद : (१) हाथीदांत का डेढ़ लाख का कोटा राजस्थान को मिलता है, इसमें से जयपुर को साठ हजार रुपये का हाथीदांत का माल दिया जाता है ।

(२) हाथीदांत की बनी हुई चीजों का अन्दाजन ७,००,०००) रु० वार्षिक विक्रय है और यह भी सही है कि हाथीदांत की बनी हुई चीजें विदेशों में भी भेजी जाती हैं ।

(३) जयपुर की हाथीदांत की खपत के अनुपात से कोटा कम मिलता है । हाथी दांत का कोटा बढ़ाने के बाबत भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है । एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत भी हाथी दांत अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(४) राजस्थान सरकार को हाथी दांत के कोटे में दो प्रकार का दांत मिलता है :–

(१) चूड़ी बनाने के लिये ।

(२) खुदाई के काम के लिये ।

खुदाई के काम के हाथीदांत का वितरण आल इंडिया हैंडिक्राफ्ट बोर्ड भारत सरकार स्वयं करती है और चूड़ी के लिए हाथीदांत का वितरण राज्य सरकार करती है ।

(५) राजस्थान लघु उद्योग निगम हाथीदांत पर इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल ऑथोरीटीज़ के आदेशानुसार केवल १० प्रतिशत लाभ लेता है ।

(६) हाथीदांत की अफ्रीका की दरें व यहां किस भाव से बेचा जाता है वह दरें संलग्न सूची के मुताबिक है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : इसकी सूची है ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, सूची के बारे में बार बार शिकायत करनी पड़ती है कि हमको सूची नहीं मिलती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महत्वपूर्ण बात पूछें ।

श्री विजयसिंह झाला : सूची नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : सूची है । मैंने ही मना किया है । पढ़ेंगे तो समय जावेगा ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं जनरल शिकायत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी जनरल शिकायत गलत है ।

मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि कोई महत्वपूर्ण बात पूछिये ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार जयपुर में हाथीदांत के कोटा की कमी महसूस करती है और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह निकट भविष्य में संभव नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने कितने कोटा के लिये भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजी है और भारत सरकार ने कितना कोटा एलॉट कर दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : भारत सरकार ने कहा है कि जब तक इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स रहेंगे आपको जो एलॉटमेंट है वह मिलता रहेगा । अब कुछ स्कीम चेन्ज की है । नई स्कीम के अनुसार कितना मिलेगा यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि अभी इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने भारत सरकार से कितने कोटा के लिये मांग की है ?

श्री चन्दनमल वैद : हमने बराबर मांग की है और बराबर कोटा मिला है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या पर्टीकुलर डिमान्ड भारत सरकार के पास भेजी हैं कि खिलौनों के लिये इतने हाथीदांत की कमी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : हमने हमेशा लिखा है कि कोटा बढ़ाया जाए, खिलौनों के लिये कमी है । मगर बराबर यही जवाब मिला कि यह संभव नहीं है ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला : जयपुर वालों को जो हाथीदांत का काम करते हैं उनको कोटा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको वह बाहर से लाना पड़ता है, क्या यह सही है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह समझ में नहीं आया ।

श्री विजयसिंह झाला : उनको बताया जाता है कि बाहर से फलां शहर से जाकर ले आओ ।

श्री चन्दनमल वैद : हाथीदांत तो जयपुर में आता है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या यह हाथीदांत जो बाहर से जयपुर में आता है वह जरूरतों को देखते हुए सफीशियेन्ट होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला, आप समझावें कि क्या समस्या है ?

श्री विजयसिंह झाला : कभी-कभी ऐसा होता है कि परमिट तो यहां का देते हैं, मगर उनको यह कह दिया जाता है कि यह कोटा अहमदाबाद से जाकर ले आओ।

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि सारे बाहर के लोग जो हाथीदांत की खुदाई का काम करने वाले हैं वे लोग जयपुर से आकर हाथीदांत ले जाते हैं। इसलिए यह समझना कि जयपुर के कलाकार बाहर से जाकर माल लेकर आते हैं यह सही नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) यह जो एक्सपोर्ट के आधार पर कोटा मिलेगा तो हाथीदांत का माल बनाया जाता है। उसमें चूड़ियें भी बनती हैं, मगर वे बाहर नहीं जाती हैं तो क्या चूड़ियों के लिए भी कोटा मिलता है वह मिलेगा या नहीं। एक्सपोर्ट तो चूड़ियें होती नहीं हैं।

श्री चंदनमल वैद : एक्सपोर्ट के आधार पर कोटा मिलेगा। अब तक जो आयात होता था उसके बजाय अब इस आधार पर होगा कि कौनसा स्टेट कितना माल बाहर भेजता है। यदि चूड़ियां बाहर नहीं जाती है तो कोटा नहीं मिलेगा।

श्री विजयसिंह झाला : जो माल अफ्रीका से ४३) रु० में आता है वह वहां पर ८०)रु० में मिलता है। क्या सरकार यह सोचती है कि १० पर्सेन्ट का लाभ अधिक है और उसको कम करेगी ?

श्री चंदनमल वैद : यह बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाभ है। जितना हैन्डी क्राफ्ट्स बोर्ड ने ऑथोराइज़ किया है उतना ही लेते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : खर्चा निकालने के बाद १० परसेन्ट लेते हैं, उससे कम नहीं कर सकते क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : आपने फरमाया कि राजस्थान के बाहर से व्यापारी राजस्थान में आकर हाथीदांत ले जाते हैं, तो क्या आपकी तरफ से रॉ मेटीरियल बाहर ले जाने की इजाजत है ?

श्री चंदनमल वैद : खुदाई के काम में आने वाले मेटीरियल का वितरण ऑल इण्डिया हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड करता है और वह बोर्ड जिनको यहां से बाहर ले जाने की इजाजत देता वह बाहर ले जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इसीलिए तो मैंने कहा था कि ऑल इन्डिया हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड यहां वालों को अहमदाबाद या और जगहों से माल लाने के लिए परमिट देता है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): हाथीदांत की बनी हुई चूड़ियां बाहर जाती हैं उसके लिए माल नहीं मिलेगा....

श्री अध्यक्ष : आप बहस न करें।

प्रश्न संख्या ८३२

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित।)

पॉवर-लूम्स का एलॉटमेंट

८३३. श्री कुमारानंद (ब्यावर) : [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) (रायसिंहनगर)द्वारा पूछा गया]
Will the Industries Minister be pleased to state:-

Page No.20

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

1. (a) Is it a fact that the Government of Rajasthan is encouraging Hand Loom Industry in the State by alloting Power looms to the Weavers Co-operative Societies ?

(b) If so, will the Government kindly explain what is the method of alloting Power-looms to the Hand-loom workers ?

(2) Is the Government aware that one Bhikam Chand of Beawar Hand-loom Association is continually applying for alloting Power-looms to Beawar-Hand-loom Association working Co-operative method and though full two years have passed, the association has not been allotted any Power -loom uptil now ? If so, what is the reason for not alloting Power-looms to Beawar Hand-loom Association ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The question is that of Shri Kumaranand and Mr. Handa wants to ask this question. This question cannot be asked in this House unless he (Shri Kumaranand) is a member of this House. With all sympathies for the old nationalist communist, I may inform that he has been unseated.

श्री अध्यक्ष : इसकी इत्तिला अब तक हमारे सचिवालय में नहीं आई है इसलिए इसकी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तब तक वे हाउस में बैठ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछें।

उप-मंत्री, उद्योग : (श्री चन्दनमल वैद्य) Yes, but no powerlooms are to be allotted in future in view of the instructions of Government of India. (b) Allotment of powerlooms is made in accordance with the instructions of Government of India which briefly are:

(i) Powerlooms are to be allotted to professional weavers Co-operative Society in rural areas where the population does not exceed 30,000.

(ii) Power is available and the officer incharge of the local electric powerhouse assures supply as and when the powerlooms are installed.

(iii) Only 10 powerlooms are to be allotted to a Society when they work in a common pucca shed but where they work individually in their pucca houses, a maximum of 15 powerlooms can be allotted.

(iv) Only one powerloom is to be allotted to each weaver possessing one or two working handlooms but in case the No.of working handlooms in his possession is in excess, the maximum No. of powerlooms that can be allotted is two i.e. where three or more handlooms are already working in a weavers family, he can be allotted a maximum of two powerlooms.

No powerlooms have been allotted to this party out of the quota of 70

(श्री चन्दनमल वैद्य)

powerlooms given by Government of India, as no powerlooms have been allotted to Ajmer Distt. in the past.

प्रश्न संख्या ८३४

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

पंचायत सचिवों को देरी से वेतन

८३५. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि पंचायत सचिवों को उनका वेतन समय पर नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा समुचित प्रबन्ध करने का विचार रखती है जिससे उनको समय पर वेतन मिल सके ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : सचिवों को समय पर वेतन मिलने में कठिनाई है, ऐसा राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या यह सच है कि भदासर पंचायत के सचिव को समय पर तनख्वाह नहीं मिली ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है । इस बारे में प्रश्न पूछते तो जानकारी करके बताता ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्या आपको मालूम है कि पंचायत के पास फंड्स नहीं होने से तनख्वाह नहीं मिलती है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायतों को ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है ।

मऊ इब्राहिमपुर मिडिल स्कूल

८३६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम मऊ, इब्राहिमपुर में करीब १५ साल पुराना मिडिल स्कूल है ?

(२) क्या यह भी सच है कि यहां पर लड़कों की संख्या करीब चार सौ के लगभग हैं ?

(३) क्या यह भी सच कि है यहां पर भवन में स्थान भी पर्याप्त है ?

(४) क्या यह भी सच है कि यहीं याता-यात का एक मात्र साधन उपलब्ध है ?

(५) क्या यह भी सच है कि यहां की जनता हाई स्कूल के लिए श्रमदान करने को तैयार हैं ?

(६) क्या यह सच है कि उसके आस-पास बहुत से मिडिल व अपर स्कूल खुले हुए हैं ?

(७) क्या यह भी सच है कि इस इलाके के अधिक लोग मिलिटरी में भरती हैं ?

(८) यदि हां, तो सरकार ऐसी सूरत में कब हाई स्कूल बनाने का बिचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, उक्त शाला सन् १९४५ से माध्यमिक शाला है ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) वर्तमान छात्र संख्या ३५० है।

(३) जी नहीं, भवन माध्यमिक शाला के लिये ही अपर्याप्त है।

(४) जी हां, मऊ इब्राहिमपुर हिन्डौन से जयपुर रोड़ पर ६ मील पर स्थित है।

(५) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(६) जी हां, माध्यमिकशाला, मऊ इब्राहिमपुर के पास ६ मील के क्षेत्र में केवल १ माध्यमिकशाला मोहमम्दपुर है। माध्यमिक शाला कांकरोली, सिकरोड़ां फरेडा, शेरपुर, मूरोठ, हिन्डोन के पास और मऊ इब्राहिमपुर से १० मील से अधिक क्षेत्र में है।

(७) जी हां।

(८) इस शाला का भवन माध्यमिक शाला के लिये ही अपर्याप्त है, अतः इसे अपग्रेड करना संभव नहीं है। यदि यहां की जनता शाला के लिये पर्याप्त भवन बनवा दे तो फिर उस शाला को अपग्रेड करने के प्रश्न पर दूसरी शालाओं के साथ-साथ मैरिट के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि आपने प्रश्न (७) के उत्तर में बताया कि यहां पर मिलिटरी-वालों की संख्या अधिक है इस आधार पर क्या आप सुविधा नहीं दे सकते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह शब्द "मेरिट" बड़ा व्यापक है। इसमें सब आ जाता है।

श्री श्रवणलाल: इस इलाके में मिलिटरी वाले ज्यादा लोग हैं, उनके बच्चों को सहूलियत देने के लिये विचार करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहां के ज्यादा लोग मिलिटरी में भर्ती हैं, इसलिये ज्यादा हमदर्दी उनके प्रति हो सकती हैं।

पंचायत समिति भवन

८३७. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति लूणकरणसर के भवन का निर्माण किया जा चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त भवन निर्माण होने के बाद भी पंचायत समिति लूणकरणसर का दफ्तर किराये के स्थान पर कायम है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी नहीं।

(२) कार्यालय भवन नहीं बना है, अतः किराये का स्थान ले रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भवन निर्माण अब तक नहीं हुआ है तो आपने क्या किया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कार्यालय के भवन का निर्माण नहीं हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर कौनसा भवन निर्माण हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : क्वार्टर्स बने हैं।

सड़क-निर्माण

८३८. श्री चौथमल वर्मा (भिनाय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सिलोरा, सबडिवीजन किशनगढ़ ने रूपनगढ़ पंचायत को बाजार में सड़क निर्माण के लिए ७,०००) रु० की रकम दी है ?

(२) अगर हां, तो उक्त पंचायत ने सड़क का पूरा काम अभी तक क्यों नहीं करवाया ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) जी हां।

(२) लगभग ४,५००) रु. का कार्य हो गया है। बाकी काम जनसहयोग के अभाव व वर्षा अधिक होने के कारण पूरा नहीं करवाया गया है।

श्री चौथमल वर्मा : वहां बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, साहब।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वहां पर ४,५००) का काम हो चुका है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : यह काम कब हुआ ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मेरे पास निश्चित तारीख इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ये रुपये कब दिये गये थे ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ६,७५८.७५ न.पै. अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये थे। तारीख इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा समय हो गया हो, तीन-चार साल हो गये हों तो एक साल बरसात के कारण रुक सकता है। जानकारी कर लें, जल्दी काम हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८३६

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

जयपुर में विदेशी टूरिस्ट्स

८४०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष १९६२ में कितने विदेशी टूरिस्ट्स जयपुर में आये ?

उप-मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : सन् १९६२ में १७,८६६ विदेशी पर्यटक (टूरिस्ट्स) जयपुर में आये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : ट्यूरिज्म को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग प्रश्न पूछ लीजिये, जानकारी करके बता दूंगा।

डेयरी फार्म के लिये कर्जा

८४१. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तारानगर पंचायत समिति ने डेयरी फार्म खोलने के लिए किस-किस व्यक्ति

Page No.24

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को कितना-कितना रुपया कौन कौनसी तारीखों में कर्जा दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन लोगों को कर्जा दिया गया है उनमें से किस किस ने वास्तव में डेयरी खोली है ?

(३) क्या जिन लोगों ने इस धनराशि का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) इनमें से किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही की गई है ? इस कार्यवाही का परिणाम क्या हुआ ?

उप मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ऋण डेयरी फार्म के लिए नहीं, वल्कि पशु पालन फार्म के लिए दिया गया था ।

(२) उक्त सूची में यह सूचना भी अंकित है।

(३) जिन लोगों ने ऋण का उपयोग नहीं किया है उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही चालू है।

(४) उक्त सूची में यह सूचना भी अंकित है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे प्रश्न का आपने उत्तर दिया है कि उक्त सूची में यह सूचना भी अंकित है कि जिन लोगों को कर्जा दिया गया उनमें से किस-किस ने वास्तव में डेरी खोली है। यह सूचना लगी हुई नहीं है तो क्या उसका यह नतीजा निकलता है कि जितने लोगों को ऋण दिया गया उनमें से किसी ने भी परिपालन करने में उपयोग नहीं किया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: एक व्यक्ति बालूराम ने किया है दूसरे व्यक्ति ने आंशिक रूप से किया है । जिन्होंने उपयोग नहीं किया है उनसे वसूली की कार्यवाही हो रही है। कइयों से रकम भी वसूल हो चुकी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें संख्या ४ पर डूंगरराम, ७ पर गणपतनाथ, ११ पर तेजदानसिंह इन तीन लोगों से बावजूद इसके कि सन् ६० और ६१ से उनकी तरफ वसूली है और उन्होंने रकम का उपयोग भी नहीं किया है आज तक एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया है। इसके लिए क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : पी. डी. आर. एक्ट की तहत वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री रामानंद अग्रवाल : तीन साल हो गये हैं, एक पैसा भी उनसे वसूल नहीं हुआ है जब कि और लोगों से पूरा पैसा वसूल हो चुका है, इसका क्या कारण है ?

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कांग्रेसी हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : विभाग ने पी. डी.आर. के तहत नियमानुसार डिमाण्ड नोटिस भेज दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरा निवेदन है कि जो कर्जा ले लेते हैं और कर्जा ले लेने के बाद में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप उसको पी. डी. आर. के तहत वापिस लेने की कार्यवाही करते हैं क्या आप दूसरी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफ जो पैसा लेकर उसे उस काम में इस्तेमाल नहीं करें।

श्री भवानीशंकर नंदवाना: ब्याज १२ परसेन्ट वसूल किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें चौदह लोग हैं, इनमें से बारह लोग हैं जिसने आपने एक मुश्त किश्त की वसूली पीनल इन्ट्रेस्ट के साथ की है और दो आदमी हैं, बहादुरसिंह और हेमराज। इनसे आपने-इन्स्टालमेंट में वसूल करने का ऑर्डर दिया है जब कि सबने डिफॉल्ट किया हैं, किसी ने काम नहीं किया है तो दो का डिफेन्स करने का क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बहादुरसिंह ने पशुपालन फार्म खोल दिया है, उससे वसूली करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने उत्तर दिया है किश्त से वसूली की कार्यवाही की मांग तहसील कार्यालय तारानगर में भेज दी गई, ३०० रु० की प्रथम किश्त वसूल हुई है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किश्त चढ़ेगी वह वसूल होगी ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): दूसरों से पूरी राशि की मांग की है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जिन्होंने पशुपालन फार्म नहीं खोले उनसे पूरी राशि वसूल होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

नीम के थाने के उप-जिलाधीश के विरुद्ध शिकायतें

८४२. श्री रामकिशन (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम-के-थाने के उप-जिलाधीश श्री ताराचन्द अग्रवाल का किस दिन पोस्टिंग किया गया ?

(२) श्री अग्रवाल के विरुद्ध इस कार्यकाल में राज्य सरकार के पास कुल कितनी शिकायतें आई ?

(३) नीम-के-थाने के इलाकों के कितने प्रतिनिधि मंडल इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, व गृह मंत्री व जिलाधीश सीकर से मिले ?

(४) श्री अग्रवाल के विरुद्ध उनके इस कार्यकाल में कुल कितनी दर्ख्वास्तें मुन्तकिली मुकदमात अदालत जिलाधीश व सहायक जिलाधीश रेवेन्यू व फौजदारी सीमें में लगी और उनमें मुख्यतया क्या आरोप लगाये गये ?

(५) श्री अग्रवाल के विरुद्ध राज्य सरकार के पास किस तरह की शिकायतें आई ?

(६) क्या श्री अग्रवाल का नीम-के-थाने से तबादला किया गया। और फिर केन्सिल का मुल्तवी किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामकिशन)

(७) कितने वर्तमान विधायकों ने मुख्य मंत्री को श्री अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) १०–१–६१ को।

(२) कई।

(३) ठीक संख्या मालूम नहीं, प्रतिनिधि मंडल कुछ एक बार मिले।

(४) श्री अग्रवाल के विरुद्ध उनके उपरोक्त कार्यकाल में अदालत जिलाधीश, सीकर व सहायक जिलाधीश, सीकर व सहायक जिलाधीश में स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र सीगे राजस्व ८ (आठ) व सीगे फौजदारी १३ (तेरह) प्राप्त हुए। उनमें मुख्यतया श्री अग्रवाल का श्री ज्ञानचंद एम. एल. ए. व श्री श्रीकिशन मोदी का विश्वास पात्र होने के कारण मोदी गुट से असंतुष्ट गुट को न्याय प्राप्त न होने के कारण व प्रधान पंचायत समिति खंडेला के द्वारा व मोदी गुट द्वारा श्री अग्रवाल को गैर सायलान की तरफ से रिश्वत देने बाबत आरोप थे।

(५) भ्रष्टाचार (रिश्वत लेना), पक्षपात, बदचालचलन इत्यादि आरोपों की पूर्ण शिकायतें आई।

(६) जी हां। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से स्थगन हुआ।

(७) दो वर्तमान विधायकों ने श्री अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा था। श्री अग्रवाल को सावधानी से कार्य करने हेतु दिनांक २०-१२-६२ को आदेश प्रसारित किए गए। तदनन्तर उन्हें दिनांक १६-३-६३ को निलंबित करने हेतु भी आदेश दिये गये और अब विभागीय जांच जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा

श्री छोटूराम (नीम का थाना) : क्या हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे पता नहीं।

श्री छोटूराम : नौ महीने हो गये, सरकार ने नहीं बताया कि पोस्टिंग कहां किया है। उनका पोस्टिंग कहीं नहीं किया है जबकि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है और जो आरोप लगाये गये थे वे सारे उनके पक्ष में फैसल हो गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is an information to me.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब विधान में बातें पिछले बजट सैशन में कही गई थीं और उसके बाद इनके आधार पर दो दिन बाद मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है। लेकिन चार्जेज़ में जो चार्जेज़ उन पर लगाये गये, उनका हवाला नहीं दिया गया— सबसे बड़ा चार्ज यह था कि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के थे, उनको फर्जी डॉक्यूमेंट से बदल दिया गया और ओरीजिनल रेकॉर्डस की जगह नये रेकॉर्ड को जोड़ दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सम्बन्ध में क्या पुलिस की जांच सरकार के पास पूरी मुकम्मिल होकर आ गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका अभी मुझे पता नहीं है। इस सम्बन्ध में जांच चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जिन केसेज़ में डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है उनमें उसका पुलिस चालान पेश नहीं किया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): फर्जी रेकार्ड बनाने के कारण इस मामले को पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे पता नहीं। एन्टी करप्शन से जांच हुई, इसका मुझे पता है। आगे चल कर क्या हुआ इसका पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आगे चलकर मुख्य मंत्री ने कहा था कि फर्जी रेकॉर्ड बनाने के कारण सस्पेन्ड किया गया है। प्राइमाफेसी केस...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सस्पेन्ड कर दिया गया, सस्पेन्ड था ही।

श्री भैरोंसिंह : उस केस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। इन शिकायतों में चार्ज अलग हैं। उनके सम्बन्ध में पुलिस की जांच की कार्यवाही क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी पुलिस को नहीं दिया जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पुलिस को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह पॉलिसी का सवाल है। सरकार ने यह तो बताया है कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ चार्ज है कि जुडिशियल रेकार्ड में फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट डालने का अपराध किया है और उस आधार पर उसे निलंबित किया गया है। यह मामला पुलिस को जांच के लिए क्यों नहीं दिया गया ? आप कहते हैं कि डिपार्टमेन्टल एक्शन ले रहे हैं, उसमें आप प्रमोशन रोक दें या एक–दो इन्क्रीमेंट नहीं दें तो इससे संतोष नहीं हो सकता। आपने पुलिस को केस क्यों नहीं दिया आपकी, पुलिस को देने की, मन्शा क्या नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : We are waiting the results of the departmental enquiry.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जवाब अधूरा है।

श्री रामकिशन (वैर) : स्थिति यह है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कोई जवाब नहीं है और जो सदन के सामने जवाब दिया है वह अधूरा है। मेरा निवेदन है कि मुकम्मिल जवाब सदस्यों को दें। आपने इस प्रश्न के दो भाग में कहा है कि कई शिकायतें आई हैं ? क्या सरकार उनको गिन नहीं सिकती है ? क्या आपको शर्म आती है ? पचास शकायतें आई हैं, लेकिन आपने कह दिया कि कई शिकायतें आई हैं। कई में और पचास में काफी फर्क है। मेरा निवेदन है कि जवाब अधूरा है और मंत्री महोदय ने सदन को डार्क में रखने का प्रयत्न किया है।

Page No.28

श्री रामकिशन : आपने फर्माया कि सरकार ने इसको मुअत्तिल किया है। मुअत्तिल तो पिछली कार्यवाहियों के कारण हुआ है। लेकिन शिकायतें थीं बाद की, उनकी जांच करने का कष्ट किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि पहले की शिकायतें थीं, उन पर उसको वार्निंग हुई। उसके बाद कुछ एम. एल. एज़् ने शिकायतें की थीं। इस बीच में यह इन्सीडेंट हुआ जसके बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और एन्टी करप्सन की कार्यवाही होकर उसको सस्पेन्ड कर दिया गया उसके बाद इन्क्वायरी के लिए डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी को सौंपा हुआ है। उसके बाद की कार्यवाही चल रही है, उसको चार्ज सीट दी गई, उसका रिप्लाई हो गया।

श्री रामकिशन : क्या एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट से साबित होता है कि उसने फर्जी रेकॉर्ड डाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने बताया कि इन्क्वायरी चल रही है

श्री रामकिशन : यह रिपोर्ट आ चुकी है, एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सी० आई० डी० की।

श्री रामकिशन : सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अन्दर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : On the basis of a preliminary report he was suspended.

श्री भैरोंसिंह: क्या यह रिपोर्ट इस बात के लिए पर्याप्त नहीं थी कि उसके मामले को पुलिस को सौंप दिया जाय, जिस रिपोर्ट पर आपने सस्पेन्ड किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह काफी नहीं था। इसके आधार पर बाकी की कार्यवाही चल रही है। सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर उसे सस्पेन्ड करके इसे डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के लिए सौंप दिया है।

श्री रामकिशन : आपने बताया कि ट्रान्सफर हो गये और उसको कैंसिल करते रहे, इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार जान-बूझ कर मामले को दबाने की चेष्टा कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जान बूझ कर दबाने के लिए नहीं, बल्कि इन्क्वायरी अच्छी तरह से हो जाय इसलिए।

श्री रामकिशन : आप पहली दफा के लिए कह रहें है। लेकिन बाद में शिकायतें आईं, उसके बाद ट्रान्सफर हुए और बाद में कैंसल हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने एक दफा के लिए माना है। कई दफा का आपने कहा है। मैंने जवाब में नहीं माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में यह पाया जाय कि फर्जी डॉक्यूमेंट सरकारी रेकॉर्ड में डाले हैं तो इस केस को पुलिस को सौंपेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी

८४३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या भोपाल कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी लि० प्रतापनगर, उदयपुर, का गठन सन् १६४७ में हुआ था और अब वह सन् १६५५ से लिक्वीडेशन में है? यदि हां, तो सन् १६५५ में लिक्वीडेटर किनको नियुक्त किया गया?

(ख) क्या २६ सितम्बर, १६५६ को समिति की जनरल मीटिंग बुलाकर शेयर होल्डर्स में दो व्यक्तियों को लिक्वीडेटर्स मनोनीत करवाया गया था? यदि हां, तो किन किन को? लिक्वीडेटर्स को कब से क्या वेतन मिलता है?

(ग) लिक्वीडेटर्स ने अब तक इस समिति की क्या क्या सम्पत्ति कब कब कितनी कितनी कीमत की और किस प्रकार फरोख्त की है? क्या ऐसी फरोख्तगी से पहले रजिस्ट्रार तथा समिति के सदस्यों की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी?

(घ) इस सोसाइटी के अवसायन में आने के पश्चात् अब तक कितनी शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई गई और उनमें प्रत्येक में क्या क्या निर्णय लिया गया? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ङ) सोसाइटी की अब कितनी प्रोपर्टी शेष है जिसको फरोख्त करने की कार्यवाही चल रही है?

(च) इस समिति के अवसायन में इतना विलम्ब क्यों हुआ है और अब यह अवसायन की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी?

(छ) क्या शेयर होल्डर्स ने अवसायन कर्त्ताओं में अपना अविश्वास प्रकट कर रजिस्ट्रार को सूचना भेजी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां। १६५५ में लिक्वीडेटर श्री ताराचंद जैन को नियुक्त किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। इस सम्पत्ति को फरोख्त करने के लिये बोर्ड ग्रॉफ लिक्वीडेटर्स को रजिस्ट्रार ने पहिले ही स्वीकृति दे दी थी। ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं ली गई है।

(घ) समिति के अवसायन में आने के पश्चात् दो बार जनरल मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ एवं दूसरी मीटिंग में दो अवसायकों (श्री खेमचंद पंजवानी और श्री मोहनलाल वास्वामी) का चयन किया गया।

(ङ) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(च) विलम्बन होने के निम्न कारण हैं:–

१. उदयपुर व बम्बई आदि सिविल अदालतों में अन्तिम निर्णय हेतु मुकदमों के होने के कारण।

(श्री भीमसिंह)

२. सेटलमेंट कमिश्नर, भारत सरकार द्वारा जमा खर्च में समय लगने के कारण।

३. राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बीच रहन की गई सम्पत्ति की कीमत के सम्बन्ध में एग्रीमेंट का निर्णय नहीं होने के कारण।

४. समिति एवं सदस्यों के बीच विवाद ग्रस्त मामलों के निर्णय में समय लगने के कारण।

अवसायन की पूर्ण कार्यवाही उपरोक्त विषयों पर निर्णय हो जाने पर हो जावेगी।

(छ) जी हां। कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि लिक्वीडेटर्स को वेतन मिलता है ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह: कितना वेतन मिलता है ?

श्री भीमसिंह : इसकी सूची मैंने आपके लिए रख दी है। अगर डिटेल्स चाहें तो मैं पढ़ कर बता दूं।

श्री भैरोंसिंह : अब तक का बतायें, १६५५ से लेकर अब तक वेतन के रूप में जो रुपया दिया है वह कितना है ?

श्री भीमसिंह : उसमें अलग अलग आदमियों की अलग अलग रकम लगी हुई है। यह 'ग' परिशिष्ट में है। आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: टोटल मन्थली एक्सपेन्डीचर बता दें ?

श्री भीमसिंह : टोटल नहीं दिया हुआ है। मैं गलत निवेदन नहीं करना चाहता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : लिक्वीडेटर्स को कितना मिला है ?

श्री भीमसिंह : ताराचन्द को ६१५) रुपया प्रति माह।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को ६१५) रु० प्रति माह दिये जाते हैं और ५५ से लेकर आज तक लगातार दिये जा रहे हैं और जो प्रापर्टी की लिस्ट दी है उसमें सन् ५६ में १२,०००) रु० का माल बेचा, ५८ में सिर्फ ८,०००) रु० का माल बेचा, ६०-६१ में १,२८,०००) रु० का माल बेचा और ६२-६३ में एक नये पैसों का भी माल नहीं बिका है। इसमें १,२५,३०३) रु० का ऐसा माल पड़ा हुआ है खासतौर से जिसको यदि सरकार चाहे तो एक दिन में बेच दें। परिशिष्ट 'ख' की जो लास्ट लाइन है, प्लान्ट मशीनरी, स्वीच बोर्ड इत्यादि, ऐसे माल को बेचने में कौन सी आपत्ति हो सकती थी। आपने यह कहा कि प्रपार्टी नहीं बेची गई वह परिशिष्ट 'ख' में है।

श्री भीमसिंह : क्या कहा आपने, समझ में नहीं आया।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: परिशिष्ट 'ख' में जो लास्ट लाइन है प्लान्ट मशीनरी, स्विच-बोर्ड इत्यादि की, वह १,२५,३०३) रु० का

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

माल ५५ से ६३ तक पड़ा हुआ है। उसको नहीं बेचने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : ग्राहक नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर्स या कोटेशन वगैरह इन्वाइट किये गये हैं ?

श्री भीमसिंह : टेन्डर्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि आप चाहें तो बाद में दे सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति ने मेम्बर्स की जनरल मीटिंग में कोई इस प्रकार की राय नहीं ली गई कि इनको लिक्वीडेटर्स मुकर्रर किया जाय जो कि लिक्वीडेशन रूल्स के अनुसार ली जानी चाहिए थी ?

श्री भीमसिंह : समिति ने दो लिक्वीडेटर्स मुकर्रर किये थे और दोनों उसमें शामिल थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति ने लिक्वीडेशन को मन्जूर किया था उस समय यह शर्त रखी थी कि प्रोपर्टी को बेचने के लिए पहले समिति का एप्रूवल लिया जायगा ?

श्री भीमसिंह : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिस वक्त लिक्वीडेटर्स बिठाये गये उस वक्त टोटल एसेट्स क्या थे ?

श्री भीमसिंह : टोटल एसेट्स के टोटल फीगर्स का किया हुआ नहीं है। अलग अलग फीगर्स हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लगभग कितने हैं ?

श्री भीमसिंह : अलग अलग रकमें हैं। कोई एक लाख की है, कोई ६४ हजार की है। अलग अलग फीगर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो माल फरोख्त किया गया है उस फरोख्तगी में अनियमितताएं हुई हैं और समिति के सब मैम्बर्स ने सरकार, लिक्वीडेटर और भारत सरकार को इसके सम्बन्ध में शिकायतें की थीं ?

श्री भीमसिंह : शिकायतें अवश्य आई हैं जिनकी जांच चालू है।

श्री भैरोंसिंह : जांच कब से चालू है ?

श्री भीमसिंह : जब से शिकायतें आई हैं।

श्री भैरोंसिंह : शिकायतें कब आई थीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब से जांच चालू है

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग लूट रहे हैं राजस्थान को।

श्री सम्पतिलाल बोहरा: लिक्वीडेटर का ऑफिस कितने बजे से कितनी बजे तक खुला रहता है, the liquidator is not available there.

श्री अध्यक्ष : ऑफिस नहीं खुलता है तो भी काम होता है।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री महोदय जांच करेंगे कि देर क्यों हो रही है लिक्वीडेट करने में। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे काफी तथ्य पूर्ण मालूम होती हैं। देर न हो इसके बारे में जांच की जाय।

श्री भीमसिंह : जांच करूंगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें आपको लिखित में इसके मेम्बरों ने दिया कि समिति के मेम्बर्स ने अविश्वास प्रकट किया है तो फिर आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? जब आप स्वयं 'हां' कहते हैं कि अविश्वास प्रकट किया तो फिर उनको लिक्वीडेटर्स क्यों रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह भी जांच करा लें कि रेग्युलर कार्यवाही होती हैं कि नहीं। यह बड़ा गम्भीर मामला है सारी बातों को देखते हुए।

(विराम)

शोर्ड नोटिस क्वेश्चन, श्री नत्थीसिंह।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बड़ा स्थगित प्रश्न है उसे जरूर ले लिया जाय।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वेश्चन है ८४५।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं होगा। समय समाप्त हो गया है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन।

(प्रश्न समय में न किये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम में वांछित संशोधन

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों के साथ २ राजस्थान सरकार को भी बदली हुई परिस्थिति के अनरूप राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम में वांछित संशोधन करने का निर्देश दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने सहकारी कानून में वांछित संशोधन सुझाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया था ? यदि हां, तो और उसके सदस्य कौन कौन थे ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कमेटी उक्त कानून में आवश्यक संशोधन करने सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट लगभग दो-ढाई साल पहले राज्य सरकार को दे चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) :

1. Yes.

2. A committee was appointed vide Government order No. F. 17 (186) Coop/58 dated 10th July, 1959. The members of the Committee were:–

1. Secretary to the Government, Co-operative Department.

2. Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, Jaipur.

Page No.33

(श्री भीमसिंह)

3. Joint Commissioner, Development Department.

4. Shri Mathura Das Mathur, M. P.

5. Shri Kumbha Ram Arya, Chairman, Rajasthan Rajya Kriya Vikriya Sangh Ltd. Jaipur, ane Member of Rajasthan State Co-operative Union.

6. Shri Ratan Lal Gothwal, President of State Co-operative Union.

7. Lala Chiranjilal Poddar, Vice President, Central Co-operative Bank Ltd., Bharatpur.

8. Shri P.M. Chatur, Vice Chairman, Udaipur Central Co-operative Bank Ltd., Udaipur.

The Secretary to the Government, Co-operative Department was appointed the Convenor of the Committee.

3. Yes. The report was received here on 11.7.60. The matter was considered at various levels.

Another committee has also been recently appointed which, along with other works, will attend to this work of revision of the Act taking into consideration the recommendations of working group on Co-operation and Panchayats and other decisions taken in the matter so far. Shri Ram Singh, Joint Development Commissioner is the Convenor of the Committee.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): आपने जो पैरा रेफर किया है वह सूची नहीं दी है। किन किन कारणों से एक्शन नहीं लिया ? वह बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कमेटी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए पुनः कमेटी बनाई गई है।

श्री नत्थीसिंह : उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या खामी पाई गई है जिसके कारण से फिर कमेटी बिठाई गई है ?

श्री भीमसिंह : सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दुबारा सही करने की हिदायतें थीं। उनके ऑर्डर के मुताबिक द्वारा फ्रेम करने होंगे।

श्री नत्थीसिंह : कौन से ऐसे उदाहारण है जिनके विषय में पहले की कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी थी ?

श्री भीमसिंह : ये डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं। अगर नोटिस देकर क्वेश्चन पूछें तो मैं निवेदन कर सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : एक स्थगित प्रश्न है, श्री श्रवणलाल का।

स्थगित प्रश्न

(२६–८–६३)

अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

२६४. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में शिक्षा विभाग के किस किस जिले के निरीक्षक के पास अध्यापकों के किस किस प्रकार के फिक्सेशन के कितने

(श्री प्रवणलाल)

कितने मामले विचाराधीन हैं और कब कब से और क्यों ?

(२) इन मामलों में किस किस जिले में अध्यापकों की अनुमानत: कितनी कितनी रकम होगी ?

(३) इन मामलों के निपटारे के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : राजस्थान शिक्षा विभाग के जिन जिन जिलों में फिक्सेशन के मामले बाकी हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसकी सूचना उपरोक्त सूची में अंकित है।

(३) इन मामलों को निपटारे के लिए लेखाधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी के संरक्षण में पार्टियां हर जिले का दौरा करती हैं तथा वहीं पर जो फिक्सेशन केसेज़ होते हैं, तय करती हैं। जिनमें कोई कमी होती है उन्हें पूरा कराया जाता है और ऐसे मामले जो किसी कारणवश तैयार न हो सके हैं उन्हें तैयार करने की हिदायत तथा किस तरह से तैयार किया जावे, बतलाया जाता है। समय समय पर इन केसेज़ को निबटाने के लिए हिदायतें दी जाती हैं। कुछ पुराने मामले निबटाने में खास दिक्कत है क्योंकि उनकी सर्विस–बुक आदि नहीं मिलती हैं जिन्हें तैयार करवा कर मामले तय किये जा रहे हैं। आशा है अब जल्दी ही फिक्सेशन के मामले तय हो जावेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किस जिले में आडिट पार्टी पहुंच चुकी है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसके लिए डिवीज़न्स बना दिये गये हैं और डिवीज़न्स के आधार पर तीन पार्टियां चल रही हैं। वह सूचना मेरे पास नहीं है कि कहां पहुंच चुकी है, लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि करीब करीब सभी जगह पहुँच चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : आप किसी भी जिले का ऐसा नाम ले सकते हैं जहां कि आडिट पार्टी ने पहुँच कर एरियर्स के सम्बन्ध में, फिक्सेशन के सम्बन्ध में केसेज़ डिस्पोज़ ऑफ कर दिये हैं इन्सपेक्टोरेट के लेवल पर।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सारे केसेज़ को डिस्पोज़ ऑफ कर दिये हैं। समस्याओं के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कई रुकावटें हैं, कइयों की सर्विस बुक नहीं मिली हैं वे नई बनाई जा रही हैं। किसी एक जिले में समाप्त हो, गया हो यह प्रश्न ऐसा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप ऐसा बता सकते हैं। किसी जिले के बारे में कि ऑडिट रिपोर्ट कि इन्सपेक्टोरेट लेबल पर इतने केसेज़ जेरतजबीज थे और इतने डिस्पोज़ ऑफ कर दिये हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : सूची में दर्ज है कि कहां कहां ऑडिट पार्टी गई। उसमें यह नहीं है कि ऑडिट पार्टी गई उस समय इतने केसेज़ थे और अब कितने केसेज़ बाकी हैं और इतने केसेज़ का डिस्पोज़ल इस अर्से में किया है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह अभी नहीं बता सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने यह कहा कि सर्विस बुक बना रहे हैं तो वह क्या रेकॉर्ड हैं जिनके आधार पर सर्विस बुक बना रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : कौन सी सरकार ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी और हमारी सरकार।

यह फिक्सेशन एकदम से कैसे लेते हैं ? फिक्सेशन क्या जब से नौकर होता है तब से लेते हैं। मालूम नहीं होता है। यह फिक्सेशन क्या बला है ? कब से यह पैदा हुई है और कब खत्म हो रही है ? फिक्सेशन से लाभ क्या है ? यह कैसे पैदा कर लिया है। किसी को गुलाम बनाने के लिए, किसी के घरों में शान्ति नहीं होने के लिए है ? आज तक फिक्सेशन एक्यूमुलेट क्यों किया गया है ? एक्यूमुलेट हो गया तो उसके बारे में जिस तरह की मशीनरी बन रही है उससे वह कितने साल में सुलझेगा ? उनकी जिन्दगी में फैसला कर सकेगी या नहीं कर सकेगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस बारे में मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वह पहले से ही हमारी निगाह में है, ध्यान में है। एकाउन्ट्स आफिसर्स नियुक्त किये जा चुके हैं जो कि दौरा कर रहे हैं इन्स्पेक्टोरेट लेबल पर। जहां जहां पर इन्सपेक्टर्स के ऑफिसेज़ हैं, उनके हैडक्वार्टर्स पर जाते हैं और वहां बैठकर निर्णय लेते हैं और फिक्सेशन में जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि एक साल के अन्दर सम्पूर्ण स्थिति साफ हो जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रश्न का लिखित रूप में उत्तर दिया गया है वह अधूरा है। पहला प्रश्न है : राजस्थान में शिक्षा विभाग के किस किस जिले के निरीक्षक के पास अध्यापकों के किस किस प्रकार के फिक्सेशन के कितने कितने मामले विचाराधीन है और कब कब से और क्यों ?

आपने कितने कितने तो बता दिये; पर किस किस प्रकार के हैं, वह नहीं बताया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : 'प्रकार' का नहीं कहा; तो मैं दुबारा अर्ज़ कर दूंगा, यह बड़ा मुश्किल है कि किस किस प्रकार के हैं।

श्री भैरोंसिंह : युनिफाइड पे स्केल्स के हैं, या रेशनलाइज्ड़ पे स्केल के हैं, कितने मैट्रिक ग्रेड के हैं, किनने इन्टर ग्रेड के हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह बड़ा मुश्किल है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि फिक्सेशन की बीमारी तय हुए बगैर कितने मर गये और कितने जिन्दा हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना चाहिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मरे हुओं की तो सूचना मेरे पास नहीं, जिन्दों की तो है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल : मैं बताना चाहूगा कि १६५० से १६६१ तक की रिपोर्ट दी है, २,२१,१३२) रुपया तो अभी तक पेंडिंग है, केसेज् की संख्या ७२ और २७७ बताई है। १३ साल तो हो गये, कितना समय और लगेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने समय की अवधि बता दी। हमने इसके लिये अलग स्टाफ मुकर्रर किया है अगर मैंने निवेदन किया है कि 'यथा शीघ्र इनको निबटाया जायगा और उस यथाशीघ्र' की एक साल सीमा बताई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इन केसेज् में फिक्सेशन करते वक्त टीचर्स को बताया गया कि तुम्हें ज्यादा तनख्वाह दे दी थी इसलिये वापिस वसूल की जायगी और वह वापिस वसूल की जा रही है !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपका जी चाहा उसको तरक्की दी, जी चाहा उसकी तनज्जुली की, मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं कि इनके सेक्रेटेरियेट के अन्दर इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको रख लेते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह बात असत्य हैं, माननीय अध्यक्ष ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कैसी दयनीय स्थिति है इन टीचर्स की, फिक्सेशन पार्टी ५ वर्ष बाद जाती है और कहती है कि आपका ग्रेड नीचा है, यह ग्रेड नहीं है, आपको यह ग्रेड नहीं मिलना चाहिये और उनसे पिछले ५ साल की तनख्वाह वसूल की जा रही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह प्रश्न में सम्मिलित नहीं है, बेबुनियाद है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेबुनियाद कैसे है !

श्री रामकिशन (बैर) : यह तथ्य है, बेबुनियाद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिस्ट केवल २१ जिलों की दी है, बाकी के जिले कहा गायब हो गये !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेसर्स ठठेरा एकता पंजाबी यूनियन, जयपुर

१० (३३६। ई० एम०) श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज् ने दिनांक १५-२-६२ को मैसर्स ठठेरा एकता पंजाबी यूनियन, जयपुर को ५ टन, मुरली मनोहर सहकारी मैटल वर्क्स जयपुर को ४ टन, मेसर्स जयपुर बरतन उत्पादन सहकारी समिति को ५ टन शीट्स व सर्किल्स देने के लिए मेसर्स मुखर्जी एण्ड कम्पनी, मेसर्स लक्ष्मी मेटल इन्डस्ट्रीज, मेसर्स जयपुर मेटल रोलिंग मिल्स के नाम एक आदेश जारी किया था ?

(ख) जिन फर्म्स को यह माल दिलाने का आदेश हुआ उनके प्रार्थना-पत्र कब २ से

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

विचाराधीन थे और इनको इससे पूर्व कब २ कोटा कितना २ मिला था ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार यह माल बरतन बनाने वाली उपरोक्त फर्म्स को नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि जयपुर में बरतन बनाने वालों के लिये इस आदेश के बाद अभी तक कोई माल नहीं मिला है ? यदि नहीं, तो किस किस को और कितना २ ?

(ङ) राजस्थान में ६०-६१,६१-६२ व ६२-६३ में अब तक किस किस व्यक्ति या फर्म को कब कब और कितने कितने जिंक कॉपर तथा पीतल (शीट्स अथवा सर्किल्स) का पीतल के बरतन बनाने के लिये परमिट मिला है और उसमें कितने को परमिट के अनुसार माल मिला है और किन को नहीं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. इन तीनों सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र जनवरी, १६६२ के प्रथम तथा द्वितिय सप्ताह में प्राप्त हुये थे। इससे पूर्व इन समितियों को कोई कोटा नहीं मंजूर किया क्योंकि इस विभाग के क्षेत्रीय उप-संचालक, जयपुर की सिफारिशें पहली बार प्राप्त होने ही के कारण इन को कोटा मंजूर किया गया था।

३. उपरोक्त समितियों को माल न मिलने का कारण यह था कि शीट्स व सर्किल्स की दरें निर्धारित नहीं हो पाई थीं। अलॉटमेंन्ट होने के पश्चात इन समितियों को माल ऐसी कीमत पर मिलना चाहिए था जो कि वाजिब हो। अतः कीमत का निरूपण करने के कारण देर हो गई और माल देरी से मिला। आदेशानुसार माल उपरोक्त तीन फर्मों को ही मिला है।

४. जी नहीं। सिर्फ नई बर्तन बनाने वाले व्यक्तियों या फर्मों को जिन्होंने अपना उद्योग १६५७ के बाद चालू किया था उन्हें माल नहीं दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति या फर्म सन् १६५७ के पहले से चालू थीं उन्हें माल बराबर दिया गया। १६५७ से पश्चात् स्थापित फर्मों को भारत सरकार की नीतिनुसार माल नही दिया गया जिन जयपुर को बर्तन बनाने वाली फर्मों या व्यक्तियों को इस आदेश के बाद माल मिला है वह संलग्न सूची के क्रम संख्या ५,३० से ३५ व ३७,३८ व ४२ में अंकित हैं।

५. राजस्थान में ६०-६१,६१-६२ व ६२-६३ में अब तक जिस जिस व्यक्ति तथा फर्म को तांबे, जिंक शीट्स आदि का वितरण किया गया है। उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिए)

वसूली की रकम बट्टे खाते सम्बन्धी

११. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने वर्ष १६६२-६३ में कोई भी बकाया वसूली की ५००) रू० से अधिक की रकम किसी भी विभाग की बट्टे खाते लिखी है ? यदि हां, तो उसकी सूची विवरण

Page No.38

श्री रामानन्द अग्रवाल)

सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

चाही गई सूचना इकट्ठी की जारही है। तमाम Administrative Departments को १-४-६३ व २३-७-६३ को यह जानकारी भेजने के लिये लिखा गया था। लेकिन बावजूद Rewinders के बहुत से Departments से अभ तक जवाब नहं मिला है। चूंकि वह जानकारी सरकार के सारे Departments और offices से ताल्लुक रखती है, इसलिये जवाब आने में देरी हो रही है। अब तक जो सूचना मिली है वह नत्थी है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिए)

राज्य में खोली गई माध्यमिक पाठशालाएं

१२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जुलाई ६३ से शुरू होने वाले सैशन के लिये जिलेवार कितनी कितनी माध्यमिक पाठशालायें कहां कहां पर खोली गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जुलाई ६३ से शुरू होने वाले सेशन में जो प्राथमिक शालायें माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित की गई उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिए)

(३. ४७ म. प)

जागीर कमिश्नर के फैसलों (तारांकित प्रश्न ४१६) सम्बन्धी आधे घंटे का वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, तारीख १८ मार्च, १९६३ के मेरे तारांकित प्रश्न सं० ४१६ से उत्पन्न मुद्दों के ऊपर मैं आधे घंटे की चर्चा शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चर्चा शुरू करने से पहले मैं सदन को इसकी पृष्ठ भूमि से कुछ अवगत कराना चाहूंगा। जो भी तथ्य इस प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार की ओर से दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

१९५८ से १९६२ तक राजस्व मंडल में ३१६ अपीलें प्रस्तुत की गई थीं जिनमें से २१९ अपीलें १९६२ तक फैसल हुई थीं; उन २१९ में से १९६ राजस्थान सरकार के पक्ष में और २३ अपीलें नामंजूर हुईं। इस तथ्य के साथ मैं यह भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो अपीलें जागीर कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध राजस्व मंडल में प्रस्तुत की गई थीं उनमें ये २३ भी शामिल थीं जिनको राज्य सरकार ने राजस्व मंडल से विद्ड्रा किया। जितनी अपीलें राजस्व मंडल में जागीर कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध प्रस्तुत हुई थीं वे सब की सब राजस्थान सरकार के हक में फैसल हुई हैं तो यदि मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि २३ अपीलों के सिवाय जो कि राज्य सरकार ने विद्ड्रा की हैं उनके सिवाय सब की सब अपीलें राज्य सरकार के पक्ष में हुई हैं। इन

(श्री तेजाराम गहलोत)

तथ्यों को देखते हुए सदन भी सहमत होगा कि जागीर कमिश्नर के फैसले के खिलाफ राजस्व मंडल में पेश हुई हैं वे सब सही आधार पर पेश की गई हैं।

अब प्रश्न पैदा होता है कि २३ अपीलें विद्ड्रा क्यों कीं। मैं एक एक अपील के बारे में नहीं जाना चाहता; पर मैं एक अपील को लेकर जो कि सूची में संख्या १४ पर दर्ज है, उसको लेकर तथ्य सदन के समक्ष रखूंगा। यह जागीर सिरियारी की है जो पाली जिले के सोजत सब-डिवीजन में स्थित है। मैं सदन को इस बात से भी अवगत करना चाहूंगा कि सोजत सब-डिवीजन में मौजूदा बन्दोबस्त किस वख्त हुआ; क्यों कि बन्दोबस्त का असर इस अपील पर पड़ता है। दिसम्बर १६६३ को बन्दोबस्त के पर्चे बांटे गये थे और उन पर्चों में लिखित शर्तों के माफिक बन्दोबस्त की अवधि फसल सम्वत् २०१० से लागू होना लिखा है, यह ईस्वी सन् ५३-५४ था। तो यह बात सदन के सामने साफ है कि सिरियारी में बन्दोबस्त हुआ उसकी शर्त फर्स्ट दिसम्बर, सम्वत २०१०, ईस्वी सन् ५३-५४ से शुरू होती है। इन तथ्यों के आधार पर मैं सदन को इस बात से अवगत कराऊं कि जिस तरह की, जिस केटेगरी की जागीर सिरियारी की है उसी तरह की उसी केटेगरी की सोजत सब-डिवीजन में १८ जागीरें और हैं। जिस तरह की कॉम्प्लीकेसी, परिस्थिति सिरियारी की है उसी तरह की परिस्थिति सोजत सब डिवीजन में १७ जागीरों की और है। इस सब डिवीजन में पर्चे देर से बंटे थे इसलिये लगान वसूल कर लिया, इस प्रोसीजर को रेगुलराइज़ करने के लिये हिदायत निकाली थी कि जिन जिन गांवों में जिन जिन व्यक्तियों से लगान वसूल कर लिया है उनसे कैश रेंट रबी में वसूल किया जायगा। इस सर्कुलर का आशय यह नहीं था कि बन्दोबस्त के कमेन्समेंट के समय को पलट दिया बल्कि उसका आशय यह है कि जिन काश्तकारों से लगान बंटाई के तौर पर ले लिया है दुबारा वसूल नहीं हो और इसी को रेगुलराइज़ करने के लिये सर्कुलर निकाला गया। मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट था उस एक्ट के नीचे सेटिलमेंट के कमेन्समेंट के परिवर्तन करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं था।

मैंने ये मुद्दे इसलिये रखे हैं कि इन्हीं मुद्दों को ले कर केस का निर्णय होना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, जो यह केस है, इसके अन्दर जो निर्णय किया गया है कि लटाई की कैश रेंट के अनुसार मुआवजा दिया जाय। इस केस के सम्बन्ध में आम लोगों में जिस तरह की भ्रमनाएं हैं, विचारधाराएं हैं वे भी मैं अर्ज कर दूं। लोग यह कहते हैं कि १७ जागीरें और इस किस्म की हैं, उन्हें लटाई के आधार पर मुआवजा नहीं दिया गया तो सिरियारी की जागीर का मुआवजा लटाई के आधार पर क्यों दिया गया।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जो एम. पी. हैं, कांग्रेस टिकट से, वही हैं न ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय प्रश्न इसलिये आ जाता है कि इस सिरियारी जागीर के पाटवी कुंवर विजयसिंहजी इस विधान सभा द्वारा राज्य सभा के संसद सदस्य चुने हुए हैं। और जनता में आम चर्चा है कि विजयसिंहजी ने

(श्री तेजाराम गहलोत)

राजस्थान सरकार पर नाजायज़ दबाव डाल कर यह केस अपने हक में करवाया है ।

मैं इस तरह की बात कह कर और कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन जहां तक क़ानूनी परिस्थिति है वह यह है कि इसी सदन में सन् १६५६ में राजस्थान में सैटलमेन्ट रेंटे रेट वेलिडेशन एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट्स से पास किया था और उसके बाद में इस तरह के कॉम्प्लीकेशन्स, किसी भी जागीर में बेसिक ईयर में कुछ हिस्सों में लटाई भी कर दी या आदेश जारी कर दिये तो उसके लिए यह एक्ट ५६ में निकाला कि आदेश का पीरियड लागू होगा या लटाई का, को दूर करने के लिए यह माना गया कि जो भी पीरियड अर्लियर है वह लागू होगा कम्पेन्सेशन देने के लिए। इस आधार पर रेवेन्यू बोर्ड में राज्य सरकार ने अपील पेश की। अब प्रश्न यह है कि जब इस आधार को मान कर अपील पेश की तो वापिस उसको विद्ड्रॉ क्यों किया? यह एक गम्भीर मसला है और हर आदमी को इस मामले में शंका होती है। कोई न कोई शंका की बात है कि पहले राज्य सरकार ने अपील की और उसको विद्ड्रॉ किया। आखिर क्यों विद्ड्रॉ किया? प्रजातन्त्र में जनता की आस्था बढ़े, सदन को विश्वास दिलाने के लिये सरकार इसका स्पष्टीकरण करे कि इस एक्ट का प्रावधान होते हुए भी अपील को विद्ड्रॉ क्यों किया और अपील विद्ड्रॉ की है तो उससे सरकार का क्या हित हुआ है, और विद्ड्रॉ नहीं करती तो क्या अहित होता?

एक माननीय सदस्य: मुआवजा कितना दिया गया?

श्री तेजाराम गहलोत: एक मिनिट अर्ज कर दूं। सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर अपील की और उसमें सरकार का खर्चा हुआ, बाकी एंगेज किया गया, ये सारे खर्चे कर लिये गये, लेकिन जब फैसले पर अपील आयी तो उसको विद्ड्रॉ कर लिया गया। इसकी क्या जरूरत थी?

मैं यह चाहूंगा कि माननीय उप-मंत्रीजी मेरे निम्न प्रश्नों का उत्तर दें और उनका मुद्देवार उत्तर दें, वह यह है कि जागीर कमिश्नर की सूची में यह बताया गया है....

श्री अध्यक्ष: सब को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य तौर पर दे ही दिये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्षजी, कई वर्ष पहले राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड में जागीर के मुकदमों की और दूसरे मुकदमों की अपीलें हुई थीं। जिनकी संख्या माननीय सदस्य ने बतायी। उनमें से माननीय सदस्य ने २३ अपीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनमें सरकार ने अपील करने के बाद विद्ड्रॉ करने का फैसला किया। इन अपीलों में से एक अपील पर खास तौर से कहा गया हालांकि दूसरी २२ अपीलें और रहती हैं। जिस अपील के लिए कहा गया उसके असली वाक़यात ये हैं।

सिरियारी ठिकाना, जिसके बारे में कहा जाता है कि अन्सैटिल्ड ठिकाना था। उसका सैटलमेन्ट कराया गया। उसके बारे में रैंट रेट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट २३-१२-५३ को प्रस्तुत की गई। उसमें यह प्रावधान किया कि संवत् २०१० के खरीफ से यह सैटिलमेन्ट कैश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में मानी जावे। २३-१२-५३ की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह सैटलमेन्ट सारा मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगा। उसमें एक रिलेवेन्ट सेक्शन है ८६ उसके प्रावधानों से दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि वह फोर्स में कब आये ? एन्सुइंग ईयर है उसके नेक्स्ट ईयर से फोर्स में आ सकता है। अर्लियर लाना हो तो रीज़न देना पड़ता है सैटलमेन्ट कमिश्नर को। तो ये दो बातें होना आवश्यक थीं। जब २३-१२-५३ को यह रैंट-रेट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो एतराजात आये। पर्चे बंटे थे तो उसके पहले ही २०१० संवत् की खरीफ की लटाई से लगान वसूल हो चुका है ६० परसेन्ट से ज्यादा हिस्सों में, थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी रहा हो बाकी ६० परसेन्ट से ज्यादा हिस्सों में लटाई से वसूल हो चुका था। जब ६० प्रतिशत से अधिक हिस्सों में लटाई से लगान वसूल कर लिया है तो यह गवर्नमेन्ट का डिफेक्टिव ऑर्डर है। ११-२-५४ को गवर्नमेन्ट ने एक ऑर्डर निकाला। दो बात कीं इससे। एक तो २३-१२-५३ की जो रेंट रेट रिपोर्ट थी उसको मोडिफाई किया। उसको मोडिफाई कैसे किया ? उसको मोडिफाई इस प्रकार किया कि जिन हिस्सों में लटाई से लगान वसूल किया जा चुका है यानी खरीफ का वसूल किया जा चुका है लटाई से, उसमें लटाई के हिसाब से इन्कम गिनी जाय। और रबी है उसमें कैश के हिसाब से गिनी जाय। ११-२-५४ का यह ऑर्डर निकला और उसके बाद जब कि हमने एक रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट निकाला वेलिडेशन के लिए उन ऑर्डर्स का तो उसमें हमने रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से वेलिडेट किया है, वह ८ सितम्बर के गजट में प्रकाशित हुआ था, २८ को एसेम्बली से पास हुआ और २७ को जागीर कमिश्नर ने इस मुकदमे का फैसला दिया। फैसला होने पर सरकार ने अपील की वेलिडेशन एक्ट के हिसाब से। अपील इस बिना पर की कि ११-२-५४ का जो गवर्नमेन्ट का ऑर्डर दिया हुआ है वह अल्ट्रावायर्स है और रोंग है। यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील की थी। यह मैन कन्टेन्शन लेकर अपील की थी और यह खयाल था कि यह वेलिडेशन एक्ट पास कर दिया है वह इस केस को कवर करता है और ११-२-५४ को दिया हुआ सरकार का हुक्म नाजायज़ है। इस दृष्टि से अपील की थी। अपील करने की स्टेज पर विधि विभाग से राय नहीं ली गई थी। अपील हो जाने पर इसके इन्टरप्रिटेशन का सवाल आया। रिप्रेजेन्टेशन आये। सारे मामलों को फ्रोम दी लोएस्ट टु दी हाइएस्ट लॉ डिपार्टमेंट से एग्ज़ामिन कराया। दो तथ्य सामने आये। ११-२-५४ का ऑर्डर जो गवर्नमेन्ट ने दिया था वह क्या था ? वह ऑर्डर जो था वह यह था कि २३-१२-५३ को जो रेंट-रेट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसको मोडिफाई करने का था, उसको अमेन्ड करने का प्रावधान था। अब दूसरा सवाल यह था कि इसको मोडिफाई करने का मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत सरकार को अधिकार था या नहीं और अधिकार था तो रेंट रेट रिपोर्ट ऑरीजिनल थी वह मोडिफाई होकर उसकी पार्ट एन्ड पार्सल बन जाती है, अगर पार्ट एन्ड पार्सल बनती है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब कि रेन्ट रेट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी २३-१२-५३ को as modified by 11. 2. 1954, यह पार्ट एन्ड पार्सल एक डॉक्यूमेंट बनता है। इसमें यह राय हुई कि मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई मुमानियत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं है कि गवर्नमेन्ट की मंजूरी के लिए जो रिपोर्ट दी हुई है उसका इम्प्लीमेन्टेशन कब से हो। उसको चेन्ज करने का अधिकार है। जब सरकार को अधिकार हैं तो ११-२-५४ का जो ऑर्डर है वह कब से लागू हो वह इन्टरप्रिटेशन वाजिब है। जब वाजिब है तो रैंट रेट रिपोर्ट का वह पार्ट बन गया। जो वेलिडेशन एक्ट बनाया है उसको उससे वेलिडेट किया है। इसका मतलब यह है कि २३-१२-५३ की जो रिपोर्ट as modified by the order dated 11. 2. 54, in compact form was validated by the Revalidation Act.

तो इस प्रकार से ११-२-५४ का ऑर्डर वेलिडेट करता है। उसके तहत कार्यवाही की गयी है।

दूसरा गवर्नमेन्ट के सामने इस केस को विड्ड्रॉ करने को यह भी था कि गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर खुद ने दिया पहले की रिपोर्ट को मोडिफाई करने का

(४.०० म. प.)

सरकार को यह अच्छा नहीं लगता कि खुद के निकाले हुए ऑर्डर्स अल्ट्रा-वायर्स करार हों। इन कानूनी कारणों से और कानूनी सलाह के आधार पर जो सरकारी एडवोकेट, लॉ विभाग और जागीर विभाग के कानूनी सलाहकारों और रेवेन्यू के सलाहकारों के कहने के बाद सरकार ने बहुत सोचा और यह निर्णय किया कि इस मुकदमे को विड्ड्रॉ किया जाय और इसी के आधार पर यह मुकदमा विड्ड्रॉ किया गया। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिसके आधार पर कोई उनके साथ खास फेवर करने की या कानून के विरोध में जाने की या नाजायज़ फायदा देने की, इस प्रकार की बातें नहीं हैं। जो परिस्थितियां विड्ड्रॉ करने के लिए थीं, वे मैंने सदन के समक्ष निवेदन की हैं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों को दूसरे केसों के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जिसके अन्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील की गई। उसके साथ-साथ सरकार ने जागीर कमिश्नर के पास रिव्यू पिटीशन कर दी और जब जागीर कमिश्नर के पास सरकार द्वारा की हुई रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने रेवेन्यू बोर्ड को जिस रिलीफ के लिए ऐप्रोच किया वह जागीर कमिश्नर के पास रिव्यू के ज़रिए मिल गया। इसलिए ८ अपीलों को हमने विड्ड्रॉ किया। कुछ अपीलों के संबंध में जो करीब-करीब एक किस्म की हैं और झुन्झुनू और सीकर जिलों से संबंधित हैं, वहां इस प्रकार की प्रथा थी कि जागीर के जितने कम्पेन्जेशन दिए थे, उसमें एग्रीकल्चरल लैंड और आबादी लैंड, दोनों से हुई आय, को कम्पेन्सेशन के लिए नहीं माना। इसलिए जितने केसज़ पहले थे वे इस प्रकार के थे लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अन्दर एक जजमेंट हुआ, उस जजमेंट के अनुसार यह तय पाया कि यह बात नहीं है। इस इलाके के जागीरदारों के लिए खेती के लिए जमीन बेचने का अधिकार नहीं है इसलिए इस प्रकार का निश्चय किया गया कि यह उनके मुआवजे के लिए आय नहीं मानी जा सकती। यह फैसला हुआ कि खुद की जमीन खेती के लिए दी हुई वह आय नहीं मानी जा सकती। लेकिन आबादी जमीन को बेचने का अधिकार

Page No.43

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उनको था । इसलिए कुछ केसेज़ इस प्रकार के हैं जिनमें रेवेन्यू बोर्ड का ऐसा डिसीज़न है । इस वजह से आबादी के लिए बेची हुई जमीन से हुई आय कम्पेन्सेशन के गिनने के अन्दर शुमार किया गया । इसलिए कानून की दृष्टि से जो सरकार ने हाई लेविल पर एक डिसीज़न लिया कि आबादी की जमीन से जो आमदनी हो वह गिनी जानी चाहिए । तो उस दृष्टि से इस प्रकार के जो केसज़ थे वे विद्ड्रॉ किए गए । तो इसमें कोई नीयत की खराबी नहीं है या पक्षपात की भावना नहीं थी । उस समय जैसे रिप्रेज़न्टेशन्स आए उनको इग्ज़ामिन किया गया । कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया और उसी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई ।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर विभागों में जो अपीलें होती हैं वे सेक्रेटेरियेट लेविल पर आती हैं । जब रिप्रेजेन्टेशन्स की बात आई तो एक कमेटी बनाई गई सरकार की ओर से, जिसके अंदर लॉ सेक्रेटरी, ओ. एस. डी. जागीर, ओ. एस. डी. रेवेन्यू और रेवेन्यू सेक्रेटरी और सलाहकार, कुल पांच आदमियों की बनाई गई, तो जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो सरकार या मिनिस्टर अकेला इन चीज़ों को डील विद् नहीं करता । वह कमेटी इग्ज़ामिन करती है और उसके बाद उनकी जो जोइंटली राय होती है उसके आधार पर सरकार कोई एक्शन लेती है । आजकल वह कमेटी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ पर भी काम करती है और जब इस प्रकार के केसज़ विद्ड्राल के आते हैं, तो उसको रेफर किए जाते हैं । कमेटी १६६० में बनी थी, उसके पूर्व जो केसज़ हैं उनकी बात नहीं है । तो इस विषय में मुझे यही कहना है ।

श्री अध्यक्ष : (अनेक माननीय सदस्यों के उठने पर) अब इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वादविवाद नहीं है । लैंड रेन्ट रेट अगस्त सन् १६५३ का जो सैटलमेंट बंदोबस्त का हुआ था, वह सरकार ने मोडीफाई कर दिया, इसलिए वह उसका पार्ट बन गया ।

श्री अध्यक्ष : वह बहस हो गई । बहस अगर एक दफा शुरू हुई तो फिर चलती रहेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फैक्ट्स की जानकारी करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है । नियमों के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गंभीर है ।

अध्यक्ष : गंभीर है तभी तो नियमों के अनुसार यहां इस पर बोलने की इजाजत दी गई ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं तो यही कहता हूं कि मामला गंभीर है । आप इसकी जांच करने के लिए सदन के सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दें ताकि सच्चाई सामने आ जाय । लॉ डिपार्टमेंट का इसमें बहुत गड़बड़ घोटाला है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वही सरकार तो उनको विद्‌ड्रॉ करे और वही सरकार कहती है कि संदेह करने की बात नहीं है, तो क्या उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह तो कारण बताया कि सरकार के खुद के विरुद्ध यह कहा गया ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए-खड़े हुए)

Order Please. I will not permit any discussion.

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

राजस्थान मनी लैंडर्स बिल, क्लॉज़ ६ ।

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

[खण्ड ६ पर आज निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(i) In sub-clause (1) substitute the words "State" for the word "area" occuring for the second time.

(ii) Delete part (f) of sub-clause (2) of clause 6.

(iii) In part (b) of sub-clause (4) delete the words "within the limits of the area of the Registrar" and also substiute the word "State" for the word "area" occuring in para facing part (b) of the sub-clause.

(iv) Insert "A For Annual Licence" as heading to parts (a) and (b) of sub-clause (4) and add the follwing table before "Explanation" to the sub-clause :-

"B-for permanent Licence :

(a) If the place at which the business of money lending is to be carried on is not more than one ; Rs.50/-

(b) If the business of money-lending is to be carried on at more than one place ; Rs.50/- for the licence for the principal place of business and Rs.2/- for the licence for each of the other places."

श्री रामान्द अग्रवाल (अलवर) : Replace sub-clause (4) by the following :-

"(a) If the total amount of capital which the moneylender intends to invest during the year does not exceed Rs. 5,000/-. Rs.25/-

(b) If the total amount of capital which the money lender intends to invest Rs. 50/-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

exceeds Rs. 5,000/- but does not exceed Rs 10,000/-.

(c) If the total amount of capital which the money-lender intends to invest exceeds Rs. 10,001/- but does not exceed Rs. 25,000/-.	Rs.100/-
(d) If the total amount which the money-lender intends to invest during the year exceeds Rs. 25,001/- but does not exceeds Rs. 50, 000/-.	Rs.250/-
(e) If the total amount which the money-lender intends to invest during the year exceeds Rs. 50,001/- but does not exceed Rs. 1, 00, 000/-.	Rs.1,000/-
(f) If the total amount to be invested exceeds Rs. 1,00,000/-.	Rs. 1,000/- for every additional one lac or fraction thereof.

Provided that if the business of money-lending is to be carried on at more than one place than the licence for places other than the principal place shall be issued on payment of Rs. 10/- for each such place."]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में विशेषकर इस बात का प्रोवीज़न है कि लाईसेंस किस तरह से होगा । लाइसेंस कितने टेन्योर के लिए होगा, इसकी क्या फीस होगी, वह किस एरिया के लिए होगा । इसके बारे में मैंने नोट ऑफ डिसेंट भी लिखा है और मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार का है कि इस लाइसेंस की पद्धति इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारे यहां अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, उनको बारबार नहीं आना पड़े । हमारा जो स्टॉफ है उसका समय बरबाद न हो । इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाइसेंस दो प्रकार के हों । एक तो परमानेंट लाइसेंस यानी सालाना के बजाय एक मुश्त फीस दें । दूसरा टेम्पोरेरी लाइसेंस; यानी यदि कोई गरीब आदमी एक बार लाइसेंस नहीं ले सके-तो उसके लिए सुविधा दे सकते हैं, वे एन्युअल लाइसेंस ले लें । इस प्रकार लाइसेंस की पद्धति दो प्रकार की होनी चाहिए । परमानेन्ट लाइसेंस में फीस कुछ अधिक हो सकती है और टेम्पोरेरी में एन्युअल हो सकती है ताकि दिन प्रतिदिन या प्रतिवर्ष जो रिन्यू कराने जाते हैं वह बात खत्म हो जायगी । इसमें एक विशेष परिस्थिति यह है कि हर वर्ष दो माह के अन्दर साल खत्म होने के पहले लाइसेंस रिन्यू करने का प्रोविज़न रखा है और सारे राजस्थान में एक ऐसी ऐप्लीकेशन्स होंगी जो आपके पास आएंगी और आप कार्यवाही करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास भेजेगा तो रजिस्ट्रार एक साइनिंग मशीन होगा । इसके अलावा और कोई कार्य नहीं होगा । तो सेल्स टैक्स में यह तकलीफ महसूस की गई । यदि आप कहते हैं कि इन फीज़ को आप फीस की दृष्टि से नहीं देखते हैं तो मुझे आपको परिवर्तन करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए । लाइसेंस फीस यदि वास्तव में फीस है तो जो बड़े व्यापारी हैं उनको एक बार फीस देकर लाइसेंस मिल जाना चाहिए और जो गरीब

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

आदमी हैं और जो टेम्पोरेरी लाइसेन्स लेना चाहते हैं उनको वैसा ही मिलना चाहिए। बाकी आपका जो संशोधन है, जो मन्त्री महोदय, ने रखा है कि तीन साल की फीस ली जायेगी शायद हमारे इस आर्ग्युमेंट को सुनकर परमानेन्ट लाइसेन्स के बजाय तीन साल का कर दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, वह तो उल्टे और भी बुरा हुआ। जो गरीब आदमी हैं उनको एक साथ १५ रुपये देने पड़ेंगे। एक्चुअली होना यह चाहिए कि जो ५ हजार से नीचे वाले व्यक्ति हैं वे साल भर तक रखें या नहीं। जो परमानेन्ट धन्धा करने वाले लोग हैं और जो हमेशा के लिये लाइसेन्स लेना चाहते हैं, उनको आप परमानेन्ट लाइसेन्स दीजिये ताकि उनको बारबार न आना पड़े। आपके यहां एप्लीकेशन देगा, उसमें कुछ खामियां होंगी तो उसको वापिस जाना पड़ेगा, ऐसी बातों के लिये परेशान होना पड़ेगा। इसलिये एक लाइसेन्स जिसका हो जाय उसको सस्पेन्ड न किया जाय जब तक कि वह कानून के खिलाफ कुछ नहीं करता तब तक उसका लाइसेन्स वेलिड माना जाय।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि जो एरिया प्रेसक्राइब किया गया है, उसमें किसी एक डिस्ट्रिक्ट का होगा या किसी एक तहसील का होगा। सारी राजस्थान स्टेट है इसलिये एक बार लाइसेन्स लेकर कोई भी व्यक्ति कहीं भी सारी स्टेट के अन्दर लेन-देन का धन्धा कर सकता है। मुख्य कार्यालय कहीं पर हो वहां की वह दरख्वास्त दे दे, बाकी जहां कहीं ब्रान्च ऑफिसेज़ खोलता है वहां उसको ब्रान्च ऑफिस के लिये लाइसेन्स फी देनी होगी; वह चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें एक सुविधा होगी और वह यह कि व्यापारी सारे राजस्थान में कहीं भी व्यापार करता है उसकी रिपोर्ट सब हैड ऑफिस में आयगी वहां सब एक्यूमुलेट होगा। इसके अलावा आप यह चाहते है कि ब्रान्च ऑफिस अलग रिपोर्ट दे तो यह भी किया जा सकता है। इस तरह से उसकी कन्टीन्युटी रहेगी लेटर हैड पर भी सब लिखा होगा। हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट के लिये अलग अलग लाइसेन्स की जो नौबत है उससे उसको छुटकारा मिल सकेगा। इस तरह से केवल एक दो जगह लाइसेन्स के लिये जाना पड़ेगा। जैसे चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का आदमी है और एक तरफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट; इस तरह से दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पास पास में होने के कारण दोनों जगह रिटर्न सब्मिट करना होगा। जिस तरह से सेल्स टैक्स का लाइसेन्स है उसके लिये एक लाइसेन्स है। ब्रान्च खोलना चाहते हैं वहां ब्रान्च के लिये लाइसेन्स की दरख्वास्त देनी पड़ती है, इस प्रकार लाइसेन्स की सुविधा हम दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ भीम से आने वाली माननीय सदस्या ने कल कुछ बातें कहते हुए एक समाज के लोगों पर आक्षेप किया। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं उनको किसी भी समाज पर आक्षेप नहीं करना चाहिये था। आपने तुलसी-दासजी का दोहा कहते हुए यह कहा कि वणिक पुत्र अविश्वसनीय हैं। यह बात सही हो सकती है वे मुख्य मंत्री पर यह आरोप लगाया है आपके साथी मंत्री जो वणिक पुत्र हैं उनके लिये यह कहावत सही हो सकती है। इस प्रकार की बात कहना देश के बहुत बड़े लोगों का अपमान है। महात्मा गांधी भी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

वणिक पुत्रों में हैं, भामाशाह भी वणिक पुत्र हैं; इस प्रकार किसी जाति विशेष पर आरोप लगाना मैं समझता हूं उनके लिये शोभा नहीं देता। कहावतों के आधार पर कुछ कहा जा सकता है तो यह भी कहावत है :—

"आगम बुद्धि बाणियां"

इसके अलावा तुलसीदासजी ने यह भी कहा है, "ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताडन के अधिकारी"

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : वहां ताड़ना का मतलब से है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी समाज या जाति पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तुलसीदासजी की चौपाई कही थी उसमें जो वणिक पुत्र का उल्लेख आया उसका मतलब है लेन-देन करने वाला। आप जहां ढोल, पशु और कह सकते हैं तो कहिये उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। यह भी कहावत है:

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'

तुलसीदासजी के वाक्य को आप गलत मानते हैं क्या? यदि गलत मानते हैं तो तुलसीदासजी ने जो रामायण की रचना की है वह भी गलत मानिये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपका आरोप किसी समाज विशेष पर था। आप राजपूत जाति से है, राजपूतों में डाकू हुए हैं डाकू लक्ष्मणसिंह, जगमालसिंह, आदि कई हैं तो यह थोड़े ही कहा जा सकता है कि राजपूत जाति में डाकू ही होते हैं ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने केवल तुलसीदासजी की चौपाई कही थी, इसका मतलब किसी कौम पर आक्षेप नहीं था: लेन-देन करने वाला है उसको वाणिक माना गया है। ढोल, पशु, नारी आप कह सकते हैं इसमें आपकी बहिन भी आती है और आपकी माता भी आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज़ के सब क्लॉज (४) में संशोधन है। जब बजट अधिवेशन हो रहा था उस समय हमारी ओर से यह सजेशन दिया गया था कि मनी लैन्डर्स पर लाइसेन्स लगा कर कुछ अर्थ व्यवस्था की जा सकती है। उस समय गवर्नमेन्ट ने आश्वासन दिया था; गवर्नमेन्ट मनी लैन्डर्स बिल ला रही है और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करेगी। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था इस मौजूदा ड्राफ्ट बिल में है उसमें सभी लोगों पर वही पांच रुपया फीस रखी है। माननीय उप मंत्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसमें इस आधार पर तब्दीली न करके केवल उसमें तीन वर्ष के लिये कर दिया गया है। कल भी उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि अगर इसको दूसरी तरह से करते तो टैक्सेशन का प्रोपोज़ल हो जाता जिसके लिये कॉन्स्टीट्यूशनल डिफीकल्टी हो जाती, इसलिये हमने ऐसा नहीं किया। माननीय उपमंत्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, तीन साल के लिये उसके लिये लाइसेन्स फी १५ रुपये रख कर छूट दे दी है। इसका मकसद यह होगा कि आयन्दा सरकार यह नहीं सोचती कि इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्ट के लिये इस पोलिसी को, इस लाइसेन्स के जरिये उनका जितना टर्न ओवर होता है साल भर में उस आधार पर लाइसेन्स फीस लगाकर उनके साथ सोशयल जस्टिस कर सकती। जो छोटे हैं, जो थोड़ा पैसा इस तरह से देते हैं, जिनका टर्न ओवर थोड़ा है और जो ज्यादा टर्न ओवर करते हैं उनसे ज्यादा फीस आनी चाहिये, इस बात को भी भविष्य के लिये खत्म कर दिया गया है। गवर्नमेन्ट इन्टेन्शन मालूम नहीं पड़ता है। मैं इस अमेन्डमेन्ट के जरिये इसमें यह रखना चाहता हूं कि यह जो लाइसेन्स फीस रखी गई है वह टर्न ओवर के आधार पर रखी जाय। जितना टर्न ओवर करते हैं उसके आधार पर होनी चाहिये। इस धारा में जो एक क्लॉज़ रखा गया है जिसमें पूछा है कि साल भर में कितना मनी इन्वेस्ट किया है या करेगा उसका मकसद भी यदि टर्न ओवर के आधार पर लाइसेन्स लगाना है तो यह इन्फोर्मेशन लेना भी रिडन्डेन्ट हो जाता है। आज जब कि राज्य सरकार के सामने वित्तीय डिफीकल्टीज़ हैं। हमारे पास यह एक साधन है ऐसी क्लास को जो पैरेसाइट क्लास हैं, ऐसी इन्कम इन दी लोंग रन कम से कम करना चाहते हैं जिस क्लास को समाजवादी समाज रचना में बाधक मानते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जिसको एक्सटर्मिनेट करना है, इस तरह का काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हाथ में देना है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेंट के जरिये मैं चाहता हूँ कि इस तरह से यह फीस रखी जावे :

पांच हजार तक बिजनैस करने वालों पर २५)
पांच हजार से १० हजार तक का ५०)
१० से २५ हजार तक का बिज़नैस करने वालों पर १००)
२५ से ५० हजार तक ,, ,, २५०)
५० से १०० हजार तक ,, ,, १०००)

और एक लाख से अधिक की टर्न ओवर जिनकी हो उनसे प्रति एक लाख या उसके फ्रिक्शन पर एक हजार रुपया लाइसेन्स का हो। इस प्रकार का मेरा यह संशोधन है।

इन्हीं आधारों पर एक संशोधन कांग्रेस बैंचों की ओर से देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या की ओर से भी रखा गया है। उसमें यद्यपि रकम कम है पर उसका आधार भी यही है कि टर्न ओवर के आधार पर फीस रखी जावे। यह हो सकता है कि प्रारम्भ में आप इतनी रकम लगाना पसन्द न करें पर थोड़ी शुरुआत में लगा दें तो मैं उसको एग्री कर जाऊंगा। पर आधार इसका टर्न ओवर होना चाहिए न कि फ्लैट रेट जैसा कि इसमें रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मन्त्री महोदय की मनोवृत्ति ऐसी मालूम पड़ती है कि घर वाला अपने को मारता है तो छाया में तो पटकता ही है; इसी तरह से वे इस बिल को पॉयलेट कर रहे हैं। जितना भी अपने हाथों से प्रोटेक्शन मनी लैंडर को दे सकें दे दें। यही प्रवृत्ति मुझे तो इस धारा में भी उनकी मालूम पड़ती है। जो उन्होंने तीन साल की फीस एक बार ले लेने का जो संशोधन रखा है उससे उन्होंने यह इन्डिकेशन दे दिया है कि आइन्दा भी उनको कोई खतरा न रह जावे। जो तीन साल के लिए फीस ले लेंगे तो ले लेंगे आगे वित्तीय वर्षों में भी बढ़ा नहीं सकेंगे, उससे और जो कम से कम लाइसेन्स ले लेंगे वे तो प्रोटेक्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हो ही जावेंगे। इसलिये मैं चाहूँगा कि वे मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : क्लॉज़ ६ में मेरे द्वारा एक तरमीम प्रस्तुत की गई और उसके अलावा तीन तरमीमें और पेश की गईं।

इनमें से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य तथा देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या द्वारा प्रस्तुत तरमीमें एक ही आधार लिये हुए हैं और आधार है स्लेब सिस्टम। उनका मतलब है टर्न ओवर के आधार पर फीस लगानी चाहिये। मुद्दे की बात यह है कि मनी लैंडर्स बिल मनी लैंडिंग के बिज़नैस को रेगुलेट करने की दृष्टि से, उनको रजिस्टर करने, लाइसेन्स लेने, टर्न ओवर की रिपोर्ट देने आदि से सम्बन्धित है। यह कोई टैक्सेशन का स्टेच्यूट नहीं है। ये तो सेल्स टैक्स या ऐसे ही प्रकार के दूसरे कानूनों में चलता है जो कि टर्न ओवर पर होते हैं। उस प्रकार का यह टैक्सेशन का स्टेच्यूट नहीं है। टैक्सेशन के स्टेच्यूट वाले कानूनों में गवर्नर से पर्मिशन भी लेनी पड़ती है और कुछ सीमाएं होती हैं। उस सीमा से ऊपर होने पर टैक्सेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं; एक हजार से ऊपर ही है उनका कहना। इसलिये जो प्रस्ताव उन्होंने रक्खे हैं उनसे मैं असहमत हूँ और वे कानूनन हो भी नहीं सकते और जो प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया है उसे मैं उपयुक्त समझता हूँ।

मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी दो प्रस्ताव रक्खे हैं। एक तो यह है कि लाइसेन्स जो लिया जावे उसका क्षेत्र सारा राजस्थान हो और दूसरा यह कि एक बार जो लाइसेन्स ले लिया जावे तो वह जब तक लेने वाले की जिन्दगी है तब तक ही नहीं, बाद में भी उसके बेटे-पोतों तब तक भी वह रहे, कानूनन कहीं कैंसिल हो जावे तो वह बात अलग है या वह स्वयं ही बीच में धन्धा बन्द कर दे तो यह भी अलग बात है।

मैं उनके इन दोनों मुद्दों से असहमति प्रकट करता हूँ। इसका कारण कई प्रैक्टिकल डिफिकेल्टीज़ हैं। एक ही बार लाइसेन्स फी देकर उम्र भर तक और बाद तक भी चलाना अनुपयुक्त है और सारी स्टेट वाइड रखना भी अनुपयुक्त है। क्योंकि टर्न ओवर को देखने, इन्सपेक्शन करने, रोकड़-खाते आदि की रिटर्न देखने आदि के सवाल होंगे, इनको सारे स्टेट वाइड करने पर देखने में डिफिकल्टी आवेगी। यद्यपि हमने लाइसेन्स सिस्टम में यह रखा है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास जब एप्लीकेशन दें तो उसमें उसे अपना प्रिन्सिपल ऑफिस बताना होगा, जहां के लिये लाइसेन्स चाहता है और इसके अलावा जहां जहां भी व्यापार करना चाहता हो या जहां जहां के लिये पर्मिशन चाहता हो उनका भी वह उसमें इन्दराज कर दे। उसके लिये सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। उसी दर्खास्त में दर्ज कर सकता है और जो उस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में होगा उसका तो लाइसेन्स वह दे देगा। इसके अलावा दूसरों के जुरिस्डिक्शन का होगा तो वह उनको अपने कमेन्ट के साथ फोरवर्ड कर देगा जो दूसरे क्षेत्र में लाइसेन्स देने के लिये एन्टाइटल्ड है। तो इससे बहुत सीमा तक उनकी मंशा पूरी हो जाती है।

ऐसी स्थिति में मैं इन सभी संशोधनों को

Page No.50

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्वीकार करने में असमर्थ हूं और निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापस ले लें और जो प्रस्ताव अमेन्डमेन्ट के जरिये मैंने रखा है उसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ में जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम): मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेती हूं, पर एक दर्खास्त करना चाहती हूं। आपने कहा कि यह टैक्स नहीं है। इसके जवाब में मैंने परसों भी अर्ज किया था कि दूसरी महत्वपूर्ण जगह पर ज्ञानवृद्धि के साधन, पर मनोरंजन के अच्छे साधन पर रेडियो, पर, फीस लगाई जाती है तो वह भी १५) रु० लगाई जाती है तो व्यापारी पर जो सूद का व्यापार करता है; कम से कम १५)रु० क्यों न लगाई जावे। इसके साथ ही अमेन्डमेन्ट ले सकती हूं, अगर विचार करें तो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेडियो के लाइसेन्स वाला मामला मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन इन्होंने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ये वापिस कहां ले रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने दो दफे कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : मैं प्रेस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने पेश किया है, प्रश्न यह है कि उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ६ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

[खण्ड ७ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:-

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

Clanse 7 be redrafted as unde r:—

7. "Inquiry into and disposal of appiication:-On the receipt of an application under section 6, the Assistant Registrar shall after making an inquiry, as h e deems fit, grant a licence in such form and subject to such conditions as may be prescribed."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

Sub-clause (1) of this clause be replaced by the following:-

"1 (a) On the receipt of an application under section 6 and after making inquiry in the prescribed manner, the Assistant Registrar may grant a licence in such form and subject to such condition as may be prescribed and enter the name of such applicant in the register maintained by him under section 4.

(b) If the application is in respect of places outside the jurisdictions of the Assistant Registrar, shall forward the application together with his report to the Registrar who after such further inquiry, as he deems fit, grant separate licence in respect of each place and direct the Assistant Registrars concerned to enter the name of such applicants in the register maintained under section 4."]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अध्यक्ष महोदय, ७ के बारे में मेरा संशोधन है कि इसे redraft किया जावे,

"7. Inquiry into and disposal of application. On the receipt of an application under section 6, the Assistant Registrar shall after making an inquiry, as he deems fit, grant a licence in such form and subject to such conditions as may be prescribed."

इसमें अब यह व्यवस्था हो कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशनें जावेंगी और फिर वह अपनी एन्क्वायरी करके अपने नोट्स बनाकर रजिस्ट्रार के पास भेजेगा और फिर रजिस्ट्रार चाहेगा तो फिर इन्क्वायरी करेगा और फिर इन्क्वायरी करके लाइसेन्स ग्रान्ट करेगा। यह एक ऐसा मसला नहीं है कि जिसके लिये डबल एन्क्वायरी की जरूरत हो। जो पॉवर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जब इतनी दी गई है तो उसे सैंक्शन देने और लाइसेन्स इश्यू कर देने के पॉवर्स भी दे देने चाहिये। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। अगर यह प्रोवीज़न ऐसा ही रख दिया गया तो रजिस्ट्रार के पास एक्युमुलेशन ऑफ वर्क बहुत बढ़ जावेगा और इसमें टाइम का वेस्टेज भी होगा। फिर होगा क्या रजिस्ट्रार खुद कोइ जांच करने वाले नहीं है, वही असिस्टेन्ट करेगा फिर भी। इसलिये

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

इस डुप्लीकेसी ग्रॉफ वर्क को बचाने के लिये ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को ही ये पॉवर्स दे देने चाहिये। इससे व्यापारियों को भी सुविधा रहेगी ग्रौर इसमें ग्रापको भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है।

इसके साथ ही फिर सब-क्लॉज़ (ब) (२) की ग्रावश्यकता नहीं रहती। इस में उदाहरण भी दे सकता हूँ। जैसे सेल्स टैक्स में लाइसेन्स एक स्थान का नहीं सारे राजस्थान का ग्रान्ट करते हैं तो ये ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार भी ग्रान्ट करते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि इस पॉवर को ग्राप ग्रसिस्टेन्ट रजिट्रार को नहीं दे सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर): ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रमेन्डमेंट इस क्लॉज़ में एक तो वही है जो माननीय सदस्य ने ग्रभी पेश किया है। मैं भी यह चाहता हूँ कि लाइसेंस देने का ग्रधिकार ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को दिया जाना चाहिये। क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूँ कि ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकर्रर किया जावेगा ग्रौर इसलिये उस डिस्ट्रिक्ट में उसके जुरिस्डिक्शन में रहने वाला उस एरिया के लिये जो भी लाइसेंस मांगे उसकी एन्क्वायरी करने के बाद वहीं दे दें; ग्रब रजिस्ट्रार के पास वह रिपोर्ट भेजेगा तो इसमें ग्रनुनेसेसरिली डिले होगी ग्रौर इससे कोई स्टेट को फायदा भी नहीं होगा। ग्रगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो इस प्रकार की रजिस्ट्रार को पॉवर्स हैं सुग्रो मोटो उसके कागज़ मगाकर चैक कर ले। तो इस तरह से जैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-ग्रप है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब प्रकार की चीजें मिल जाती हैं वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए ग्रौर मैं समझता हूँ कि ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे ग्रौर रजिस्ट्रार स्टेट लेवल के होंगे या डिवीज़नल लेवल के होंगे; इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ग्रॉफिसर्स के पास रहें तो ग्रच्छा है।

दूसरे क्लॉज़ में सशोधन यह है कि ग्रगर इस प्रकार का एप्लीकेन्ट है जो उस ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन के बाहर ग्राता है दूसरे इलाके के लिए भी लाइसेन्स चाहता है तो ऐसी हालत में भी लाइसेन्स देने का ग्रधिकार ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को नहीं है फिर भी ग्रपनी रिकमन्डेशन करके जो भी इन्क्वायरी उसके बारे में हो वह ग्रागे रजिस्ट्रार के पास भेजे जिसके जुरिस्डिक्शन में वह तमाम एरिया है ग्रौर ग्रादमी को भी रजिस्ट्रार लाइसेन्स दे उन तमाम क्षेत्रों का ग्रलग ग्रलग ग्रौर उनके नाम दर्ज करने के लिए नीचे भेजे। तो इस प्रकार का संशोधन मैं इसमें चाहता हूँ। इसमें एप्लकेंट को भी सुविधा रहेगी ग्रौर स्टेट को भी सुविधा रहेगी। इससे डेटर्स को किसी तरह की भी दिक्कत नहीं ग्राने वाली हैं ग्रौर एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ग्राम ग्रादमी का बचाव हो सकेगा। इसी दृष्टिकोण से मैंने यह ग्रमेन्डमेंट रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के जरिये माननीय सदस्यों ने यह निवेदन किया कि इस समय जो लाइसेन्स देने के ग्रधिकार हैं वह ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को होने चाहिए। वास्तव में इस स्कीम के नीचे हमने यह सोचा है कि ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की जहां तक बात एप्लाई करती है वह उसी एरिया के ग्रन्दर रहता है ग्रौर उसका फंक्शन जो है वह यह है कि सारी इन्क्वायरी ग्रसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कम्प्लीट कर दे ग्रौर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वह फॉर्वर्ड कर देता है ताकि रजिस्ट्रार लाइसेन्स दे सके उस हल्के के लिए कि जैसे असिस्टेन्ट का हल्का है उसके लिए भी और बाहर के लिए भी, दोनों के लिए एक ही एजेन्सी हो यह ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि अपने ही हल्के में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार दे दे और दूसरे हल्के के लिए रजिस्ट्रार को वह भेजे और वह दे। इस वजह से एक ही समानता की दृष्टि से सबका एक ही जगह सेन्ट्रलाइज़ हो और सब बातों का पता रहे; इस दृष्टि से यह हमने रजिस्ट्रार को on the recommandation of the Assistant Registrar को देने का प्रावधान किया है। लेकिन हमने रजिस्ट्रार के यहां भी यह प्रावधान कर दिया है कि यदि कोई यह समझे कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने जो कुछ मेरे खिलाफ लिखा है या उसने रिकमन्डेशन नहीं की है तो उसको हमने रजिस्ट्रार के यहां भी जाने का मौका दे दिया है कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के कमेन्ट्स के खिलाफ भी कोई सफाई देता है तो वह आपोर्चुनिटी भी उसे देदी है। रजिस्ट्रार डिविजनल हैडक्वार्टर्स वाला भी होगा और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार उसके नीचे वाला होगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं होता है। ऐसी हालत में जो प्रावधान इसमें रखा गया है उसके होते हुए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो दोनों प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनसे मैं असहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृति)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे वापसि लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्लॉज़ ८ और ६ साथ में ही ले लिये जायें क्योंकि दोनों में एक ही तरह के अमेन्डमेन्ट्स हैं।

[खण्ड ८ व ६ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:-

Page No.54

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):

क्लॉज ८

"Proviso to sub-clause (1) be deleted."

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(i) Delete sub-part (ii) of part (d) of sub-clause (1) .

(ii) Insert the word "Assistant" between the words "The" and the "Registrar" in sub-clauses (2) and (3).

क्लॉज ६

In sub-clause (3), replace the words "thirty days", by the words "sixty days".

क्लॉज़ ६

In sub-clause (3) replace the words "thirty days", by the words "sixty pays".

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

क्लॉज़ ८

(i) In sub-clause (1) part (d) sub-part (ii) delete the words "and sentenced to imprisonment for any term with or without fine".

(ii) In the proviso to part (d) of sub-clause (1) for the words "State-Government" substitute the words "Competent Court" referred to in section 16.

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल):

क्लॉज़ ८

(i) The proviso to sub-clause (1) be replaced by the following :—

"Provided that the State Government may after the expiry of three years from the date of the commission of offence remove the disqualification under clauses (c) and (d) of this sub-section on the presentation of the application by the offender".

(ii) In sub-clause (3) the words "thirty days" be replaced by the words "sixty days".

क्लॉज़ ६

In sub-clause (3) the words "thirty days " be replaced by the words "sixty days".]

(विराम)

खण्ड ८ व ६

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ के अन्दर मैंने एक संशोधन पेश किया है उसके नीचे सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रोविज़ो हटाने का है ; "Provided that the State Government may at any time on an application in the prescribed form accomanied by the precribed fee remove a disqualification under clause (d) (ii) of this sub-section having regard to the time which has elapsed since the order and the circumstances under which it was made or to the time that has elapsed since the conviction and to the nature of the offence."

माननीय अध्यक्षजी, जिस ऐम से पहला जो ओरीजिनल प्रोवीजो था उसके बाद यह नया प्रोवीजो जोड़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत मुझे दिखाई नहीं देती और डिस्क्वालीफिकेशन

Page No.55

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

हटाने के कोई विशेष रीज़न्स भी इसमें दिखाई नहीं देते। इसलिए जिस एम से पहले जो क्लॉज़ ओरीजिनल था उसी क्लॉज़ को रखा जाना चाहिए और मैंने इस प्रोवीजो को डिलीट करने का अमेन्डमेन्ट रखा है।

दूसरे इसी क्लॉज़ में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ (ए) को ओमिट करने का अमेन्डमेन्ट रखा है और दूसरा जो अपील का प्रावीज़न फर्स्ट अपील है उसको ३० दिन के बजाय ६० दिन का टाइम रखने का अमेन्डमेंट रखा है, इन दोनों अमेन्डमेन्ट्स का विरोध करता हूँ क्योंकि जिस मन्शा से क्लॉज़ ८ का जो (ए) क्लॉज़ है ....

"That the application, or any person responsible or proposed to be responsible for the management of his business as a money-lender, is disqualified from holding a licence."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of order, Sir, जबकि वह सदन में मूव्ड ही नहीं है और क्या पता उसको वापिस लेते हैं या मूव ही नहीं करते तो जो सदन के सामने विषय नहीं है उसके ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बात तो ठीक है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो जो प्रोवीजो मैंने डिलीट करने का अमेन्डमेन्ट रखा है उसी को मैं प्रेस करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में जो क्लॉज़ सैकिण्ड है उसको डिलीट करने के लिए मेरा आग्रह है। इसका कारण यह है कि यदि कोई आदमी किसी कारण से सजा पा जाये जो कि यहां शिड्यूल ८ में लिखा है उसमें अलग-अलग सेक्शन्स हैं, with intent to commit theft, with intent to commit theft something like that. ये कुछ सेक्शन्स दिये हुए हैं। मेरा इसमें कहना है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाये या उसके ऊपर झूठा आरोप चोरी का या आज किसी कारण से उसको सजा हो जाये, लेकिन उसका जो धंधा है काम करने का; जैसे दूकान पर कोई बैठा है और कपड़े बेच रहा है या कोई कल-कारखाना चलाता है तो उससे वह बन्द नहीं हो जाता। इसी प्रकार यदि कोई आदमी चोरी के अपराध में गिरफ्तार हो गया या किसी कारणवश उसको गिरफ्तार कर लिया गया या एक आदमी पहले चोर था, डाकू था और अब उस धंधे को छोड़कर मनी-लेन्डिंग का धंधा करना चाहता है तो उसको धंधा नहीं करने दिया जाये, यह बात मुझे ठीक नहीं जंचती। आज सुधारवादी युग में कल्प्रिट्स को सुधारने के लिए कितनी ही स्कूलें खोल रखी हैं, हमारे गृह-मंत्रीजी ने कैदियों को खुला छोड़कर चम्बल पर काम करने के लिए भेजा हुआ है और प्रतिदिन ऑफेन्स करने की जो लोगों की आदत और प्रवृत्ति है उसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके जांच कर रहे हैं; कि किन कारणों से आदमी ऑफेन्स करता है; ऐसी स्थिति में हम उसको जो धंधा कर रहा है उस आदमी को इस धंधे से रोकें और इस कारण

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

से रोकें कि उसने इस धन्धे में कोई गलती नहीं की, जो मनीलेंडिंग का धंधा है उसमें उसने किसी से रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट ज्यादा चार्ज नहीं की, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, पैसे ज्यादा नहीं लिए और किसी प्रकार की बदमाशी या जालसाजी इस एक्ट के अन्तर्गत नहीं की तो फिर उसको इस प्रकार के कानून से रोकना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि इस एक्ट के अन्तर्गत किसी आदमी को सजा नहीं मिले तो उसको मनीलेंडिंग का बिज़नेस करने का अधिकार होना चाहिए। एक प्रस्ताव तो मेरा यह हैं।

दूसरा इसके कॉन्सीक्वेन्सेज़ में ही था ८ का २ और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का आपने नहीं माना इसलिए वह तो वैसे ही उड़ गया। मेरा अमेन्डमेन्ट ३० दिन के बजाय ६० दिन करने का है। अपील का जो प्रोवीज़न है, मेरी राय है कि ३० दिन बहुत कम हैं और सभी जगह ६–६ महीने की मयाद होती है, जैसे सेल्स टैक्स है, उसमें भी ६ महीने का रखा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि उपमंत्रीजी कम से कम ६० दिन की बात तो स्वीकार करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। ३० दिन के बजाय ६० दिन का जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है फर्स्ट अपील का, यह सभी जगह ६० दिन का है ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट अपील का टाइम ३० दिन का रहता है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : फर्स्ट अपील के लिए सेल्स टैक्स के अन्दर ६० दिन का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज़ (१) में यह जो सेकण्ड पार्ट है, (डी) का, इसमें ये जो शब्द हैं :

'and sentenced to imprisonment for any term with or without any fine' ये शब्द निकाल दिये जाये। इसका मतलब यह होगा।

"Any person responsible or proposed to be responsible for the management of his business of money-lending has been convicted of an offence specified in the schedule to the Act"

मेरा अमेंडमेंट ३५ नम्बर का है।

"In sub-clause (1) Part (d) sub-part (ii) deleted the words "and sentenced to imprisonment for any term with or without fine".

जो इन जुर्मो में सज़ायाफ्ता होगा वह शख्स डिस्क्वालिफाईड होना चाहिए। इसलिए यह जो किसी किस्म की सज़ा है उसको क्वालीफाई करने की बात है इम्प्रिज़मेंट को जोड़कर कि इम्प्रिज़मेंट होना ही आवश्यक है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए एक तो अमेंडमेंट यह है।

दूसरा अमेंडमेंट यह है कि जो इसमें प्रोवोजो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को वह अधिकार दिया है कि वह इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सके। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही आपत्तिजनक अधिकार स्टेट गवर्नमेट ले रही हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी उचित नहीं है और एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन उसी तरीके से कायम करने के लिए भी यह उचित नहीं है। मैंने इसमें यह अमेंडमेंट रखा है कि यह अधिकार एक कॉम्पीटेन्ट कोर्ट को जो कि सेक्शन १६ में रहता है डिस्ट्रिक्ट जज को, उसको यह अधिकार दिये जाना चाहिए कि वह इसके मुद्दों में जाकर कि उस शख्स का किस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रकार का रवैया रहा है, उसको किस बिना पर डिस्क्वालिफाई किया गया था, अब जो रवैया है उस रवैये से डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया जा सकता है, इस बिना पर जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर यह निर्णय किया जाना चाहिए।

स्टेट गवर्नमेंट इस अधिकार को अपने हाथ में ले तो उसका बुरी तरह से दुरुपयोग होने का अन्देशा रहता है और कम से कम स्टेट गवर्नमेन्ट अपने ऊपर आक्षेप का मौका अपने आप यह जोड़ती है कि जिन लोगों को जो कि डिस्क्वालिफाइड हुए हैं इसके तहत उनको जिनको भी वह कर सकेगी उस पर लाजिमी तौर पर यह संदेह पैदा होगा कि किस कारण से अमुक व्यक्ति की डिस्क्वालिफिकेशन हटाई गई और अमुक व्यक्ति की नहीं हटायेंगे। मैं कहता हूं कि रूलिंग पार्टी के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो यह उनके हित में है, क्योंकि यह तबका रोज़मर्रा उनके पीछे लगने वाला है। इसी तबके के आधार पर इनकी मदद से यह पार्टी चलती है, रोज़मर्रा मिनिस्टरों के और एम० एल० ए० के पीछे पड़े रहेंगे इनकी पार्टी वाले, क्योंकि इसमें १७० में से ८० पर्सेन्ट ऐसे लोग मिल जायेंगे जो कि डिस्क्वालिफाइड होने पर चवन्नी के मेम्बर बन जायेंगे या ११) रु० के मेम्बर बन जायेंगे और मिनिस्टरों के पीछे फिरना शुरू होंगे कि हमारी डिस्क्वालिफिकेशन दूर कराइये, मैं आपकी मदद करूंगा इलेक्शन में, और उस पर इसी तरह की दलील दी जायगी जैसी कि अभी सिरियारी जागीर के बारे में माननीय उपमंत्री महोदय ने दी थी और उसी तरह से लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपीनियन लेकर इनको कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी तक का तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर और सही तरीके की प्रजातान्त्रिक परम्पराओं से काम करने की दृष्टि से स्टेट गवर्नमेन्ट को इस प्रकार का अधिकार अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, और एक जुडिशियल ऑथोरिटी को ये अधिकार दिये जाने चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं इस अमेन्डमेन्ट को मूव करता हूँ और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंन्ट मूव किया है कि (डी) (२) को निकाल दिया जाय तो कल जैसे कि मैंने निवेदन किया था कि जनसंघ पार्टी का जिस तरह से इस बिल के प्रति सहयोग और समर्थन है उसी दिशा में यह एक और कड़ी है, एक चौथा चरण है कि किसी तरह से मोगेजी को मुक्त कर दिया जाय, कोऑपरेटिव को इसके अन्दर ले लिया जाय, ५००० वालों को मुक्त कर दिया जाय और जो मुजरिम लोग हैं उनको डिस्क्वालिफाई नहीं रहते हैं और इसके आगे अब और क्या क्या आने वाला है वह अब देखेंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : अध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ ८ है उसके अन्दर जिन जिन कारणों से लाइसेंस रिफ्यूज़ किये जा सकेंगे वह कारण दिये गये हैं। एक तो यह है कि अगर लाइसेंस लेने वाला डिस्क्वालीफाईड है तो लाइसेन्स नहीं दिये जायं। उसके प्रोवीजनों की नहीं मानें उसको नहीं दिये जायं। [सी] और (डी) पुराना जो एक्ट है उनके कारण सजा पाया हुआ हो। जहां तक (सी) और (डी) का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, वहां तक मैं यही निवेदन करूंगा कि (सी) और (डी) के

(श्री गंगासिंह राठौड़)

सैकिन्ड पार्ट है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह अपने हाथ में पॉवर्स लिये हैं कि उन डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकते हैं, और इस सैकण्ड क्लॉस के अन्दर जो प्रोविजन्स रखी हैं वे ऐसें हैं जो काफी गम्भीर हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कसूर वाले को क्षमा कर सकती है तो इस सिद्धान्त के हिसाब से यह भी वाजिब समझेंगे कि (सी) और (डी) सब-क्लॉज़ के अन्दर कुसूर हुआ है उनको भी माफ किया जाय।

इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में पूर्णतया डिस्क्रीशनरी पॉवर्स रखे हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रखी है कि इतने पीरियड के बाद के अन्दर रिकन्सीडर उसके सवाल को किया जा सकता है। एक साल के बाद दो साल के बाद या तीन साल के बाद इस डिस्क्रीशनरी पॉवर के अन्दर हो सकता है कि जिस किसी को फायदा पहुँचे तो ६ महीने के अन्दर डिस्क्वालिफिकेशन को करा सकता है और जिसको नहीं चाहे तो १० वर्ष तक नहीं करा सके। स्टेट गवर्नमेंट पर इस लेजिस्लेशन के जरिये यह जरूरी है कि यह पाबन्दी लगाई जाय, और मैं समझता हूं कि मैंने अमेंडमेंट के जरिये ३ साल रखे हैं वह ऐसा सफिशियेन्ट टाइम है कि जो इस एक्ट के अन्दर कसूर करे उसको तीन साल की सजा हो जायगी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पॉवर्स नहीं रखे जायं जिसके कारण कोई तवज्जह न दे। इन बातों को नज़र में रखते हुए मैं अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सब-क्लॉज़ (सी) पर।

श्री गंगासिंह राठौड़ : इसके साथ साथ अपील का जो प्रोवीज़न है उसमें मयाद का सवाल है ८ (सी); तो साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि ३० डेज़ के बजाय ६० डेज़ रखना वाजिब है टाइम जो ३० डेज़ का है वह इतना थोड़ा है कि उस पीरियड में किसी को मालूम नहीं हो सकता है और जो आप इन्फोर्मेशन दें वह समय पर नहीं पहुंच सकती और इन्फोर्मेशन पहुंचने पर भी गलत तौर पर इन्टरप्रेट की जा सकती है। इसको मद्दे नज़र रखते हुए ६० दिन सफीशियेन्ट नहीं हैं।

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बार बार जनसंघ की पोलिसी को लेकर चुनौती देते हैं या बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि उनके विचारों में और हमारे विचारों में रात-दिन का और जमीन-आसमान का अंतर है। हम यह मानते हैं कि जहां तक हो सके किसी को बिना कारण सजा नहीं मिले और जिनको सजा मिली है उनके बारे में भी हम चाहते हैं कि वे सुधरें। आपकी तरह से वर्ग विद्रोह करके एक दूसरे को हम लड़ाना नहीं चाहते हैं और न उनको गोली का शिकार ही बनाना चाहते हैं। मैं अपने जो विचार रखता हूँ वे सही समझता हूँ तर्क बुद्धि से, उनको रखता हूँ। तर्क-बुद्धि से आप भी अपने विचार रखिये या तर्क कीजिये, ऊल-जलूल बातों से काम नहीं चलेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अलवर के माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ, हालांकि जिस एम से उन्होंने रखा है वह दूसरा था। भारतवर्ष में कम्युनिस्टों की सरकार होने वाली है नहीं इसलिये उनको लाभ नहीं

(श्री विजयसिंह झाला)

होगा, लेकिन मैं समझता हूँ लीगल प्रिन्सिपल के आधार पर जो क्वालिफिकेशन जुडिशियरी के द्वारा तय की जाती है उसको रिमूव करने का पॉवर गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेती है तो जुडिशियरी को सुपरसीड करने के पॉवर्स होते हैं, जो नहीं होने चाहिये। न्याय की दृष्टि से जुडिशियरी द्वारा निर्णय लिया जाय और उसके आधार पर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन है तो मेरी समझ में उसको हटाने का अधिकार जुडिशियरी को ही होना चाहिये। एग्ज़ीक्यूटिव या गवर्नमेन्ट को नहीं होना चाहिये, यह जुडिशियरी का अपमान होगा। आज हम जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से सेपरेट करने जा रहे हैं और उसको इन्डिपेन्डेट बॉडी बनाने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में गवर्नमेन्ट डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दे, यह प्रिन्सिपल से भी सही नहीं है। इसलिये मैं उनके संशोधन को सपोर्ट करूंगा। मैं समझता हूँ आप जिद्द नहीं करेंगे। अगर जिद्द करें तो अच्छा हो, आप संशोधन रखदें जैसी कि आपकी आदत है; विरोधी पक्ष द्वारा कही जाने वाली बात के प्रिन्सिपल को तो स्वीकार करते हैं लेकिन फिर भी उसमें अपनी टांग रखना चाहते हैं, इसलिये अलग संशोधन करते हैं तो आप वैसा कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मावली से आने वाले माननीय सदस्य का समर्थन नहीं करते क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। उनका संशोधन इस आधार पर है कि गवर्नमेन्ट जुडिशियरी के अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है तो यह नहीं होना चाहिये। यह सिद्धान्त की बात है, इसलिये मैं उनका समर्थन करता हूँ और आपके संशोधन को भी स्वीकार करता हूँ।

श्री रामप्रसाद लडढा (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ पर लाइसेन्स किस बात पर रिफ्यूज़ किया जाय इसका तज़किरा है। यह तज़किरा किया गया है कि कोई आदमी जिसे इन जुर्म की तहत सजा मिली है जिनको इसकी शिड्यूल में दर्ज किया है और वह सजा केवल जुर्माने के रूप में है तो केवल जुर्माने के रूप में न होकर जिस्मानी या बोडिली पनिश्मेन्ट के रूप में हो तो उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सके। और उसके साथ ही प्रोविजो लगाया है कि किन कारणों से सजा हुई है, सजा हुए कितना अर्सा हो गया है और अब उसकी क्या स्थिति है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेन्ट चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशन को हटा सके, इस तरह का प्रावधान सिलेक्ट कमेटी ने रखा। उसमें दो विचार आये। एक तो यह विचार आया कि यह सारा का सारा क्लॉज हटाना चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई आदमी डकैती करके सजायाफ्ता हो या चोरी करके सजायाफ्ता हो या ४२० के जुर्म में सजायाफ्ता हुआ है तो भी मनीलेन्डिंग का बिज़नेस करने के लिये उसे रुकावट नहीं होनी चाहिये। इसलिये उन्होंने यह तरमीम दी कि यह क्लॉज़ हटना चाहिये और छूट दी जानी चाहिये कि चाहे किसी जुर्म में सजायाफ्ता हो वह मनीलैन्डिंग का बिज़नेस कर सके।

दूसरी तरमीम दूसरे एक्सट्रीम पर है। उनका यह कहना है कि जिस्मानी सजा की बात नहीं, यदि किसी पर ११) रु० का

Page No.60

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जुर्माना हुआ है तो भी उसको लाइसेन्स नहीं देना चाहिये। यह दूसरी तरह का एक्स-ट्रीम है।

तीसरा यह है कि डिस्क्वालिफाई करना चाहिये लेकिन उसके बाद प्रोविज़ो रखा है उस स्टेज पर स्टेट गवर्नमेन्ट सेटिस्फाइड हो तो टाइम और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर सकती है।

चौथा व्यू यह है कि यह डिस्क्वालिफिकेशन जिंदगी भर चलनी चाहिये। एक दफा किसी पर ११)रु. का जुर्माना हुआ है तो जिंदगी भर डिस्क्वालिफाईड ही रहना चाहिये। और एक व्यू यह है कि जो प्रोविज़ो रखा है उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने का अधिकार देना चाहिये।

मैं इन चारों व्यूज़ से सहमत नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि हमने पंचायत समिति, जिला परिषद और म्युनिसिपैलिटीज़ के कई एक्ट देखे हैं; उन एक्ट्स में इलेक्टिव पोस्ट्स पर खड़ा होने के लिये भी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने का प्रावधान किया गया है। यहां पर तो केवल मनी लैंडिंग बिज़नेस करने देने के लिये ही किया गया है, तो यह प्रावधान आवश्यक है, इससे इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रावधान की आवश्यकता होते हुए भी केवल ११) रु. के जुर्माने की सीमा हो जाय, उनको हमेशा के लिये धंधे से महरूम रख कर भूखों मारने के लिये और दर दर की ठोकर खाने के लिये छोड़ा जाय, यह ठीक नहीं है। इसलिये प्रावधान रखा है कि केवल जुर्माने पर न करके जिस्मानी होना चाहिये, यह नहीं किया है कि कितने अर्से की सजा हो, २ दिन की हो, १ महीने की हो या २ महीने की हो, कितनी हो सकती है इसलिये अलवर के माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है कि 'जिस्मानी' शब्द हटा दिया जाय उससे असहमत हूँ। साथ ही साथ मैं इससे भी असहमत हूँ कि सारा क्लॉज़ ही हटा दिया जाय क्योंकि मोरल टर्पिट्यूड हो, डकैत हो या चीटिंग करनेवाले हों उनको लाइसेन्स रिफ्यूज़ किया जाना चाहिये।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविज़ो इसलिये लगाया गया है कि बहुत से आदमी इस प्रकार के जुर्म कुछ सर्कम्स्टान्सेज़ में कर देते हैं, चाहे प्रवोकेशन के कारण कर देते हैं। ऐसा ऑफेन्स कर देने के बाद क्या माननीय सदस्य यह मुनासिब समझते हैं कि उनको कभी रेक्टि-फाई करने का मौका ही नहीं मिले या अपने आप को सुधारने का मौका ही नहीं मिले। जिसे एक बार किन्हीं परिस्थितियों में सजा हो गई है, चाहे दो दिन की ही हुई है तो वह हमेशा के लिये धंधा नहीं करे, भूखो मरे ऐसी स्थिति लाना ठीक नहीं है। मनी लैंडिंग या रुपये उधार देने का धंधा कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें इतनी टेक्नीकेलिटि में जाना पड़े। जब कि इलेक्टेड पोस्ट्स के लिये, चाहे वह म्युनिसिपैलिटी की हो, चाहे पंचायत समिति या जिला परिषद की हों उसके लिये हमने प्रोविज़न रखा है कि फलां फलां जुर्म करने-वाला आदमी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वहां पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को एग्जेम्प्ट करने का या माफ करने का सरकार को अधिकार दिया है, इसलिये यह प्रोविज़ो रखा है वह उचित है।

अब सवाल यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया है उसके बारे में अलवर के माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसको मानने में असहमत हूँ क्योंकि यहां उस डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल नहीं है जो सेशन कोर्ट ने या हाईकोर्ट ने सजा दे दी उसको रिमूव करना हो, हम किसी कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना नहीं कर रहे हैं बल्कि कोर्ट ने जजमेंट दिया है और जुर्माना हुआ है-किन्हीं सर्कम्स्टान्सेज् में, उस जजमेंट से मालूम करेंगे कि कितना अर्सा हो गया जजमेंट पास हुए और बाह्य परिस्थितियां भी देखते हैं कि क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया है। सरकारी अधिकारियों की जानकारी के आधार पर यदि स्टेट गवर्नमेंट अपने पास अधिकार रखती है डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के बारे में तो यह उपयुक्त है। ऐसा प्रावधान पंचायत समिति, जिला परिषद और म्युनिसिपल एक्ट्स में भी है, इसलिये अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूँ। जो प्रावधान रखा गया है वह उचित है।

(५.०० म. प.)

इसके साथ साथ दो बातें इसके अन्दर बताई गईं। एक दफा ८ के अन्दर और दूसरी दफा ६ के अन्दर ये मयाद के सम्बन्ध में हैं। अभी हमने दफा ८ के अन्दर सब-क्लॉज् ३ में रखा है ३० डेज् रजिस्ट्रार के ऑर्डर की रजिस्ट्रार जनरल को अपील होने की। इसी प्रकार क्लॉज ६ में समय रखा वह ३० दिन का रखा है अपील के लिए। जो अपील के लिए मयाद का सवाल है, वह सेल्स टैक्स में ६० डेज् रखा है। मुझे आपत्ति नहीं है इस मयाद के प्रश्न पर, यदि ३० डेज् के बजाय ६० डेज् रख दिया जाय। मैं इस दलील को मानने के लिए तैयार हूँ, मयाद के सम्बन्ध में जो क्लॉज् ८ और क्लॉज् ६ में ३० डेज् प्रेस्क्राइब किये गये हैं, उनके बजाय ६० डेज् रख दिये जायं। ऐसा ही प्रश्न मयाद का क्लॉज् १३ में आयेगा, वहां भी ३० डेज् की जगह ६० डेज् कर दिया जायगा। इसे स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि जो मयाद के सम्बन्ध में अमेंडमेंट रखा है उसे मान लिया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): कौनसा अमेंडमेंट मान लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाकी के अमेंडमेंट हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूँ, उन्हें माननीय सदस्य वापिस ले लें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसा अमेंडमेंट मान लिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मयाद के सम्बन्ध में, ३० डेज् की जगह ६० डेज् कर दिया जाय। बाकी के सब अमेंडमेंट में अस्वीकार करता हूँ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं अपना अमेंडमेंट विद्ड्रॉ करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुनाथ बिश्नोई ने रखा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसका अमेंडमेंट ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेरा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुनाथ बिश्नोई ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं विद्ड्रॉ करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है;
"In sub clause (3) replace the words 'thirty days' by the words 'sixty days" को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के दो हिस्से हैं, इस संशोधन का पहला हिस्सा, जो इम्प्रिज़नमेंट के बारे में है, मैं विद्ड्रॉ करना चाहता हूँ। दूसरा हिस्सा मैं प्रेस करना चाहता हूँ; 'कॉम्पीटेन्ट कोर्टवाला' में प्रेस करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि क्लॉज़ ८ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है, उसका पहला हिस्सा वापिस लेने की इजाज़त दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विथड्रा करता हूँ पहला हिस्सा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है उसका दूसरा हिस्सा स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'न' पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : 'Noes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष : संशोधन गिर गया। कोई अच्छे क्लॉज़ पर कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह इम्पोर्टेन्ट मामला है। स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, कोर्ट को अधिकार होना चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला : यह प्रिन्सिपल का सवाल है। जुडिशियरी पर अत्याचार है, इसको सहन नहीं करेंगे।

(मत-विभाजन घंटी)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है :
"In the proviso to part (d) of sub clause (1) for the words 'State Government' substitute the words 'Competent Court' referred to in section 16." को स्वीकार किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य अभी आये हैं, उसका पूरा पर्पट बताना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने अमेंडमेंट रिपीट किया है। आपका सारा अमेंडमेंट पढ़ कर सुनाया है।

...च)

...श्न यह है कि वह अमेंडमेंट स्वीकार ...या जाय ?

श्री विजयसिंह झाला : On a point of order, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि संशोधन किस प्रकार का है।

श्री अध्यक्ष : मैंने संशोधन पढ़ कर सुनाया है, अगर माननीय सदस्य....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मालूम है।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं मालूम है। बताइये, क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज् ८ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है, जो इस प्रकार है: "In the proviso to part (d) of sub-clause (1) for the words 'State Government' substitute thewords 'Competent Court' referred to in Section 16". को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री विजयसिंह झाला : नींद जग गई सबकी, यही काफी है।

श्री अध्यक्ष ; श्री गंगासिंह।

प्रश्न यह है कि क्लॉज् ८ पर जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज् ८, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज् ८, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज् ६।

प्रश्न यह है कि क्लॉज् ६ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है, वह मयाद के सम्बन्ध में है, ३० दिन की जगह ६० दिन करने का, जिसे मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री गंगासिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज् ६ में जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि संशोधनानुसार क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १० । श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

[खण्ड १० पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ:-

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : After the first proviso the second proviso as under be added:—

"Provided further that the licence holder can apply for the renewal of his licence for the three years at a time but in that case he shall pay the licence fee for each year at the rate provided in sub-section (4) of section 6".]

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) ; माननीय अध्यक्षजी, "for the 'words from the date on which it is granted to the 31st day of March following" यह सब सब्सटीट्यूट किया जाय 'f r a period of three years from the date of its issue.'

जो लाइसेन्स की पहले मयाद थी वह एक साल की थी । उसके स्थान पर मैंने इस अमेंडमेंट के जरिये इश्यू की तारीख से ती[redacted] साल की मयाद के लिए प्रस्ताव रखा है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरे दूसरे संशोधन थे, चूंकि उनको नहीं माना गया है इसलिए मैं इसे वापिस ले लेता हूं । लेकिन जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है वह जल्दी में रखा है उसमें "three years from the date of issue..." लिखा है । इसका अर्थ होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगी । इसका मतलब यह होगा कि हर लाइसेन्स की डेट ऑफ एप्लीकेशन वेराई करेगी । मेरा कहना है कि "end of the year" हो ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें सवाल यह है कि जो तारीख रहेगी उसका फाइनेन्शियल ईयर से ताल्लुक नहीं होगा । हर आदमी फाइनेन्शियल ईयर का अलग-अलग विचार करेगा, कोई हिन्दी की तारीख से विचार करेगा, कोई अंग्रेजी तारीख से विचार करेगा । और इसमें अवधि तीन साल की रखी है । इसलिए जिस तारीख से इश्यू होगा उस तारीख से तीन साल का रखा है, फाइनेन्शियल ईयर से इसका सम्बन्ध नहीं होने की वजह से ऐसा रखा है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा मतलब यह है कि अगर पांच तारीख से एप्लाई करेंगे तो पांच तारीख तक चलेगा, छ: को अलग से लेना पड़ेगा । इससे कन्टीन्यूटी नहीं रहेगी और ऑफिस में भी वर्क चलता रहेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि ३१ मार्च को एण्ड होना चाहिए; इसका जो पीरियड है वह तीन साल हो, चार साल हो या दो साल हो । जो लाइसेन्स का पीरियड पर्टीक्यूलर पीरियड के लिए होता है वह फाइनेन्शियल

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ईयर से शुरू होता है, भले ही उसे ग्राप किसी पीरियड के लिए एप्लाई करें, चाहे तो पांच साल के लिए एप्लाई करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके ग्रन्दर ऐसी स्कीम नहीं रखी है। हमने स्कीम को बदल दिया है। इसका फाइनेन्शियल ईयर से ताल्लुक नहीं है। जिस तारीख से इश्यू होता है लाइसेन्स उससे तीन साल की उस की म्याद है। उसके बाद में दूसरा इश्यू कराले या रिव्यू कराले।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : ग्रध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० में जो टर्म ग्रॉफ लाइसेन्स है इस संबन्ध में मेरा यह ग्रमेन्डमेंट है कि इसके ग्रन्दर एक प्रोविज़न ग्रौर रखा जावे जो इस तरह का हो कि वह तीन वर्ष तक का लाइसेन्स ले सकता है ग्रौर उसकी फीस की तरह से हर साल ली जावेगी जैसा कि सब सेक्शन (४) ग्रॉफ क्लॉज़ ६ में दर्ज है ग्रौर गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्रमेंडमेंट पेश हुग्रा है। इसके लिए कोई स्पेशल लाइसेन्स नहीं दिया गया है कि वह एक साल का रखे या दो साल का रखे या तीन साल का रखे। मेरा ग्रमेंडमेंट यह है कि इसमें लाइसेन्स होल्डर तीन साल तक लाइसेन्स रिन्यूग्रल के लिए एक साथ एप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट ने जो रखा है उससे यह मंशा पूरी नहीं होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य ने जो तथ्य सामने रखे हैं वे पहले ही क्लॉज़ ६ में पास हो गये हैं। इस लिये इसमें ग्रलग प्रोविज़न रखने की जरूरत नहीं है। इसलिये उनकी इच्छा है, उसकी पूर्ति हो चुकी है।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैंने रखा है, लेकिन मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसा मानेंगे कि ग्रापने रखा ही नहीं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, संशोधित रूप में, विधेयक का ग्रंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०, संशोधित रूप में, विधेयक में ग्रंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ११, श्री विजयसिंह झाला।

[खण्ड ११ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(i) In sub-clause (2) between the words "money-lender" and "stay" insert the words "or debtor."

Page No.66

(श्री विजयसिंह झाला)

(ii) Replace the words "with such penalty...to court may direct" by the words" with such penalty not exceeding 250 rupees as the Court may direct, provided if the court is of Nyaya Panchayat in that case the penalty shall not exceed 50 rupees."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(i) Sub-clause (1) be replaced by the following:--

"(i) After the expiry of three months from the date on which this Act comes into force, no Court shall take cognizance of a suit by a money-lender to which this Act applies if the money-lender holds no valid licence under this Act; and no court shall pass a decree in favour of a money-lender in any suit unless the court is satisfied that at the time when the loan or any part thereof to which the suit relates was advanced, the money-lender held a valid licence."

(ii) Delete sub-clauses (2), (3) and (4).

(iii) In sub-clause (5)delete part(a)

श्री गंगासिंह राठौड (जायल) :

In sub-clause (2)-

(i) The words' 'three months' be replacee by the words "six months".

(ii) Omit the words "together with such penalty not exceeding five hundred rupees as the court may direct"; and the proviso to this sub-clause be also deleted.]

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ११ पर मेरे दो संशोधन हैं। इसमें से पहला संशोधन मैं मूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि दूसरे क्लॉजेज़ ऐसे हैं जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरा संशोधन मैं मूव कर रहा हूं।

इसमें दो संशोधन हैं कि जो आपने ५००) रु० जुर्माने की लिमिट कायम की है वह ५००) रुपये से घटा कर २५०) रु० तक की जावे और इसके बाद में एक लीगल डिफिकल्टी है जो इसमें उत्पन्न हो सकती है वह यह है कि जिस अदालत के सामने जो वाद होगा उस अदालत को यह मालूम होगा कि जिस मनीलेन्डर ने दावा किया है उसके पास में लाइसेन्स नहीं है तो वह अदालत ५००) रु० तक जुर्माना कर सकती है; अभी २५०) रु० से जितने भी वाद हैं वे सारे के सारे न्याय पंचायतों में और पंचायतों में होते हैं और न्याय पंचायतों के एक्ट के अनुसार न्याय पंचायतें ५०) रु० से ज्यादा जुर्माना कर नहीं सकती। तो ऐसी हालत में न्याय पंचायतों के सामने जिनके पास विवाद होगा और उनको मालूम होगा कि मनीलैंडर के पास लाइसेन्स नहीं तो क्या न्याय पंचायतें भी ५००) रु० जुर्माना कर सकती हैं? यह स्पष्ट नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : यह किसमें है।

श्री विजयसिंह झाला : यह क्लॉज़ ११ में है; अगर इस धारा ११ को पढ़ें

(श्री विजयसिंह झाला)

तो आपको मालूम होगा कि जिस अदालत के सामने वाद होगा उसको आपने अधिकार दिया है कि जब उसको मालूम हो जावे कि मनीलेंडर के पास लाइसेन्स नहीं है तो ५००) रु० तक जुर्माना करेगी। अब मानलें २५०) रु० से नीचे का दावा है और वह कोर्ट में नहीं जाकर न्याय पंचायत में ही करता है तो क्या न्याय पंचायतें ५००) रु० जुर्माना कर सकती हैं। मगर वे ऐसा नहीं कर सकती। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है क्योंकि न्याय पंचायतें ५०) रुपये से ज्यादा मनीलेंडर पर जुर्माना नहीं कर सकतीं और किसी दूसरी कोर्ट के सामने होगा तो वह कोर्ट २५०) रु० से ज्यादा नहीं कर सकेगी। मेरे खयाल से मेरे काम्युनिस्ट साथी भी मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे। केवल यही नहीं समझें कि लिमिट कम की जा रही है इसलिये जनसंघ उनकी वकालत कर रहा है, वे ऐसी बात नहीं सोचेंगे, यह सिद्धान्त की बात है। आपके श्योपतसिंहजी ने भी काफी रुपया उधार दे रखा है। तो इस आशा के साथ कि काम्युनिस्ट साथी इसका समर्थन करेंगे, न्याय पंचायतों को ५० रुपया तक का ही जुर्माना करने का अधिकार दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): अच्छा बोहरा तलाश करके दो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जो प्रावधान सरकार की ओर से रखा गया है, मैं समझता हूँ कि इसके पहले क्लॉज़ में जो प्रतिबन्ध सरकार ने लगाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने बिना लाइसेंस लिये कर्जा दिया है उन्हें अदालत से डिग्री हासिल नहीं हो सकेगी। इस मंशा को सब-क्लॉज़ (२), (३) और (४) के जरिये खत्म ही कर दिया है और इस तरह जो मनीलेंडर्स की करप्ट प्रेक्टिस को रोकने की कोशिश थी, जो इस तमाम बिल का ऑब्जेक्ट है उसको ही सब-क्लॉज़ (२), (३) और (४) से खत्म कर दिया गया है। सब-क्लॉज़ (२), (३) व (४) यह कहते हैं कि अगर दावा होने के बाद यह पाया जाय कि जिस वक्त कर्जा दिया उस वक्त मनीलेंडर के पास लाइसेंस नहीं था तो वह अदालत को एप्लाई कर दे और अदालत उसको मौका दे दे कि वह लाइसेंस ले ले और इस तरह पिछली लाइसेंस फीस देने के बाद और उसकी मामूली पैनाल्टी देने के बाद वह वेलिड लाइसेंस होल्डर बन जायगा और उसको इस तरीके से डिक्री मिल जायगी। इसका मतलब यह है कि हम मनीलेंडर्स को प्रोत्साहन देंगे वास्ट स्केल पर कि लाइसेंस नहीं लें। मनीलेंडर कर्जा देता है तो यह मान कर देता है कि उसको अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसको यह डर हो कि उसको अदालत में जाना पड़ेगा और कर्जा देते वक्त लाइसेंस नहीं, दावा करते वक्त लाइसेंस नहीं होने की वजह से डिक्री नहीं मिलेगी तो लाजमी तौर पर वह लाइसेंस लेगा। पर इस क्लॉज़ में यह प्रोविज़न है कि लाइसेंस नहीं है तो भी पैनाल्टी चुकाने पर लाइसेंस मिल जायगा, तो उस पर दबाव नहीं है कि लाइसेंस ले, मामूली पैनाल्टी देकर वह आखिर स्टेज पर जब कि वह पकड़ा गया अपनी गैर कानूनी कार्यवाहियों की वजह से उस वक्त भी वह पैनाल्टी देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। जहां होना यह चाहिये था कि जिस समय अदालत के नोटिस में आये कि इस शख्स ने लाइसेंस नहीं लिया वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अदालत की निगाह में मुजरिम होना चाहिये, उसके बजाय सब क्लॉज़ (२) (३) व (४) के जरिये सरकार उसको सहूलियत दे रही है कि कोई बात नहीं, तुम जुर्म करते रहे हो, क़ानून के खिलाफ लोन देते रहे हो दावे करते रहे हो तो भी तुम्हें डिक्री देते हैं, पिछले पैसे जमा करा दो तो तुम्हें वेलिड लाइसेंस होल्डर मान लिया जायगा। तो जो सेंस था इस बिल का जो मैन ऑब्जेक्ट था उसको इन क्लॉजेज़ के जरिये मनी लैंडर्स को इस प्रकार की सहूलियत देकर खत्म कर दिया गया है

(५. २० म.प.

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से कानून हम बनाते हैं और बनाये हैं पर इस तरह से मुजरिम को पैसा देने पर तमाम जुर्मों से मुस्तस्ना कर दिया जाय, यह कहीं नहीं देखा। इतना ही नहीं स्टेट एपरेट्स ऐसे गुनाहगारों को मदद करे जो लोग कानून की अवहेलना करते रहे, स्टेट एपरेट्स उनकी मदद पर आये, यह एक पर्टीक्यूलर क्लास के लिये सरकार के दिल में सोफ्ट कोर्नर है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। मुजरिम होने पर भी स्टेट एपेरेट्स की मदद देनी चाहे और आगे की धाराओं में है कि उसे मुजरिम ही करार नहीं दिया जाय, समझौता कर लिया जाय, इससे साफ जाहिर है कि सरकार यह नहीं चाहती कि इस ईविल को रूट-आउट कर दिया जाय। इस तरह की सुविधाएं मनीलैंडर्स को दी जा रही हैं कि ईस एक्ट की तमाम मंशा ही इन धाराओं से खत्म हो जायगी और इसका नतीजा यह होगा कि बहुत लोग लाइसेंस नहीं लेंगे और लोग डिफॉल्टर होंगे क्योंकि डिफॉल्टर होने में भी ज्यादा गुनाह नहीं है, थोड़ा सा तावान देकर वह वेलिड लाइसेंस होल्डर बन जायगा। इसलिये इन क्लॉज़ेज़ को निकालने के लिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है। सब क्लॉज (१) का पार्ट :

"Sub clause (1)be replaced by the following :—

"After the expiry of three months from the date on which this Act comes into force, no court shall take cognizance of a suit by a money-lender to which this Act applies if the money-lender holds no valid license under this Act; and no court shall pass a decree in favour of a money-lender in any suit unless the court is satisfied that at the time when the loan or any part thereof to which the suit relates was advanced, the money-lender held a valid licence'."

इसमें जो ओरीजिनल क्लॉज़ है और अमेंडेड क्लॉज़ है उसमें यह है कि जब दावा करे उस वक्त भी वेलिड लाइसेंस होना आवश्यक है ; अगर वेलिड लाइसेंस नहीं होगा तो अदालत उस सूट को कॉग्निजेन्स नहीं देगी। मौजूदा क्लॉज़ में है कि अगर कर्जा देते वक्त उसके पास वेलिड लाइसेंस नहीं था तो कोर्ट डिक्री नहीं देगा, इसका मतलब है कि कोर्ट ट्रायल में जा सकती है, दावा करता है उस वक्त उसके पास कोई वेलिड लाइसेंस होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे शख्स के दावे को अदालत यह जानते हुए भी कि इस शख्स ने कानून को डिफॉल्ट किया है तब भी वह मजबूर कर सकता है कोर्ट को उसके दावे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को कॉग्निजेन्स देने के लिये, कोर्ट को सुबूत मांगनें पड़ेंगे, कोर्ट को सारे काम करने पड़ेंगे और अन्त में डिक्री की स्टेज पर उसको मौका है कि उसके पास वेलिड लाइसेंस नहीं है तो वह पेनाल्टी देकर हांसिल कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक तरह से बिल्कुल वायोलेशन है इस लॉ का और इस कानून की जो मूल मंशा है उसको ही खत्म कर देता है ।

मैं समझता हूं कि यदि आप मनी लैंडर्स को मजबूर करना चाहते हैं कि वे लाइसेंस लें तो यह प्रोविज़न करिये कि यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ही नहीं लें । क्यों अदालत का समय बर्बाद हो, लॉ को डिफॉल्ट करने वाले की बहस में क्यों कोर्ट जाय ? यदि इस प्रकार की सहूलियत आप उनको देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं उनको आप बहुत बड़ी लॉंग-रोप देना चाहते हैं ।

इस सब-क्लॉज़ (१) में यह अमेंडमेंट किया है कि (२) (३) और (४) सब-क्लॉजेज़ हैं, जिनमें अदालत मौका दे सकती है, दो तीन महीनों में लाइसेंस ले ले । मैंने इन क्लॉजेज़ को बिल्कुल हटाने की बात रखी है । क्योंकि लोग पहले ही होशियार होने चाहिये, ६ महीने का मौका दे रहे हैं, गवर्नमेंन्ट प्रचार करेगी तो उनको लास्ट टाइम तक मौका दिया जाय यह उचित नहीं होगा, इससे बिल की सारी मंशा ही खत्म हो जायगी ।

श्री विजयसिंह झाला ने जो सजेशन रखा है कि न्याय पंचायत ५०) रुपये तक ही जुर्माना कर सकती है इसमें ५००)रु० मेग्ज़िमम् रखा है । कानून में कहीं यह पाबन्दी नहीं है कि कोई भी अदालत जो मेग्ज़िमम् अमाउन्ट जुर्माने का है वही जुर्माना करे । लोअर कोर्ट को थोड़ा जुर्माना करने का पॉवर है तो वह जितना उसके पॉवर में है उतना ही जुर्माना कर सकता है । किसी कोर्ट को ५०) रुपया जुर्माना करने का पॉवर है तो वह ५०) रु० जुर्माना करे, किसी को २५) रु० जुर्माना करने का पॉवर है तो २५) रु० जुर्माना करे, जिसको ५००) रु० जुर्माना करने का पॉवर है तो वह ५००) रु० तक जुर्माना कर सकता है ।

देखने में यह लगे कि डिफॉल्ट ऑफ ईच डे के लिये ५००) रु० जुर्माना रखा है पर वह शख्स जिसने कानून को अवहेलना की, जिसके पास कर्जा देते समय लाइसेंस नहीं, जिसके पास दावा करते समय लाइसेंस नहीं, कोर्ट ने मौका दे दिया तो भी कार्यवाही नहीं करता, इस तरह जो तीन बार कानून की अवहेलना करता है ऐसे शख्स के साथ और रियायत बरती जाय तो मैं समझता हूं मनी लैंडर्स की करप्ट प्रेक्टिस को रोकना चाहते हैं, वह नहीं कर सकते । जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि विचारों में बुनियादी मतभेद है । हम चाहते हैं कि वे साफ बात कहें । पहले सेंन्टेन्स में तो कह देते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं और फिर सारी बातें विरोध की होती है, इससे जनता को भुलावा होता है, हम चाहते हैं कि वे इस तरह जनता को भुलावे में नहीं डालें, साफ बात रखें । इसलिये मैं झाला साहब के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और मैंने जो अमेंडमेंट रखा है, उम्मीद करता हूं कि माननीय उप-मंत्री उसे स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११ के अन्दर यह जरूरी है कि अगर कोई साहूकार डिक्री दावे के लिये जाय तो अदालत जब तक लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा डिक्री नहीं देगी । इसके अलावा अदालत को भी पॉवर दी है कि दावा करने वाले मनी लैंडर को तीन महीने के अन्दर अन्दर लाइसेंस प्रोड्यूस करने की हिदायत करें और ५००) रु० जुर्माना भी कर सकती है । इसमें तीन महीने की जगह ६ महीने करने का मेरा अमेंडमेंट है । इनीशियल स्टेट में जब शुरू में यह कानून आ रहा है तो कई दिक्कतें आने वाली हैं । रूरल एरिया में सबको मालूम तक नहीं हो सकेगा । जो ३ महीने की मयाद अदालत दे रही है और लाइसेंस ओब्टेन करने के लिये लोगों को मुश्किलें होंगी उसके लिये मेरा अमेंडमेंट है कि तीन महीने की बजाय ६ महीने कर दिये जायं । और ५००) रु० का जुर्माने का क्लॉज़ है उसको हटाने का मेरा अमेंडमेंट है । क्योंकि ५००) रु० जो जुर्माना किया जा रहा है वह मेरी समझ में कुछ ज्यादा पनिशमेंट है । साथ ही साथ वह लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और जिस कारण जो अदालत में दावा हुआ है उसकी डिक्री उसको नहीं मिलेगी, उससे स्वयं में पनिशमेंट मिल रहा है । साथ में ५००) रु० का यह प्रोविजन और है ऐसी सूरत में मैं कहूँगा कि मेरा यह अमेंडमेंट है कि ५००) रु० की पनिशमेंट नहीं रखी जाये और ३ महीने की जगह ६ महीने की मयाद रखी जावे । ५००) रु० की पनिशमेंट नहीं होगी तो प्रोविज़ो की भी जरूरत नहीं होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा अमेंडमेंट रह गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : आप बोले उसको मैंने देख लिया है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उन्होंने मेरा रेफरेन्स दिया है, मुझे कुछ कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष : No, आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका रेफरेन्स चलता रहेगा ।

माननीय उपाध्यक्षजी, दफा ११ के अन्दर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रस्ताव रखे हैं, एक तो यह रखा है कि सब क्लॉज़ (२) के अन्दर he says;

"In sub-clause (2) between the words 'Money lender' and 'stay' insert the words 'or debtor'..."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह मैंने नहीं रखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He has not moved it.

He has moved the other amendment.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसका मैं बाद में जवाब दे दूंगा । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने २-३ प्रस्ताव रखे हैं । पहला प्रस्ताव ११ के सब-क्लॉज़ १ में है ६ महीने की मयाद के बजाय तीन महीने की मयाद की है । इसमें जो प्रावधान किया गया है वह इस प्रकार है : "After the expiry

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

of six months from the date on which this Act comes into force, no court shall pass a decree in favour of a money-lender in any suit filed by a money-lender to which this Act applies unless the Court is satisfied that at the time when the loan or any part thereof to which the suit relates was advanced the money-lender held a valid licence."

तो इसमें छः महीने की अवधि दी गई है। ६ महीने के बाद दावा करें तो डिक्री उस पर नहीं हो सकती जब तक कि वेलिड लाइसेन्स नहीं ले लेता है जिस तारीख में लोन दिया गया है उसका। ६ महीने के बदले में माननीय सदस्य ने तीन महीने की मयाद अपने प्रस्ताव में रखी है। ६ महीने की मयाद इतना महत्व नहीं रखती है किन्तु दूसरा जो सब-क्लॉज हैं २, ३, ४ वे महत्व रखते हैं। अन्डर लाइंग आइडिया आपकी तरमीम का क्या है ? अभी जो मौजूदा इसमें व्यवस्था है वह यह है कि ६ महीने के अन्दर दावा करे और कोई कोर्ट डिक्री दे सकती है बशर्ते कि जिस तारीख को लोन दिया है उस तारीख का वह लाइसेन्स दे। साथ साथ यह भी कहा गया है कि ट्रायल हो रही कई मुकदमे की और उस पर एतराज करे कि लाइसेन्स है या नहीं, कोर्ट स्टे कर देती है और पर्टीक्यूलर पीरियड में लाइसेन्स पेश करने की हिदायत करती है, पैनाल्टी वगैरह का भी प्रावधान है, लाइसेन्स प्रस्तुत कर देता है तो वह सूट आगे चलेगा नहीं तो वह सूट डिस्मिस हो जायगा। इसके अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है। आपका जो अमेन्डमेन्ट है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी दावा करे उसके पास उन तारीखों का जिनमें लोन दिया गया है,लाइसेन्स नहीं है तो उस दावे को खारिज कर देना चाहिये। स्टे और लाइसेन्स लेने की बात पेनाल्टी की बात, सब समाप्त हो जानी चाहिये चाहे वह रिजनेबल कॉज़ बता कर लाइसेन्स प्राप्त कर ले, पैनाल्टी देकर लाइसेन्स प्राप्त कर ले। आपके सब क्लॉजेज़ (२),(३)व(४) को डिलीट करने की मंशा है इस प्रकार है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। सरकार की यह मंशा है, स्कीम की भी मंशा यही है कि कोई भी आदमी दावा करता है और उस वक्त उसके पास लाइसेन्स नहीं है, प्रोसिडिंग्ज़ स्टे हो जाती हैं और पैनाल्टी देकर, वैलिड रीज़न कर पहले के लिए लाइसेन्स प्राप्त कर लेता है तो उसमें हानि क्या है ? डेटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक इन्ट्रेस्ट केल्कुलेशन का सवाल है इस बिल की मंशा से ही होगा। यदि लाइसेन्स नहीं प्रोड्यूस करता है तो दावा खारिज हो जाता है। उसको एक ऑपोर्चुनिटी दी है वह न दिलवा कर आप चाहते हैं कि कानून उस समय नहीं था और इस कारण उसने लाइसेन्स नहीं लिया था इसलिए अब उसको ऑपोर्चुनिटी नहीं दी जाय, यह वाजिब नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने लागू तो कर दिया, suit to which it applies.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५ (१) को पढ़ेंगे तो आपकी जो मंशा है वह आपको मालूम हो जायगी। आपकी मंशा आपको मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वे इस बिना पर खारिज हो जाय कि उस समय लाइसेन्स नहीं किये, यह उचित नहीं है। लाइसेन्स होगा कहां से ? पद्धति ही नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे अमेन्डमेन्ट का इन्टरप्रिटेशन गलत है। मैं फिर बाद में कहूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप चाहते नहीं हैं कि प्रोसिडिंग्ज हों, आप नहीं चाहते हैं कि पैनाल्टी देकर लाइसेन्स वह प्राप्त करें। इस पद्धति को आप नहीं चाहते हैं। सब-क्लॉज़ (१) में जो छ: महीने का है उसमें भी आप तीन महीने की अवधि चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आपने यह भी प्रस्ताव रखा है :

"Nothing in this section shall affect suits in respect of loans advanced by a money-lender before the date on which this Act comes into force...."

हमने जो प्रावधान रखा है, हमने इस क्लॉज़ में यह कहा है कि इस कानून के रायज़ होने से पहले के दावे हैं उन पर यह लागू नहीं होता। यह लागू होने का मतलब लाइसेन्स का सिद्धान्त लागू नहीं होता। न कि ब्याज। कितना ब्याज होगा यह सिद्धान्त आगे लागू है। इसमें बताया गया है। सारा यह कानून लागू होगा। केवल एक लाइसेन्स न लेने के लिए यह लागू होगा उन दावों के लिए जो इस एक्ट के जारी होने से पहले हो चुके थे। आप इस प्रावधान को उड़ाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पुराने दावों को, पुराने लेन-देन को एक स्ट्रोक ऑफ पैन से खारिज कराना चाहते हैं। इस लेजिस्लेशन की यह मंशा नहीं है। सरकार की मंशा यह है कि दाम—दुपड़ से ज्यादा नहीं लेना चाहिये। जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं उसके हिसाब से दावे की तिथि देखते हुए यह देखे कि ब्याज रखा है उससे कहीं ज्यादा तो नहीं है। उसको रेगुलेट कर सकते हैं। केवल लाइसेन्स के आधार पर कि उस तारीख को लोन दिया है जब कि लाइसेन्स की पद्धति ही नहीं थी यह एक्ट रायज़ ही नहीं था, उन तिथियों में दिये हुए लोन के दावों को खारिज कर दिया जाय, यह इसकी मंशा नहीं है और न ही इससे सरकार सहमत हो सकती है।

गंगासिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है वह यह है कि ३ महीने के बजाय छ: महीने का पीरियड कर दिया जाय। तीन महीने की अवधि काफी होती है और मैं छ: महीने की अवधि रखने के लिए सहमत नहीं हूं।

एक प्रस्ताव आपने यह रखा है कि यह जो पीरियड है :

"together with such penalty not exceeding five hundred rupees as the court may direct......"

यहां से लगा कर वह जो प्रोविज़ो है जिसके तहत रीज़नेबल कॉज़ बता देता है तो कोर्ट उसको माफ भी कर दे, इसको डिलीट कर दिया जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पैनाल्टी का क्लॉज़ रखा है बिना वजह लाइसेन्स न ले, दावा कर देता है, उसको मोहलत दी जाय, लाइसेन्स नहीं लिया है इसकी पैनाल्टी होनी चाहिये और यह प्रेस्क्राइब की गयी है। उसके गुड-फेथ और बोनाफाइडी पर विश्वास हो जाय और कोर्ट एग्जेम्ट करना चाहे तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कर सकती है। सारा का सारा डिलीट कराना चाहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं। यह कहा कि जो न्याय पंचायतें और दूसरी कोर्ट्स हैं, न्याय पंचायत को ५०) रु. लगाने का और दूसरी को अधिक, हमने प्रोवाइड किया है ५००) रु० अलवर से माननीय सदस्य ने बहुत कहा।

जो अधिकार जिसका है उतने पर ही सीमित है। न्याय पंचायत को पचास रुपये का अधिकार है। तो यह हो सकता है कि आपकी दलील सही हो, लेकिन उनका आधार भी वाजिब है। न्याय पंचायतों की दृष्टि से आपने ५०० के बजाय २५० कर देने के लिए तरमीम पेश की, उससे सहमत नहीं हूं। जिन शब्दों में आपने यह तरमीम पेश की, न्याय पंचायतों के लिए ५० रुपये की बात रखी जाय, जिस जगह पर रखी है, उस जगह पर रखना उचित नहीं है। So I move that at the end of sub-clause (2), add the words "and if such court is that of a Nyaya Panchayat, such penalty shall not exceed fifty rupees." इन शब्दों में स्पष्टीकरण के लिए तरमीम की जाय, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह तरमीम मैं प्रस्तावित करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रस्तावित क्या करते हैं; जो है, उसको मान लीजिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने २५०) रुपये की बात कही। जिस स्थान पर आपने तरमीम की बात कही वह ऑफेन्स से ताल्लुक रखने वाली बात थी, इसलिए क्लॉज़ ११ के बारे में केवल इस बात के अलावा, बाकी के जो प्रस्ताव हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे विद्ड्रॉ करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : No. I want to clarify. He has mis-interpreted my amendment.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो मेरी अमेंडमेंट की व्याख्या की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस अमेंडमेंट की मन्शा को ठीक तरह से नहीं समझा है। जहां तक सब-क्लॉज़ (५) के पार्ट (ए) को डिलीट करने की मन्शा है, मैं समझता हूँ यह रिडन्डेट है, क्योंकि यह कहता है "suits in respect of loans advanced by the money-lender before the date on which this Act comes into force" nothing in this Section shall affect.

लेकिन सब का सब क्लॉज़ ५ (१) है जो शुरू में है वह कहता है :

"(1) After the expiry of six months from the date on which this Act comes into force, no Court shall pass a decree in favour of a money-lender in any suit filed by a money-lender to which this Act applies......"

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

and this Act, according to Section 2 (15) applies only to such loans which have been advanced after the commencement of this Act. This Section shall apply only to suits about loans which were advanced after the coming into force of this Act.

इसलिए आपके सब क्लॉज़ (५) का पार्ट (ए) रिडन्डेंट है। इसलिए मैंने इसको डिलीट करने के लिए कहा। मेरा मकसद यह नहीं है कि जब यह कानून नहीं था उससे पहले भी ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): यहां तक तो बात सही है। लेकिन इसके स्पष्टीकरण के लिए इस सब-क्लॉज़ को रखा है। फिर भी कहीं गलतफहमी न हो, इस वजह से........

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए यह मकसद नहीं है कि जो कर्जे इस कानून से पहले लिए गए थे, उस वक्त का लाइसेंस न हो तो दावे खारिज किए जायं। लेकिन मेरे अमेंडमेंट का मकसद यह अवश्य है कि जो दावे आएं, उसमें दावे करने वाले के पास, दावे करते वक्त भी वेलिड लाइसेंस होना चाहिए। कोर्ट को कॉग्नीज़ेन्स लेने से पहले the court must be satisfied that the plaintiff holds a valid licence.

आपने जो मौजूदा क्लॉज़ रखा है उसमें उसके पास कोई वेलिड लाइसेंस होना आवश्यक नहीं है, यह इसके अन्दर खराबी है इस क्लॉज़ में उसको मैंने अमेंड किया है और मैं समझता हूँ कि उससे यह उसमें सहूलियत मिलेगी कि जो आपने ५० रुपये तक जुर्माना रखा है और आपने यह कहा है कि हम लोगों को एक मौका देना चाहते हैं। मौका हमने ६ महीने का दिया है। ६ महीना कानून लागू होने के बाद ६ महीने तक लाइसेंस के लिए एप्रोच करेगा। इसलिए पुराने कर्जे वालों को यह सहूलियत देते तो बात समझ में आ सकती थी। लेकिन जो आप सुविधा दे रहे हैं वह पुराने कर्जे वालों को नहीं दे रहे हैं। आप यह सुविधा उन मनीलैंडर्स को दे रहे हैं जो आपके कानून के लागू होने के बाद कर्जा देंगे और लाइसेंस नहीं लें तो उनको यह सहूलियत दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह प्रोत्साहन होगा इस लॉ को इवेड करने का। आप इस पर पुनर्विचार करें। नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि लोगों को कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दावा करें तो फिर कोर्ट में याचना करेंगे और लाइसेंस ले सकते हैं। इससे सारा पर्पज़ डिफीट हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें सिम्पल सी बात है। जो सब-क्लॉज़ (५) (ए) है, मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ कानून है, उससे मन्शा साफ निकलती है।

दूसरी बात जो आप ने कही, उसके लिए माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि ऐसे कई एक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर एक पार्टनरशिप एक्ट की बात कहता हूँ जिसके अन्दर ६९ (३) के तहत पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना लाज़मी है। उसका दावा नहीं चल सकता जब तक पार्टनरशिप जोइंट कम्पनीज़ के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। इस प्रकार का ऑब्जेक्शन उठता है तो प्रोसीडिंग्ज़ स्टे हो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जाती हैं और वह सर्टीफिकेट आता है उसके बाद में वे प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। उसी आधार पर यह स्टे वाला प्रोवीज़न रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस एक्ट का मकसद करप्ट प्रेक्टिसेज़ को रखना नहीं है। इस एक्ट का मकसद कन्ट्रोल और रेग्यूलेट करने का है। मनीलैंडिंग में करप्ट प्रेक्टिसेज़...

श्री उपाध्यक्ष : Shri Vijay Singh Jhala, Would you like to withdraw ?

श्री विजयसिंह झाला : यह व्यवस्थान का प्रश्न है। अमेंडमेंट उधर से मूव किया गया। इन्हीं शब्दों को स्वीकार किया गया, लेकिन उसकी जगह को बदल दिया गया। तो उसी अमेंडमेंट को उसी जगह पूरा रखने का मुझे अधिकार मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो सशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है..

श्री विजयसिंह झाला : उसको स्वीकार तो कर लिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके अमेंडमेंट्स तो कई तरह के हैं। न्याय पंचायत के सिलसिले में ५०रुपये की पेनाल्टी के बारे में जो बताया गया उस प्रिन्सीपल को मैं स्वीकार करता हूं; जिस स्थान पर उपयुक्त है..

श्री विजयसिंह झाला : प्रिन्सीपल तो स्वीकार नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ है; मुझे मूव..

श्री विजयसिंह झाला : इसलिए मैं उपयुक्त जगह के लिए मूव करने की आज्ञा चाहता हूं और दूसरा विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ....

श्री विजयसिंह झाला : मूव नहीं होना चाहिए। यह तो ...

श्री उपाध्यक्ष : यहां की परम्परा यह रही है कि आपका जो संशोधन प्रस्तुत है ...

श्री विजयसिंह झाला : Point of order...

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया ...

श्री विजयसिंह झाला : वह दूसरा है। कोई अमेंडमेंट मूव होता है ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो पहला पोइंट ऑफ ऑर्डर है उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दूं, फिर दूसरा लूंगा। परम्परा यह रही है कि केवल एक पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया जाय, उसको पहले डिस्पोज़ ऑफ किया जाय, उस विषय में मुझे कहना है कि जो भी संशोधन आते है यदि उनको विद्ड्रा नहीं किया जाता तो हाउस में वोट के लिए रख दिए जाते हैं और फिर जैसा भी निर्णय होता है, वैसा उसमें संशोधन होता है। उसके अलावा

(श्री उपाध्यक्ष)

यदि माननीय उप मंत्री ने दूसरा संशोधन रखा है, उसी भाषा में हो या किसी दूसरी में, वह स्वीकार या अस्वीकार होता है, उसका पृथक निर्णय होता है। तो दूसरा पोइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं हो सकता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जावें :

"At the end of sub-clause 2 add the words, 'and if such Court is that of a Nyaya Panchayat, such penalty shall not exceed fifty rupees."

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ व १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ व १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड १३

[खण्ड १३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): In sab-clause (5), replaced the woras " thirty days " by the words "sixty aays. "

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(I) Sub-clause (2) be replaced by the following:-

(2) Every such application shall be accompained by on affidavit of the appllcant."

(II) In sub-clause (3) delete the words 'and deposit' appearing after the word 'alppication' and before the word 'or' in the first line and also delete the words and figure 'and may also direct the return of the deposit made under sub-section (2), after the word 'money-lender, in the last but one line.

(iii) Sub-clause (4) be raplaced by the following:-

'(4) If the Registrar finds that an application made under sub-section (i) is false, frivolous anfl vexatious he may move the proper court for prosecution of the applicant."

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : In sub-clause (5), the words 'thirty days'be replaced by the words 'sixty days.']

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ १३ के सब-क्लॉज़ ५ में संशोधन है जिसमें ३० के बजाय ६० दिन की अवधि करने की प्रार्थना की गई, जिसको माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १३ में यह है कि जो सब क्लॉज़(२) है जिसमें यह लाजमी किया गया है कि जो कोई भी शख्स मनी लैन्डर के खिलाफ शिकायत करना चाहे कि यह गलत प्रेक्टिस कर रहा है इसके लिये इसका लाइसेन्स कैन्सिल किया जाना चाहिये उसको १००) रुपये के साथ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। 'न नौ मण तेल होगा न राधा नाचेगी"। न तो १००) रुपये एप्लीकेशन देने वाले के पास ही होंगे और न वह एप्लीकेशन दे ही पायगा। यह प्रोहिबिटिव क्लॉज़ लगा दिया गया है जिससे गरीब आदमी शिकायत ही नहीं कर सके।

मेरा संशोधन यह है कि इस क्लॉज़ को निकाल कर यह सब्स्टीट्यूट किया जाय; एप्लीकेशन के साथ अपना एफ़ीडेविट देगा। इसी के अनुसार इसमें अमेन्डमेन्ट किया गया है और इसमें 'डिपोज़िट' आदि शब्द निकाल दिये गये हैं। अगर रजिस्ट्रार यह पाये कि इसने गलत दर्ख्वास्त दी है वेक्सेशियस या फ्रीवोलपेस है तो फिर जो कॉन्सीक्वेन्सेज़ होते हैं क्लॉज़ ६१ के तहत उसका प्रोसीक्यूशन हो सकता है। इससे ज्यादा आप और क्या चाहेंगे ? अगर एक्चुअल शिकार गरीब आदमी होता है इस तरीके की घटनायें घटती हैं १००) की जगह २००) लिख देना, १००) रु० लिखा लेना और ४०) रु० दे देना, इस प्रकार बहुत साधारण लोगों से लिखाया जा सकता है। इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाना है तो १००) रुपया जमा कराये तब ही वह दर्ख्वास्त दे सकेगा, यह बहुत गलत बात है। अगर आपका यह मकसद है कि गलत दर्ख्वास्त न दे, फ्रिवोलस दर्ख्वास्त न दे तो उसके लिये पैनल क्लॉज़ रखिये। उसके लिये प्रोसीक्यूशन हो सकता है। इससे उसके हित अपने आप

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में सेफगार्ड हो जायगा। मैं समझता हूं, इसे माननीय मंत्री महोदय अवश्य स्वीकार करेंगे, इससे आपको डरना नहीं चाहिये कि मनी लैन्डर्स के खिलाफ बहुत सी दरख्वास्तें आ जायंगी, इस डर से आप घबरायें नहीं। कोई फिवोलस दरख्वास्त नहीं आयगी। प्रोसीक्यूशन करने के बाद कोई आदमी गलत दरख्वास्त नहीं देगा, इसलिये १००) रुपये का पेनाल्टी क्लॉज़ निकाल कर एफिडेविट की बुनियाद रखी जाय तो यह सही चीज होगी।

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ के सब-क्लॉज़ ५ के अन्दर मयाद का सवाल है। पहले हमने ६० दिन का मन्जूर कर लिया है; इन कन्फर्मेटिव टू देट इसमें भी साठ दिन मन्जूर करना निहायत आवश्यक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मैं इसके सपोंट में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर काफी अमेन्डमेन्ट्स हैं और कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जिसको हाउस ने स्वीकार किया है इस बिल को आज ही समाप्त करना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैं केवल दो मिनट ही लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: केवल दो मिनिट में ही समाप्त कर दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): हमने भी कल समय मांगा था, नहीं दिया उपाध्यक्ष महोदय, द्वारा।

श्री उपाध्यक्ष: I shall give you an opportunity.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ बहुत जरूरी है इस धारा में, इस बिल को लाने की जो सरकार की नीति है उसको बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप में आगे लाकर रख दिया है। एक शख्स जो कर्जे में डूबा होता है वह यदि मनी लैन्डर के खिलाफ शिकायत करता है उसके लाइसेन्स के कैन्सलेशन के लिये तो उसको दरख्वास्त के साथ १००) रुपया जमा कराने होंगे। इस प्रकार का क्लॉज़ रखने का सिवाय इसके कोई नतीजा नहीं निकलता कि न तो उस कर्जदार के पास १००) रुपये होंगे और न वह उसके खिलाफ अर्जी दे सकेगा। इस तरह से आम समस्या को डिसकरेज करने के सिवाय इस क्लॉज़ का कोई मतलब नहीं है। यह इस प्रकार का क्लॉज़ लाये हैं जिससे मनी लैंडर्स के अवगुण नंगे न हो। इस क्लॉज़ का मकसद केवल मकरूज़ इन्सान को डिसकरेज करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ में अड़चन पैदा करने के अलावा इसका मकसद कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहां पर ऐसे मनी लैंडर्स हैं जो एक रुपये का हजार रुपया बना देते हैं, इस तरह का ढंग एक प्रकार से आम तौर पर सारे भारतवर्ष में चलता है और राजस्थान में यह विशेष रूप से चलता है। भारतवर्ष के किसी भी इकोनोमिस्ट की रिपोर्ट ले लीजिये, ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस के पन्द्रह सालों का राज्य किसी वेल्यूएशन कमेटी, रोयल कमीशन की कमेटी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ओन क्रेडिट सर्वे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की डालविन जैसे इकोनोमिस्ट की—सबका निश्चत रूप से यह नतीजा है कि मनो लैन्डर्स रेकॉर्ड को डिसटेम्पर करते हैं, झूठे दस्तावेज करते हैं, किसी न किसी हथकन्डे से मकरूज को खत्म कर देते हैं। यह चीज निश्चित रूप से मानी हुई है कि इस देश का मकरूज शिकायत लेकर जाता है तो उसके लिये १००) रुपया जमा कराने की बात है, वह निश्चित रूप से खतरनाक हैं, इसको वापिस ले लिया जाना चाहिये और उसके लिये एफीडेविट ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामानन्द जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज पर दो-तीन तरमीमें आयी हैं। उसमें एक तरमीम यह है कि तीस रोज की मयाद बढ़ाकर ६० कर दी जाय। पहले के खण्ड ८ और ९ के सिलसिले में इसको हम मान चुके हैं। इसके लिये अपील की मयाद ६० रोज कर दी जाय। इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं।

दूसरी तरमीम यह रखीगई है, क्लॉज १३ इस बात के लिये है, कि अगर कोई लाइसेन्स होल्ड करता है और उस लाइसेन्स होल्डर के लाइसेन्स को कैन्सल कराना हो तो उसके लिये दर्खवास्त देता है।

(६.०० म० प०)

तो आज मनी लैंडिंग का बिज़नैस एक आदमी करता है और कोई भी यह चाहे कि उसका लाइसेन्स कैंसल करा दिया जावे या उसके लिये यह घोषणा करादी जावे कि वह व्यापार करने का अधिकारी नहीं रहा तो ऐसी सैकड़ों दर्ख्वास्तें प्रस्तुत हो सकती हैं। उनको रोकने की दृष्टि से ही यह प्रावधान रखा गया है। अब कोई जिनुआइन दर्ख्वास्त हो तो वह डिनार भी न हो, इसके लिये वह रजिस्ट्रार के पास दर्ख्वास्त देता है तो उसके नेचर को देख कर रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि आपको इतना रुपया इसके साथ जमा कराना पड़ेगा और वह सारी रकम सौ रुपये से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान रखा है इसमें। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एप्लीकेशन को देखकर रजिस्ट्रार विचार करेगा कि उन तथ्यों की जानकारी करने और आदेश देने आदि में कितना रुपया खर्च होगा, उसको देखकर उतना रुपया जमा कराने का आदेश देगा और उतना रुपया जमा होने पर उसकी आगे कार्यवाही करेगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि हर आदमी को सौ रुपया ही जमा कराने पड़ेंगे। शब्द इसके ये हैं :!

"(2) Along with such application the said person shall deposit such amount not exceeding one hundred rupees as the Registrar may deem fit."

इसका मतलब यह है कि तथ्यों को देखकर रजिस्ट्रार जितना जरूरी समझेगा उतने का आदेश देगा और वह अधिकतम किस सीमा तक दे सकता है, वह सीमा बताई है इसमें। इसलिये किसी प्रकार की वैक्सीशियस फ्रिवोलस और फेबुलस एप्लीकेशन न दे पावे, इसके लिये यह बात कही गई है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने कहा कि एफीडेविट अगर कोई दे देता है तो इसके बाद में इस प्रकार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये और अगर वैक्सीशियस एप्लीकेशन दे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ भी एडॉप्ट की जा सकती हैं; तो इन सबसे मैं सहमत नहीं हूँ। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्ज़ की बात को चलाने को मैं महत्व नहीं देता । तो इसके लिये १००) रुपये तक की राशि देने की बात ही ठीक है। अगर उसकी दरख्वास्त में सत्यता है तो उसे यह राशि जमा कराने में संकोच नहीं करना चाहिये ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : बचाइये सेठ साहब, सेठों को बचाइये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सब-क्लॉज़ (५) है उसके अन्दर

"(5) Any person aggrieved by an order of the Registrar under sub-section (3) or sub-section (4) may within thirty days......is communicated to the licencee."

इसके बजाय करना है क्योंकि ऊपर 'एनी पर्सन' आया है इसलिये लाइसेन्सी के बजाय "to him" मन्जूर करने के लिये मेरा प्रस्ताव है। यह बैड ड्राफ्टिंग है ।

इसके आगे ३० के बजाय ६० डेज़ की जो तरमीम है उसे मैं स्वीकार करता हूं; बाकी को अस्वीकार करता हूं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो सुविधाजनक है मनी लैंडर को उसे आप स्वीकार करते हैं । तो आप भी कहीं मनीलैंडर तो नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सम्पतिलाल बोहरा और श्री गंगासिंह ने मयाद के सम्बन्ध में जो संशोधन रक्खे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सौ रुपये और एफीडेविट मान लें और सजा को बढ़ा दो ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रक्खे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री श्योपतसिंह आदि : 'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर), **श्री तेजाराम गहलोत, आदि**: 'ना' पक्ष जीता; 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I put it again.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

विपक्षी माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता ।

सरकारी माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want Division?

(शोरगुल एवं विभाजन घंटी)

Order please ! Order !!

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(पुन: मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा आदि : Ayes' have it, Sir

श्री रामप्रसाद लड्ढा, श्री रघुनाथ बिश्नोई आदि : Noes' have it, Sir

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

जो 'हां' पक्ष में हों कृपया खड़े हो जावें ।

('हां' पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए)

कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विराम)

जो 'ना' पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जावें ।

('ना' पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए)

अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

'ना' पक्ष जीता । संशोधन गिर गया ।

(व्यवधान)

Order Please !

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय :

"In sub-clause (5) for the words 'Licence' substitute the word 'him".

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉजेज़ १३, १४, और १५

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि ये सब क्लॉज़ेज़ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

ये सभी क्लॉज़ेज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड १६

[खण्ड १६ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व):

"(1) For sub-clause (1), substitute the following sub-clause, namely—

(I) A court passing an order of conviction against a money-lender for an offence under this Act, or a court trying a suit to which this Act applies, if satisfied that such money-lender has committed such contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder as would, in its opinion, make him unfit to carry on the business or money-lending, may,—

(a) if it is a competent court, pass an order under sub section (3);

(b) if it is not a competent court, record its opinion and forward the proceedings to a competent court having jurisdiction in the place where such court is held."

(2) In sub-clause (2), for the word, brackets and figures "clause (iv)", substitute the word, brackets and letter "clause (b)".

(3) in sub-clause (3); for the word, brackets and figures "clause (iii)", substitute the word, brackets and letter "clause (a) ".

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

In sub-clause (6) replaced the words "on......... to continue" by the words "shall be liable to fine not exceeding two hundred and fifty rupees."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(1) Sub-clause (i) be replaced by the following :—

"If a court passing an order of conviction against a moneylender for an offence under this Act, or, a court trying a suit to which this Act applies, is satisfied that such moneyalender has committed such contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder as would in his opinion make him unfit to carry on the business of moneylending may—

(a) Order that all the licences held by such money-lender in the State be cancelled or suspended for such time as it thinks fit;

(b) Declare such money-lender, or if such money-lender in an undivided Hindu family, a company or an unincorporated body, such family, company, or body as also any person responsible for the management of the business of money-lending be disqualified from holding any licence in the State for such time as the court may think fit—

Page No.83

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

Provided that no order or declaration shall be made under this sub-section unless a reasonable opportunity has been given to the person concerned to show cause against the order or declaration proposed to be made".

(ii) Clause (2) and (3) be deleted,

[iii] Sub-clause (4) be renumbered as "(2)" and re-written as under—

"(2), Any person aggrieved by the decision of the court under sub-section (1), shall have the same rights of appeals as provided in the Criminal Procedure Code or Civil Procedure Code for a Criminal or Civil case, respectively".

(iv) Sub-clause (5) be re-numbered as "(3)" and the words and figure "Sub-section (3)" appearing in the third line be replaced by the words and figure sub-section "(i)".

(v) Sub-clause (6) be renumbered as "(4)" and the word and figure 'sub-section (5)' appearing in the second line be replaced by the word and figure "sub-section (3)"

(vi) Sub-clause (7) be renumbered as '(5)' and the word and figure "sub-section (3)' be replaced by the word and figure 'sub-section (1)' and for the word and figure 'sub-section (5)' be replaced by the word and figure 'sub-section (3).'"

(vii) Sub-clause (8) be deleted.

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) :

(i) In sub-clause (6) omit the words "and any person who, without.........during which the default condinues."

(ii) In sub-clause(7) replace the word 'any' occurring between the words 'by' and 'court' by the article "a".]

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, I move the following amendment—

1. For sub-clause (1), substitute the following sub-clause, namely:—

"(1) A court passing an order of conviction against a money-lender for an offence under the Act, or a court trying a suit to which this Act applies, if satisfied that such money-lender has committed such contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder as would, in its opinion, make him unfit to carry on the business of money-lending, may,—

(a) if it is a competent court, pass an order under sub-section (3);

(b) if it is not a competent court, record its opinion and forward the proceedings to a competent court having jurisdiction in the place where such court is held."

2. In sub-clause (2), for the word brackets and figures "clause (iv)" substitute the word, brackets and letter "clause (b)".

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

3. In sub-clause (3), for the word, brackets and figures "clause (iii)", substitute the word, brackets and letter "clause (a)".

क्लॉज़ १६ में जो तरमीम मैंने पेश की है वह तरमीम सर्कुलेट हो चुकी है। उसमें जो कुछ पहले है उससे कोई तरमीम नहीं की गयी है। सिर्फ मैंने शब्द का फर्क था जो कि ड्राफ्टिंग में प्रोपर प्लेस पर पुट-अप नहीं किया गया था और अब उसको प्रोपर प्लेस पर रख कर क्लॉज़ को री-अरेन्ज कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन रख रहा हूं मुझे ऐसा दिखता है कि सरकार की तरफ से जो भी अमेन्डमेन्ट्स अभी तक स्वीकार किये गये या जो नये अमेन्डमेन्ट्स हमारे माननीय उप-मंत्रीजी की तरफ से आये हैं वे सारे के सारे साहूकारों को ज्यादा सहूलियतें देने वाले हैं और इन्हीं बातों को हमारे लड्ढा साहब स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे दुःख है और हमारा दल इसके लिए अफसोस जाहिर करता है कि जितने भी इस प्रकार के संशोधन रखे गये जो कि कर्जदारों को सहूलियतें दिलाने के वे सारे के सारे हमारे उप-मंत्रीजी ने अस्वीकार कर दिये। जो संशोधन मैं अब रख रहा हूं क्लॉज़ १६ के अन्दर, मैं समझता हूं कि उनकी जो इच्छा है वह उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जो अभी तक संशोधन स्वीकार करने में उनकी प्रवृत्ति रही यह उसके विरुद्ध नहीं है।........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यानी बोहरों के फेवर में है।

श्री विजयसिंह झाला : हां, कुछ फेवर में ही है। साथ ही साथ जो साम्यवादी बोहरे हैं उनके भी फेवर में है। केवल बोहरे नाम से आप मत चिढ़िये। हमारे उदयपुर में कॉम्युनिस्ट हैं वे सब के सब बोहरे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के लिए बता दूं और आज बड़े दुख की बात है कि एक सच्चे काम्युनिस्ट हमारे सदन में थे वे भी चले गये, स्वामी कुमारानन्द जी। उनके लिए मुझे सबसे बड़ा दुख है कि एक ही काम्युनिस्ट थे और वह भी चले गये और अब सारे के सारे बोहरे रह गए। अब कॉम्युनिस्ट्स धन को बचाने में लगे हैं और जिस प्रकार वे धन को बचाने के लिए काम्युनिस्ट बने हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो सदन में सच्चे कॉम्युनिस्ट थे और अब नहीं रहे उनकी बात कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): नाथद्वारा का प्रसाद खाकर आये हैं क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : नाथद्वारा का प्रसाद आप खा लेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल साफ हो जायेगा और बार बार जो कि सदन में बिना काम खड़े हो जाते हैं उसका भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा प्रबंध करेंगे कि कम से कम आपको वह मिले।

मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज़ १६ के अन्दर जिस व्यक्ति का लाइसेंस कैन्सिल होगा उस व्यक्ति को रजिस्ट्रार अपना लाइसेन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक नोटिस देगा और उस अवधि में यदि वह लाइसेन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ५००) रुपये प्रति

(श्री विजयसिंह झाला)

दिन जुर्माना रजिस्ट्रार कर सकता है, यह इसमें प्रावधान रखा है। मेरा इसमें एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट है कि उस पर ५००) रु० प्रति दिन जुर्माना करना मैं उपयुक्त नहीं समझता और उसका एक ही डिफॉल्ट होता है और लाइसेन्स को प्रोड्यूस नहीं करने का कन्टीनुअस नहीं होता, एक डिफिकल्टी है कि कोई ऑफेन्स कन्टीनुअल हो, इस प्रकार का ऑफेन्स नहीं है, इसलिए एक ही ऑफेन्स की परिभाषा में आता है और एक ही बार ऑफेन्स होता है। इसलिए प्रति दिन जुर्माना ५००) रुपया करना लोगज़ी अच्छा नहीं है। इसलिये इसके लिए २५०) रुपये जुर्माना किया जाये, यह मेरा इसमें अमेन्डन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ में यह है कि इस सिलेक्ट कमेटी द्वारा जो बिल पेश हुआ है उसमें मैं भी और माननीय उपमंत्रीजी ने जो अपना संशोधन रखा है उसमें भी यह प्रोवीज़न रखा है कि जो अदालत किसी मनीलैण्डर को कन्विक्ट करे या जो उसके सूट को ट्राई करे और उनके नोटिस में इस क़िस्म की बात आये कि कोई करप्ट प्रेक्टिस इस तरह की की है मनीलैण्डर ने जिसके अनुसार उसका लाईसैन्स सस्पेन्ड या कैन्सिल होता है तो इस मौजूदा स्कीम के मुताबिक वह कोर्ट, चाहे मजिस्ट्रट हो और चाहे मुन्सिफ या सब-जज हो, इनको अधिकार खुद को लाइसेन्स कैन्सिल करने का या सस्पेन्ड करने का न देकर और डिस्ट्रिक्ट जज को कॉम्पीटेन्ट कोर्ट कह कर डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार दिया है कि वह उस लाइसेन्स को कैन्सिल कर सकेगा, सस्पेण्ड कर सकेगा। एक स्पेशल स्टेटस कॉमन-मैन के अलावा मनीलैण्डर को दिया जाये जैसे कि कोई सब-जज या मजिस्ट्रेट बड़ी आर्बिट्रेरिली करता है उनका प्रोनाउन्समेंट जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट नहीं होगा, उनके हाथ में अधिकार रहा तो मनीलैण्डर्स मारे जायेंगे, इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रख कर इस क्लॉज़ के अन्दर यह पॉवर डिस्ट्रिक्ट-जज को दी है जबकि ऑर्डिनेरीली एक डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत एक अपीलेट कोर्ट होती है, छोटे छोटे दीवानी दावों में या क्रिमिनल केसेज़ के अन्दर। तो बहरहाल अगर ओरीजिनल जुरिस्डिक्शन में ही करेगा डिस्ट्रिक्ट जज या सैशन्स जज की हैसियत में उस कोर्ट के पास आता है वह केस तब तो वह कोर्ट कर ही सकता है। लेकिन ओरीजिनल जुरिस्डिक्शन में मजिस्ट्रेट के पास केस आये और मजिस्ट्रेट कन्विक्ट करता है या एक सब-जज के पास आये और वह सूट के ट्राइल के दौरान में यह बात आती है कि लाइसेन्स कैन्सिल होना चाहिए तो यह दोनों इम्पोर्टेन्ट कोर्ट्स जो कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रायल करती हैं उनको यह अधिकार नहीं देकर यहां तक कि वह सबऑर्डिनेट जज जिसको फर्स्ट क्लास पॉवर्स हैं उसको न देकर एक डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में देते हैं वह कन्विक्शन का फैसला मजिस्ट्रेट ने कर दिया, दीवानी फैसला सब-जज को अदालत में कर दिया; लेकिन सिर्फ लाइसेन्स के कैन्सलेशन या सस्पेन्शन के समय में भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजें, इस तरीके से इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी भी होगी कि यह मामला जबरदस्ती डिले होगा और इसके अन्दर देरी होगी।

दूसरे इसको सैंक्टिटी दी जाती है उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अरेस्ट करने का मामला आप क्लॉज़ ४० के अन्दर देखेंगे। तो और लोगों को कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स में सब-इन्स्पेक्टर गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन इस मनीलैण्डर को इतना ऊंचा स्थान मिला है हमारी सरकार के दिल में कि उसके लिए डी० एस० पी० ही उसको गिरफ्तार कर सकेगा। इसी तरीके से इस १६ वें क्लॉज़ के अन्दर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की अदालत है उसके अन्दर यह ट्रस्ट रिपोज़ किया है अपने घर वाले को कोई मारे तो छाया में पटकने की कोशिश जरूर करता है; इस तरह का हमारा लड्ढा साहब का प्रयत्न है उसमें हर एक में छाया जरूर रखी है कि कहीं धूप के अन्दर खड़ा खड़ा जल न जाये।

इस तरीके से हर क्लॉज़ के अन्दर इसी बात को रखा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोवीज़न के रखने से डिले होगी, अन्नेसेसरिली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, और जो अदालतें बहुत इम्पोर्टेन्ट डिसीज़न्स लेती हैं उनको अपील करने का अधिकार है। आप अपील का अधिकार डबल देदें। डबल अपील देदें, डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक का अधिकार देदें, उससे हमारा इन्कार नहीं है, लेकिन इन अदालतों का जो कि सामान्य नागरिक का फैसला करती है उनका अनादर करने की बात दिमाग में है। आप मनी लैण्डर को इतना ऊंचा स्टेटस देना चाहते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। तो मेरा जो यह एमेंडमेंट है उसकी सीधी मन्शा यह है कि यह पॉवर्स ओरीजिनल जुरिसडिक्शन की कोर्ट्स के अन्दर होना चाहिए, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे दीवानी अदालत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत हो, जो कुछ भी केस आता है जहां वही लाइसेन्स के बारे में फैसला कर दे, और उपाध्यक्ष महोदय, अपील्स वगैरह के मामले डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट तक चले जायं, यह मेरे एमेंडमेंट की मन्शा है।

और जो माननीय झालाजी ने एमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं, क्योंकि उसकी मन्शा सीधी उन लोगों को प्रश्रय देने की है, कहने को तो ये ऐसा कहते हैं लेकिन दिल में उनको किसी न किसी तौर से बचाने का खयाल रखते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : इनकी वकालात तो आपने भी की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : मेरा एक एमेंडमेंट सब-क्लॉज़ (६) के अन्दर है वह सब-क्लॉज़ (६) में जो 'एण्ड' है वहां से बाद की सारी की सारी लाइनें हटा दो जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी आदमी को गुनहागार साबित कर देती है उस समय अदालत यह हुक्म देती है कि लाइसेन्स होल्डर लाइसेन्स प्रोड्यूस करे और इसके लिए एक निश्चित तारीख देती है कि इस तारीख के अन्दर अन्दर लाइसेन्स पेश कर देता है या उस तारीख तक कोई आदमी नहीं लाता है तो इस क्लॉज़ के जरिये अदालतों के जरिये यह लाजमी तौर पर यह जरूरी होता है कि एक दिन का ५००) रु० तक जुर्माना करे, तो प्रश्न यह है कि इस क्लॉज़ के जरिये अदालतों को यही डिस्क्रीशन नहीं है कि ५००) रुपये जुर्माना करे

(श्री गंगासिंह)

या न करे, बल्कि उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जब निश्चित तारीख कायम करते हैं तो एक दिन भी डिले होती है तो ५००) रु० तक जुर्माना हो जाय, लेकिन वह एक बार ही जुर्माना करके पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन प्रतिदिन के ५००) रुपये जुर्माने के हिसाब से जब तक पेश लाइसेन्स नहीं करे उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर इस क्लॉज़ को इस 'एण्ड' के बाद ही खत्म कर दें तो वैसी सूरत में अदालतों के लिए यह हुक्म होगा कि....

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कौन सी सब-क्लॉज़ ?

श्री गंगासिंह राठौड़ : सब-क्लॉज़ (६)

एन्डोर्समेंट के लिए लाइसेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हिदायत करे और मान लीजिये कि वह नहीं करे तो अदालत की हुकुम उदूली का जुर्माना किया जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में जब कि वह जुर्माना किया जा सकता है वह इस सब-क्लॉज़ के ज़रिये एक नया जुर्माना लाइसेन्स होल्डर पर किये जाने की बात यह बहुत ही अनुचित बात प्रतीत होती है। तो मेरा यह एमेंडमेंट है कि जो यह लाइसेन्स होल्डर पर प्रतिदिन ५००) रु० जुर्माने करने का प्रोविज़न है वह बिल्कुल हटा दिया जाय।

और जहां तक सब-क्लॉज (७) पर मेरा एमेंडमेंट है उसका मैं प्रेस नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस दफा १६ के अन्दर कुछ तरमीमात पेश किये हैं जो कि बेसिक कहे जाते हैं। उनका यह बताना है कि कॉम्पीटेन्ट कोर्ट के पास लाइसेन्स के कैन्सीलेशन के लिए ही कागज़ क्यों जायं और जो ओरीजिनल कोर्ट है, उसी को लाइसेन्स कैन्सिल करने की पॉवर क्यों न देवें, इस तरह का प्रावधान क्यों न किया जाय ? हमने कॉम्पीटेन्ट कोर्ट क्यों रखा है, उसके दो-तीन कारण हैं। ओरीजिनल पावर्स जो सूट्स को ट्राई करने की है वह न्याय पंचायतों को भी है और मुन्सिफ को भी है। तो इस प्रकार से न्याय पंचायतों को कैन्सलेशन का अधिकार कि वह चाहे तो कैन्सल कर सकें, यह अधिकार देना मुनासिब नहीं समझते हैं, इसके कई कारण हैं। पार्टी फिक्शन भी हो सकता है। इसमें लाइसेन्स कैन्सिल करने या न करने में और कई प्रकार की बातें आती हैं। इसलिए न्याय पंचायतों को देना मुनासिब नहीं समझते हैं कि उनको कैन्सलेशन ऑफ लाइसेन्स का अधिकार दिया जाय। अब न्याय पंचायत की अपील मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल केसेज़ की आती है तो यह सोचा गया कि ऐसे अधिकार उस व्यक्ति को होना चाहिए जो कि न्याय पंचायतों से भी ऊपर हो और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से जहां अपील की जाती है तो लोअर स्टेटा की अपील सुनना सिविल कोर्ट के पास है और क्रिमिनल में न्याय पंचायतों की अपील मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के पास जाती है और ओरीजिनल सूट का है उसकी अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो डिस्ट्रिक्ट जज को माना है। इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा और कॉम्पीटेन्ट कोर्ट नहीं है। यह क्लियर कर दिया है कि जहां डिस्ट्रिक्ट जज

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं हैं वहां पर सिविल जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकार गवर्नमेंट देगी और वह कॉम्पीटेन्ट कोर्ट इस पर्पज़ के लिए कहलायेगी। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के बाहर अपना निर्णय कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वह फाइनल ऑथोरिटी है वह डिस्ट्रिक्ट में है। रजिस्ट्रार हैं वह डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं जब लाइसेन्स के कैन्सलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडीशियरी का अच्छा ऑफिसर मिलता है तो इस प्रोवीज़न को रखने से कोई हानि नहीं होती है, और मैं यह समझ नहीं पाया हूँ कि जस्टिस के लिए अच्छे से अच्छा ऑफिसर मिल सकता है तो वहां इस प्रावधान को रखने से यह क्यों धारणा बनाई जाती है कि किसी के स्टेट्स को बढ़ाने की दृष्टि से या इज्जत बढ़ाने की दृष्टि से यह रखा गया है। यह क्यों न माना जाय कि डिस्ट्रक्ट लेवल पर इम्पार्शियल जस्टिस इस बारे में मिल सके, इसलिए उनका यहां पर प्रावधान किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इम्पार्शियलिटी की चिन्ता मनीलैन्डर के बारे में ही क्यों हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिए जो प्रावधान कॉम्पीटेन्ट कोर्ट का किया गया है और इस प्रकार का प्रावधान दूसरे मनी लैन्डर्स एक्ट्स में भी दूसरी जगह भी है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है और माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैंने जो तरमीम रखी है वह इसी क्लॉज़ को रिएरेन्ज करके यहां रखा है। उसमें थोड़ी सी एरर्स थीं प्रिंटिंग की या टाइपिंग की, उनको हटाकर रखा गया है, इसलिए इसको स्वीकार किया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक का जवाब रह गया, ५००) रु० का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य, इसको इम्प्लाइड ही मान लें कि वह स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को उनका संशोधन विड्ड्रॉ करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह झाला : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) Would you like to withdraw ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : No, Sir, I press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि....(श्री गंगासिंह राठौड़ से) Would you like to withdraw ?

श्री गंगासिंह राठौड़ : 'शैल' को 'मैं' करने के बाद I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की आज्ञा है कि माननीय सदस्य को आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगासिंह राठौड़ : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १७ से १९ ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १७, १८, १९ और १९ ए विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १७,१८,१९ और १९ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ २०, श्री सम्पतिलाल बोहरा।

[खण्ड २० पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :

(i) Insert the words "on the commencement of the next accounting year of the money-lender" between the words "receipt Book" and "in such", in sub-clause (1).

(ii) Delete sub-part i of part (a) of sub-clause (2).

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(i) In sub-clause (2), part (a) be replaced by the following:-

"(a) deliver to the debtor a copy of the document executed by the debtor in favour of the money-lender as evidence of loan, countersigned by the money-lender :

Provided that no such copy shall be required to be delivered to a debtor

Page No.90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

if he is supplied by the money-lender with a passbook in the prescribed form."

(ii) Sub-clause (3) be replaced by the following :

"(3) Every money-lender shall deliver to the Assistant Registrar an annual statement in the prescribed form of the loans, advanced and payments received debtorwise at the end of the year as prescribed."

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : Omit the words "a cash book, a ledger and" occuring in sub-clause (1)]

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्लॉज़ २० में जहां यह लिखा है–

"(1) Every moneylender shall keep and maintain a cash book, a ledger and a receipt book in such form and in such manner as may be prescribed."

इसमें क्या है ? जिस दिन से यह एक्ट लागू होगा उसी दिन से रखने की जरूरत हो जायगी। व्यापारियों का एकाउंटिंग ईयर किसी का दीवाली को होता है, किसी का आषाढ़ी पर होता है। उस समय से ही बही-खाता बदलने में उनको मुश्किल हो जायगी। इसलिए मैंने संशोधन रखा है :

"Insert the words "on the commencement of the next accounting year of the money-lender" between the words 'receipt book' and 'in such' in sub clause (1) इसके बाद यह हो जायगा;

"(1) Every money-lender shall keep and maintain a cash book, a ledger and a receipt book on the commencement of the next accounting year of the money-lender in such form and in such manner as may be prescribed."

मेरा मतलब सिर्फ यह है कि जब से उनका साल शुरू हो तब से यह हो। किसी का दीवाली पर शुरू होता है, किसी का आषाढ़ी में शुरू होता है, किसी का वैसाखी में शुरू होता है।

आपने आज लागू किया, उस दिन से हिसाब उसके लिये उस फॉर्म में रखना मुश्किल होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसके अकाउन्टिंग ईयर से रख दें तो ज्यादा सहूलियत होगी।

दूसरा मेरा सुझाव है (२) (१) (ए) में थ्री मंथ्स या क्वार्टरली रिटर्न का रखा है वह ईयरली या सिक्स मंथली कर दिया जाय, जैसा उचित समझें वैसा करलें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : इसके बारे में आपका अमेन्डमेंट है कहां ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : रख देता हूं आपकी आज्ञा से।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That cannot be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : जितने अमेन्डमेंट आपने रखे हैं उतने ही मूव कर सकते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसमें आया नहीं है मैंने दिया था। मैं आपकी इजाजत से मूव कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow this.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके बाद २० (२) में सेकन्ड है

"(ii) to the Assistant Registrar within the said period, a statement containing the particulars referred to in sub-clause (i)".

मेरा इसमें सुझाव है कि इस क्लॉज़ को विलोपित कर दिया जाय। मेरा ख्याल यह था कि यदि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेन्ट भेजने की आवश्यकता....

श्री उपाध्यक्ष :कौनसा सब क्लॉज़ विलोपित किया जाय ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : २० (२) की सेकन्ड लाइन " (ii) to the Assistant Registrar within the said period, a statement containing the particulars referred to in sub-clause (i)"

It should be deleted.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विद्युत) : Part (ii) ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरा यह कहना है कि क्योंकि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास क्वार्टरली स्टेटमेंट भर कर भेजने का ऊपर क्वार्टरली आया है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को क्वार्टरली भर कर देना पड़ेगा, एक्चुअली देखें तो कपड़े की दूकानवाला रोज उधार देता है, वह किसी को १०) रु. की उधार देता है, किसी को २०) रु. का कपड़ा उधार देता है तो ऐसे व्यक्ति को रोजाना स्टेटमेंट भेजने में तकलीफ होगी। बहुत से लोग तो इसकी जानकारी भी नहीं रखेंगे, इसलिये सिक्स मंथली रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास क्वार्टरली रिटर्न्स भेजने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद मेरा एक नया क्लॉज़ है २० (ए) ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी क्लॉज़ २० पर ही कन्फाइन्ड हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आशय यह है कि मौजूदा क्लॉज़ में यह रखा है कि कर्जदार को कर्जा देने वाला तीन महीनों के अंदर स्टेटमेंट उसके कर्जे के बारे में तमाम पर्टिकुलर्स दे। मेरे अमेंडमेंट की मंशा यह है कि जैसे ही कर्जा दे उस वक्त जो डॉक्यूमेंट एग्ज़ीक्यूट करे उसमें ये तमाम बातें लिखना जरूरी होगा कि कितना कर्जा लिया, कब लिया, कब देना है, कितना ब्याज होगा उसके काउन्टरफोइल की कॉपी डिटेल में कर्जा लेने वाले को उसी वक्त मिलनी चाहिये। या यदि किसी ने पास बुक देना शुरू कर दिया है तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि तब तो ये सारी बातें पास बुक में दर्ज होंगी। यदि पास बुक न हो तो प्रोमिसरी नोट है या और एग्रीमेंट है उसकी कॉपी मिलनी चाहिये। मैं समझता हूँ मंशा जो ड्राफ्ट की है उसके द्वारा डेटर्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करने की है तो जो मौजूदा प्रॉविज़न है उससे डेटर अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होगा। ३ महीने में उसको मिले उसके बजाय जैसे ही एग्ज़ीक्यूट करे उसे काउन्टरफोइल की कॉपी मिलनी चाहिये, यह मंशा है। इसको सिम्पलीफाइ करके मैंने यह भी कहा है कि जो सब-क्लॉज (३) है मैंने उसको हटाकर यह कहा कि एन्युअल स्टेटमेंट हरेक क्रेडिटर अपने डेटर को जो लोन दिया है उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से जितना वसूल किया है, जैसा भी गवर्नमेंट प्रेस्काइब करे रूल्स में, उसके अनुसार उसको एन्युअल स्टेटमेंट डेटर को देना चाहिये। पार्ट (२) में यह मंशा पूरी हो गई तो सब-क्लॉज़ (३) में स्टेटमेंट गैर जरूरी समझता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई कब स्टेटमेन्ट दिया करे और कोई कब दिया करे, यह गलत है। ज्यादा स्टेटमेंट्स देने भी जरूरी नहीं हैं, डेटर को जिस हद तक जरूरत है, वह डॉक्युमेन्ट देने के बाद ब्यूरोक्रेटिक सिस्टिम के अनुसार ज्यादा उलझन जरूरी नहीं है। इसलिये डेटर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। उस वक्त उसको डॉक्युमेन्ट की नकल मिल जाय यह प्रावधान किया है और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास एन्युअल स्टेटमेन्ट चला जाय वह भी कर दिया है। लेकिन वहां जो पॉवर गवर्नमेन्ट लेना चाहती है या रजिस्ट्रार को देना चाहती है, जो आदमी जिस समय चाहे ३ महीनों में या ६ महीनों में दिया करे, यह गलत है। यूनीफोर्मली रेगुलरली ले ले ताकि कन्ट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें, तो अच्छा होगा और ब्यूरोक्रेटिक ढंग से फैलाव नहीं होगा और डेटर भी उलझनों से बच जायगा। यह संशोधन है जो मैंने सब-क्लॉज़ (२) में रखा है। मैं समझता हूँ, संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है उसका मतलब यह है कि जो अकाउन्ट्स रखे जाते हैं उनको इस तरह कठिन नहीं किया जाय जिसके कारण आपका जो भला मकसद है वह भी पूरा नहीं हो सके। जहां तक इस बिल का आम मकसद है वह यह है कि जो कर्जा लेवे उनको सुविधा मिले और मनीलेण्डर्स ज्यादा नहीं वसूल कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो क्लॉज़ रखा है सेक्शन २० जिसमें हिसाब किताब रखा जायगा उससे बड़े बड़े मनी लैंडर्स हैं उसका फायदा उठा सकें। अपने राजस्थान के अंदर इस वक्त गांवों में कुछ खुशहाली हो रही है उस परिस्थिति में छोटे छोटे मनीलैंडर्स हैं जो गांवों में रुपये उधार देने का काम करते हैं। यदि क्लिष्ट रेकॉर्ड रखने का प्रोविज़न रखा गया तो मतलब यह होगा कि छोटे छोटे मनीलैंडर्स हैं वे मनीलैंडिग का काम कर नहीं सकेंगे क्योंकि उनको इन प्रोविज़न्स का अच्छी तरह से न तो ज्ञान हो सकेगा और न अच्छी तरह अकाउन्ट्स रख सकेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि मनीलैंडिंग का काम है वह बड़े बड़े मनीलैंडर्स के हाथ में रह जायगा जो अच्छी तरह से लैजर्स और अकाउन्ट्स रख सकेंगे। मेरा यह अनुरोध है कि इस मनीलैंडिग बिल को रेकॉर्ड के संबंध में बहुत सिम्पलीफाई किया जाय। मैं समझता हूँ एक रिसीट बुक रखी जाय। जब कर्जदार रकम जमा करावे तब उसको एक पुश्त दे दी जाय। इसके साथ साथ एक पास बुक भी रखी जाय जिसमें रुपये जमा होंगे दोनों तरफ रखे जायेंगे। ऐसी स्थिति में रसीद बुक, पास बुक और अकाउन्ट्स का स्टेटमेन्ट रखे जायं। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के यहां स्टेटमेन्ट भेजना पड़ेगा। वैसी सूरत में लेजर बुक वगैरा न रख कर एक रसीद बुक और एक पास बुक रखी जाय जिससे कि छोटे मनीलैंडर्स भी अपना काम कर सकें।

मनीलैंडिंग कम्पीटीशन से हो सकता है। अगर मनीलैंडिंग में कॉम्पीटीशन नहीं हुआ तो

(श्री गंगासिंह राठौड़)

कुछ ग्रमुक लोगों के हाथ में यह मनीलैंडिग का बिजनेस चला जायगा ग्रौर उनकी उसमें मोनोपोली हो जायगी ग्रौर वे चाहे जिस रूप में इस एक्ट की मन्शा को पूरी नहीं कर सकेंगे। मेरी राय है कि मनीलैंडिग में भी कॉम्पीटीशन होना जरूरी है। कॉम्पीटीशन होना चाहिए, नहीं तो ग्रापका मकसद है वह पूरा नहीं हो सकेगा। ग्राप रेट ग्रॉफ इन्ट्रेस्ट प्रेस्क्राइब कर दें, लेकिन ग्रगर मनीलैंडिग का बिजनेस कुछ लोगों के हाथ में रहा तो मनीलैंडर सौ रुपये किसी को देगा, लेकिन उस समय जो प्रोनोट लिखेगा उसमें एक सौ पच्चीस कर देगा ग्रौर ऐसी परिस्थिति में जो रुपया लेंगे उनको हर हालत में उतना रुपया देना पड़ेगा क्योंकि उस मनीलैंडर के ग्रलावा वह दूसरी जगह से ले नहीं सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो मनीलैंडर बिल लागू करने का मकसद है कि लोगों का कम से कम राहत पहुँचे वह राहत नहीं पहुंचेगी ग्रौर यह बिजनेस कुछ लोगों के हाथ में रहेगा। इसलिये मेरी राय है ग्रौर मैं ग्रपने ग्रमेंडमेंट के जरिये, जो ग्रापकी भावनायें हैं उनको मानते हुए, यह कहूँगा कि रिकॉर्ड को रखने का प्रोवीजन है वह सरल किया जाय, जिससे छोटे-बड़े गांव के ग्रन्दर जो मनीलैंडर हैं, वे काम कर सकें ग्रौर रेट ग्रॉफ इन्ट्रेस्ट को बढ़ा नहीं सकें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २० के सम्बन्ध में तीन-चार तरह की तरमीमें पेश हुई हैं। मावली से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने दो तरमीमात रखी हैं। एक क्लॉज २० के सब-क्लॉज (१) में रखी है, उस तरमीम की ग्रावश्यकता नहीं है क्योंकि रूल्स इस प्रकार के बनने जा रहे हैं कि जिसके ग्रन्दर देशी तरीके के नाम-धाम रहते हैं वे कायम रहेंगे ग्रौर इंगलिश रूप से लेजर बुक ग्रादि भी कायम रहेंगे, दोनों तरह की चीजें कायम रहेंगी। इसलिए जो दिक्कत माननीय सदस्य ने पोइन्ट ग्राउट की हैं वे ग्रायेंगी नहीं।

दूसरा उन्होंने बताया, सब-क्लॉज २....

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : एक सैकिंड। मेरा कहना है कि इसमें हिसाब रखने के लिए जो ग्राप नियम बना रहे है उसमें यह प्रावधान रख दीजिये जिससे नया साल शुरू होने पर, जैसा रखा है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That can be done in the rules.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : जो रखा है उसी को सही मानते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That can be done in the rules. It is not necessary to incorporate in the Act.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : रूल्स में प्रोविजन रख दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वही तो कहा उन्होंने।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही निवेदन किया।

दूसरी बात यह है कि क्लॉज २० के सब-पार्ट (२) में है :

"(ii) to the Assistant Registrar within the said period, a statement containing the particulars referred to in sub-clause (i)"

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसको डिलीट करने के लिए मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। क्योंकि जो डेटर को स्टेटमेंट देता है अगर उसकी एक कॉपी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास चली जाती है तो उसमें हानि क्या है, बल्कि उससे सुविधा होती है; क्योंकि डेटर को एक प्रति दें और क्रेडिटर कहे कि मैंने प्रति डेटर को भेज दी है और डेटर यह कहे कि मुझे नहीं भेजी तो उसमें कॉम्प्लीकेशन रहती है। अगर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास एक प्रति जाती है तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के यहां से डेटर नकल ले सकता है। वह पूछ सकता है कि मेरे ऊपर कितना रुपया निकलता है, उसको क्या डिटेल्स हैं। तो यह दूसरा इन्तजाम किया है जिससे कोई मुगालते में न रहे; इस वजह से मैं इससे डिलीट करने के पक्ष में नहीं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उसको उड़ा दीजिये और यह प्रावधान रख लीजिये कि इमीजियेटली एक्शन से डेटर को दे दे और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को दे दे उसे बिल्कुल डिलीट कर देवें क्योंकि वह प्रोविज़ो जो है उसके अनुसार यदि पास बुक मिलती है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जहां तक सोचता हूँ, इमीजियेटली देने के बारे में हमने विचार किया कि यह सम्भव हो सकता है या नहीं। लेकिन यह सम्भव नहीं हो सकता। साथ ही दूसरी जगहों के कानूनों में, राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान में कई स्टेट ऐसी हैं जिनमें क्लॉज़ २० नहीं रखी गई है और क्लॉज २० ए जो है, उसके अन्दर, जो स्टेटमेंट भेजते हैं वे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने डबल क्लॉज़ेज़ रखे हैं, २० और २०ए। २० ए में क्रेडिटर, मनीलैंडर के लिए रखा है और २० में स्टेटमेंट और देने के लिए प्रावधान रखा है। क्लॉज २० में हमने जो अवधि दी है वह तीन महीने की दी है। तीन महीने के अन्दर वह अपनी रिटर्न देगा, जब कि कहीं छमाही है और कहीं एनुअल है, लेकिन हमने तीन महीने का कम से कम पीरियड रखने का प्रयत्न किया है, जिस पीरियड में इस प्रकार की रिटर्न देता रहे। अब सवाल आता है कि इसका जो सब-क्लॉज़ (३) है जिसके लिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह बेजरूरत है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह एक एडीशनल फेक्टर है कि वह हर-एक डेटर को पहला स्टेटमेन्ट तीन महीने में जितना रुपया उधार लिया है, उतने का भेज देगा लेकिन सब-क्लॉज़ (३) में कहा है, सबक्लॉज़ ऑफ मनी लैंडर्स से एक कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि तुम्हारे डेटर्स कितने हैं, उनको कितना रुपया दिया है, उस पर कितना ब्याज पड़ा है और किन टर्म्स पर दिया है। इसका स्टेटमेंट सब-क्लॉज़ (३) के तहत मांग सकते हैं। यह एक एडीशनल प्रिकॉशन दिया है और इसे बेजरूरत या गैर जरूरत कहना वाजिब नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में हुई बहस को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें क्लॉज़ २० जो हमने रखा है वह ठीक है।

इसी तरह एक जो तारमीम जायल से आने वाले माननीय सदस्य श्री गंगासिंह ने रखी है वह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए क्लॉज़ २० को एज़ इट इज़ स्वीकार किया जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को एनुअली स्टेटमेंट सब्मिट कर दिया जाय।

Page No.95

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That cannot be done.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तिमाही की जगह छमाही कर दें या वार्षिक ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। वैसे भी एक माननीय सदस्य इसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और आप तीन माह के बजाय छः महीने करना चाहते हैं, इतना फर्क कैसे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं नहीं समझ पाया....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने उस प्रावधान का जिक्र किया जिसको २० में इन्सर्ट करना है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का विचार ऐसा है कि २० ए में प्रावधान किया हुआ है तो इसमें इसका समावेश होना नहीं चाहिए। क्लॉज़ २० अलग है, २० ए अलग है और वही का वही प्रावधान २० में चाहते हैं। जब २० ए में किया हुआ है तो इसमें से माइनस करके २० में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, २० ए में वह ऑलरेडी दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने वह स्वीकार किया है उनका प्रथम संशोधन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं साहब, कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप विद्ड्रॉ करेंगे।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २० ए, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

[खण्ड २०–ए पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

Delete p... sub-clause (1) of the clause .

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : Sub-clauses (2) and (3) be replaced by the following:—

(2) In respect of any par loan, whether advanced before or after the date on which this Act comes into force, the money-lender shall on demand in writing by debtor at any time during the period when the loan or any part thereof has not been paid, supply to the debtor, or if the debtor so requires to any person specified in that behalf in the demand a statement, in any recognised language, signed by the money-lender or his agent, and containing the relevent particulars specified in sub-section (1).

(3) A money-lender shall on a demand in writing by the ebtor supply a copy of any document relat, ing to a loan made by him or any security therefore to the debtor, or if the debtor so requires to any person specified in that behalf in the demand",

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल): Delete the words "the money-lender shall, on or before the aforesaid date, deliver or cause to be delivered a copy of each such statement to the Assistant Registrar" occuring at the end of sub-clause (1).]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २० ए में क्लॉज २० का रिपीटीशन है। जब एक आदमी को पास बुक दी जाती है तो उसके बाद में दिन प्रतिदिन का ब्योरा उसमें रहता है। फिर उसके बाद यह कहा गया है कि सालाना उसको हिसाब दे दे कि प्रिन्सिपल अमाउन्ट कितना है, ब्याज कितना है, कितना रुपया लिया और कितना दिया ....

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में निवेदन करेंगे, जितना संक्षेप हो सके उतना रखें ताकि समय पर कार्य समाप्त हो सके।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहस कर चुके हैं। फिर इस प्रोवीजन पर बहस बाकी रहती है क्या ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : एं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस अमेंडमेंट के सिलसिले में निवेदन कर रहे हैं उस पर बहस हो चुकी है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि डबल प्रोवीजन हो गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह जान-बूझ कर रखा है, भूल से नहीं रखा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : वह अच्छा नहीं है, आप मानें या न मानें ; आपकी मर्जी है, मुझे कहने तो दीजिए।

मेरा मतलब है कि डेटर को एक पास बुक दे रखी है जिसमें दिन प्रतिदिन का ब्योरा रहता है, उसको फिर साल के अन्दर स्टेटमेंट देना

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

पड़ेगा। यह उपयुक्त समझते हैं तो ठीक है उसका प्रोवीज़न कर दीजिए। लेकिन इसके साथ ही जिसको पास बुक दी जाय, उसके लिये आवश्यक नहीं समझा जाय कि आगे की धारा वाला स्टेटमेंट दे। उसके लिए ठीक हो सकता है, जिसको पास बुक न दी जाय उसको अलग से हिसाब देना आवश्यक हो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : दिक्कत क्या आती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ २० ए के सब-क्लॉज (२) और (३) में अमेंडमेंट रखे हैं। सब-क्लॉज़ (२) और (३) की मन्शा यह है कि ऋणी को दिये गये कर्ज के बारे में कोई कर्जदार या ऋणी साहूकार से पूरा विवरण मांगेगे लिखित में कि राशि कितनी दी गई, या यह पूछे कि कितनी ब्याज कूंती, या पूछे कि कितने साल के लिए दी गई यह रकम या सीक्योरिटी के रूप में जो चीज रखी है उसका हिसाब प्राप्त करेगा। ऐसी सूचना ऋणी साहूकार से चाहेगा तो उसे एक आवेदन-पत्र देना पड़ेगा और इस आवेदन-पत्र पर जो साहूकार ऋणी की मांग पर कर्जदार को सारा ब्योरा बतायेगा, जो उसने मांगा है और उसका जो विवरण देगा उसका कुछ शुल्क उसे देना पड़ेगा। बिना शुल्क के स्टेटमेंट या विवाद की प्रति प्राप्त नहीं कर सकेगा अगर वह उसको प्राप्त करना चाहेगा। मेरा यह निवेदन है कि इसके जरिये ऋणी अगर चाहे तो जो भी कर्जा साहूकार से उसने लिया है उसको यदि वह जांच पड़ताल करना चाहे तो आसानी से जांच कर सकें, यह इस बिल की मंशा है। लेकिन यह हिसाब तो वह चाहेगा कि उसको बिना शुल्क ही दिया जाना चाहिये। मगर इस कानून के अनुसार यह बिना शुल्क दिये साहूकार से स्टेटमेंट हासिल नहीं कर सकेगा। साहूकार अपने फायदे के लिए यह सारा कारोबार और लेन देन करता है, अगर उसको इस छोटी सी बात के लिए कहा जावे कि बिना शुल्क स्टेटमेंट दे दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर साहूकार चाहे तो बिना शुल्क के दे सकता है....

(श्री सम्पतिलाल बोहरा द्वारा सदन के प्रांगण में से जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष : It is wrong Hon'ble Member to cross like this.

श्री भगराज चौधरी : सब की यह मंशा है कि कर्जे के रूप में जो सिक्योरिटी दस्तावेज के रूप में रखी है, इस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ जावे किसी कारणवश तो उसकी प्रतिलिपि शुल्क ही देकर लेना होगा। इसके अलावा यह भी रखा है कि अगर कोई उसकी प्रतिलिपि लेना चाहे तो बिना फी नहीं दिया जावे। मेरा इसमें एक छोटा सा संशोधन यह है कि ऋणी के साथ में उनका व्यवहार खराब नहीं हो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो शुल्क की बात इसमें रखी है उसको हटा दिया जावे और निशुल्क दस्तावेजात की नकल देने की व्यवस्था की जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I support this amendment.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I also support it.

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : I take it as moved.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : मैं जवाब दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २० में दो तरह के रिटर्न का प्रावधान है। क्लॉज़ २० (ए) में जो सब-क्लॉज़ (१) है वह तो एक तरह की मनीलैंडर की ड्यूटी होगी उसको स्टेटमेंट देना होगा । । इसके लिये उसकी क्या फीस है वह हमने क्लॉज़ २१ में निर्धारित कर दी है । लेकिन (२०) ए में सब-क्लॉज़ (२) और (३) ऐसे हैं जो ड्यूटी बाइन्ड नहीं हैं और अगर कोई आदमी सब-क्लॉज़ (२) व (३) की तहत कोई कॉपी लेना चाहे तो कोई फीस क्लॉज़ २१ में प्रेस्क्राइब्ड की है इसलिए २० में प्रेसक्राइब्ड फीस रखी है। अब यह कहा जाता है कि फ्री नकल दे दी जावे, इसके लिये क्लॉज़ २१ में प्रावधान है; तो फिर इसमें कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि कोई १० बार नकल मांग सकता है और हर बार इस साहूकार को नकल देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि उसको उसके लिये कोई फीस नहीं दे दें। इसलिये इसमें फीस देने का प्रावधान किया है। इसलिये जो अमेन्डमेंटस है मैं उनको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेन्डमेंट्स को वापिस ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा नेरखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भगराज चौधरी ···

(श्री चौधरी से)

Would you like to withdraw it ?

श्री भगराज चौधरी : My amendment is a genuine one; otherwise it will cause difficulties to the...

श्री उपाध्यक्ष : Now the question is whether you withdraw or not.

श्री भगराज चौधरी : I want to withdraw, but...उन्होंने अपने जवाब में यह कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow any speech.

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) He does not want to withdraw, Sir.

श्री भगराज चौधरी : मेरा यह निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : या तो आप कह दें कि विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री भगराज : चौधरी मैं विद्ड्रॉ करने को तत्पर हूं। लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : No discussion please.

श्री भगराज चौधरी : I am withdrawing it.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह इच्छा है कि माननीय सदस्य को संशोधन विद्ड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भगराज चौधरी : I withdraw my amendment.

(अनेक माननीय सदस्य 'No-no' कहने लगे)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है स्वीकार किए जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० ए विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

२० ए.; श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : २० ए पर मेरा संशोधन है।

Insert a new clause 20AA after clause 20 A:—

"20AA. Secrecy of records:—All particulars contained in any statement made, returns furnished, accounts or documents produced under the provisions of this Act or of the rules made thereunder, or in any evidence given or affidavit or deposition made, in the course of any proceeding under this Act, or the rules made thereunder, or in any record of and proceedings relating to the recovery of a demand, prepared for the purpose of this Act or the rules made thereunder, shall be treated as confidential."

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोविज़न मैंने इसलिये रखा है कि जितने भी मनीबिल होते हैं या टैक्स के बिल होते हैं या सेल्स टैक्स के बिल होते हैं उन सबमें इस प्रकार का प्रावधान मौजूद है।

एक माननीय सदस्य : यह मनी बिल नहीं है, यह मनी लैन्डर्स बिल है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह एक ऐसा बिल है जिसकी देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ता है । साहूकार और कर्ज लेने वाले के आपसी रिलेशन पर बहुत बड़ा असर होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अपने भाषण में एग्ज़ाम्पल दी थी कि किस प्रकार से वह अपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर सकता है और दूसरों को मालूम हो जावे कि कितना रुपया देना है तो वह किसी दूसरी जगह से रुपया प्राप्त नहीं कर सकता । अगर यह बात मालूम हो जाए कि फलां व्यक्ति ने किस किस से रुपया उधार ले रखा है तो दूसरी पार्टी उसको रुपया उधार नहीं देगी । इसलिये मैं यह क ंगा कि जितने रिटर्न के स्टेटमेंन्ट्स हो उनको सबको ऑफिस में सिक्रेट रखना चाहिये और ओफिस के अ किसी दूसरे आदमी को सीक्रेसी आउट नहीं होनी चाहिये और अगर यह आउट हो जाएगा तो उसकी इन्डस्ट्री और व्यापार पर बहुत बड़ा भारी असर पड़ता है । जैसे मैंने एक दूकान खोली और उसमें ५०००) दुकान में लगाये । साहूकार को मालूम नहीं होगा कि मैंने ५०००) उधार लिये हैं । यदि उसको लूम हो जाए कि मैंने १०००) रुपये ५ व्यक्तियों से लेकर दूकान खोली है ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इससे क्या नुकसान हो सकता है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ५०००) रुपये पांच व्यक्तियों से उधार लिये । यदि सामान दुकान में कम हो तो और भी आदमी उधार दे सकता है । लेकिन अगर इसकी सूचना किसी दूसरे को क्लर्क की मार्फत मिल जावे तो वह व्यक्ति जिसने रुपया उधार दे रखा है उन रुपयों को वापिस विद्ड्रॉ कर ले तो उसका सारा बिज़नेस और व्यौपार खत्म हो सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हा : ऐसा झूठा आदमी बिज़नेस नहीं कर सकता ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं यह कहूंगा कि सब लोग उधार लेकर काम चलाते हैं । बड़े बड़े स्टोर्स भी उधार पर चलते हैं । इस प्रकार का प्रोविज़न सेल्स टैक्स में है । वे ज्यों के त्यों मैंने लिखे हैं । मेरा यह ख्याल है कि आप इसके बारे में कम से कम इतना तो अवश्य करेंगे कि जो रेकार्ड आपके यहां आवें उनको कम से कम डिस्क्लोज़ नहीं करें । यह मेरा सीधा सा प्रस्ताव है, इसको स्वीकार करें ।

(७. म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में जो २० ए. ए. के संशोधन का मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि जो स्टेटमेंट असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के पास पेश किया जाय उसको मनीनेचर का ट्रीट किया जाय और इसके सम्बन्ध में फ्रेज्योलोजी इस्तेमाल करते हुए जो अमेंडमेंड रखा है मैं उससे असहमत हूं । एक तो यह कि यह मनी बिल नहीं है । दूसरे आपने कहा कि ट्रेड पर असर पड़ेगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेडर को उधार देने वाला मामला हमारे इस बिल की पर्व्यू में नहीं आता है इसलिए ट्रेड पर असर पड़ने का प्रश्न ही पैदा

Page No.101

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
नहीं होता। हमारे इस बिल की मंशा है उसके अन्तर्गत हम इसको कॉन्फिडेन्शियल नेचर का नहीं बनाना चाहते। मान लीजिये मनी लेंडर ने डेटर पर दावा किया और डेटर एक डिफेन्स लेता है कि मैंने रुपया दे दिया है, अमुक व्यक्ति इसमें मांगता था, उसको इसने दिलवा दिया है और इसके सुबूत में उसका स्टेटमेंट पेश करना पड़ता है, उससे वह अपनी बात को कोरोबोरेट कराना चाहता है, तो उस दशा में इस संशोधन के माने यह होते हैं कि डेटर को यह अधिकार नहीं रहे कि दूसरे के जरिये मनीलेंडर ने जो एड्जस्टमेंट इसके कर्जे का करवाया है, उसके स्टेटमेंट को पेश कर सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि न यह मनी बिल है, न इसके ट्रेड के ऊपर असर पड़ता है और न ही इसको कॉन्फिडेन्शियल नेचर देने की आवश्यकता है। हम तो यह चाहते हैं कि सारी चीज स्पष्ट हो ताकि कोई किसी को धोखा न दे सके, इसलिए जो माननीय सदस्य ने २० ए. ए. का संशोधन रखा है उसे मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : Do you withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : No Sir, I press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० ए. ए. विधेयक का अंग बने।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले संशोधन विद्ड्रॉ करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष :Do you withdraw it?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : No Sir, I press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत क्लॉज़ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

२० ए.ए. कोई क्लॉज़ हो नहीं है।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

[खण्ड २१ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Omit the words "to the debtor and" and the words "to the debtors or,' occuring in sub-clause (1) and (2) respectively.]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ में मेरा संशोधन है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय उपमंत्रीजी उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उधर से एक माननीय सदस्य ने भी संशोधन रखा था, उनकी भावना की अवश्य कद्र करेंगे। ज्यादातर सरकार की तरफ से वकालत हुई है कि मनीलेंडर के इन्स्ट्रेट में कमी कर दी जाय, पर दूसरी फीस चार्ज हो, जिनसे कर्जदारों से फीस ले सकें, जिन मंत्री महोदय ने बिल रखा है मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनको सफलता मिली है मनीलेंडर्स को सुविधा देने में जिसके जरिये मनीलेंडर कर्जदार को किसी तरह चूस सकता है। जो अधिकार कर्जदार को पहले ही था कि बगैर फीस दिये साहूकार के पास जाकर हिसाब देख सकता था। मैं समझता हूं इस प्रकार का नियन्त्रण लगाकर कर्जदार

Page No.102

(श्री विजयसिंह झाला)

के पहले के अधिकार को भी ले लिया गया है। लम्बी-चौड़ी सुविधा देना कि स्टेटमेंट देगा, तीन महीने या १२ महीने बाद में देगा, इस तरह दो-तीन दफा स्टेटमेंट देने का प्रावधान रखा है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं पर इसके साथ ही साथ यह रखा है कि हर स्टेटमेंट की दो रुपया फीस ली जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर आदमी पांच सौ या हजार रुपया ही कर्ज ले, किसी को १० रुपया ही देना हो, ग्रामीण लोग थोड़े-थोड़े रुपये दस जगह से लेते हैं और अगर कोई आदमी दस-दस रुपये, दस जगह ले लेता है तो उसको २०) रुपये तो हर साल स्टेटमेंट्स लेने की फीस के देने होंगे और अगर एक मनीलेंडर के एक हजार ग्राहक हो गये तो दो हजार की आमदनी तो स्टेटमेंट्स की फीस से ही हो जायगी। उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपका अमेंडमेंट यह तो नहीं कहता कि डेटर से नहीं लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : आप अच्छी तरह से मेरे अमेंडमेंट को पढ़ें, मैंने लिखा है कि डेटर को निकाल दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप अपने अमेंडमेंट को पढ़ें।

श्री विजयसिंह झाला : Omit the words "to the debtor and" and the words "to the debtor or" occuring in sub-clauses (1) and (2) respectively.

क्लॉज २१ में से "डेटर" शब्द को निकाल दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नहीं, "to the debtor" इन तीन शब्दों को निकालना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा मतलब यह है कि 'डेटर' शब्द को इस क्लॉज में से निकाल दिया जाय। आप ठीक तरह से इस को पढ़ें....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २१ में :

"(2) Such fees shall be recoverable at such rates and in such manner as may be prescribed, subject to the maximum of two rupees per debtor per year, irrespective of the number of statements supplied to the debtor or..."

श्री विजयसिंह झाला : "to the debtor or..." should be deleted.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसका मकसद तो यह होगा, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को दी जायगी, इसका तो डेटर देगा और डेटर को दी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को तो दे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Who will pay then ?

श्री उपाध्यक्ष : जो अमेंडमेंट रखा है, उसको एडजस्ट करके आप पढ़ जायं तो स्पष्ट हो जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : मेरी मंशा यह है कि फीस देने का प्रावधान डेटर

Page No.103

(श्री विजयसिंह झाला)

का है, उसको हटा दिया जाय। मुझे मालूम है कि मन्त्री महोदय अपनी टांग जरूर रखेंगे। मेरी मंशा यह है कि फीस का प्रोविज़न नहीं होना चाहिये। यही मेरा संशोधन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ कि यह क्लॉज़ बिल्कुल मंजूर नहीं किया जाना चाहिये और इसे इस बिल में से निकाल देना चाहिये। क्योंकि जो प्रोविज़न क्लांज २० के तहत नकल लेने का रखा है वह एक डेटर का बुनियादी अधिकार है। जैसे ही वह कर्ज लेता है तो उसको उसकी नकल मिलनी चाहिये, इसकी भी फीस रख दी है, २० ए. के तहत है उसकी भी फीस रख दी है। मैं समझता हूँ, डेटर के ऊपर इस प्रकार का आर्थिक बोझा डालना न्यायसंगत नहीं है। मनीलैंडिंग बिज़नेस करता है उसका फर्ज है कि ऐसा स्टेटमेंट दें।

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को देता है तो वह सरकार को ही देता है एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर। इस क्लॉज़ में तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की फीस भी डेटर पर डाल दी है। माननीय मंत्री महोदय ने बिल बनाया, इतने महरबान हो गये मनीलैंडर पर। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को जितनी नकलें दी जावेंगी उसकी फीस भी डेटर पे करेगा और खुद को मिलेगी उसकी भी फीस डेटर देगा। मनी लैंडर के लिए कितना सोफ्ट कोर्नर है यह तो इससे प्रकट होता है। इस क्लॉज़ की कतई आवश्यकता ही नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस क्लॉज़ २१ के अन्दर पहले इसके कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं, उनका जवाब दिया जाय, इसमें जो मिसप्रिन्ट है, टाइपिंग एरर है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"(1) A money-lender may recover from a debtor fees for the statements supplied under sub-section (2) or sub-section (3) of section 20 or sub-section (2) ......"

यहां (२) के बजाय (१) होना चाहिये। यहां 'टू' गलत प्रिन्ट हो गया है इसलिए 'टू' के बजाय 'वन' कर दिया जाय। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ; क्योंकि ऊपर क्लॉज़ है उसमें अलग प्रेस्क्राइब करने का अधिकार दे दिया और सब-क्लॉज़ (१) है उसमें २१ में प्रावधान रखा गया है, इसलिये 'टू' के बजाय 'वन' कर दिया जाय।

माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठायी है कि डेटर को और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को स्टेटमेन्ट दिया जाय उसकी फीस नहीं लेनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, मेग्ज़िमम फीस रखी है वह २) रखी है। बाकी किस तरह एड हो यह रूल्स में प्रोवाइड करेंगे। एक स्टेटमेन्ट की फी दो आना प्रोवाइड करेंगे। १६ से १७, २० या अधिक स्टेटमेन्ट होंगे तब भी दो रुपया मेग्ज़िमम होगा। एक स्टेटमेन्ट की फीस दो आना होगी। मेग्ज़िमम हमने रखा है दो रुपया रखा है यह अधिक नहीं है। २५), ३०) रु० भी होंगे तब भी २) रु० ही लगेगा। कम होंगे तब २) रुपये से कम होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : असिस्टेन्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रजिस्ट्रार को भी सप्लाई करेगा उसका पेमेन्ट भी डेटर करे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्योंकि आप इसकी स्कीम को समझिये। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के लिए जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा। बहस हो रही थी कि डेटर क्यों दे ? मैंने निवेदन किया था कि यह डेटर के कोऑपरेटिव इन्ट्रेस्ट के लिए है। सारा डेटर के इन्ट्रेस्ट के लिए ही किया जा रहा है। दो आना स्टेटमेन्ट का दे तो क्या है इसमें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेटर के के लिए इसलिए रखा है कि फालतू स्टेटमेन्ट बार-बार न दे। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार मान लीजिये परेशान करने के लिए करता है तो वह क्यों उसकी फीए दे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रावधान नया नहीं है। बॉम्बे और दूसरी स्टेटस के एक्ट के आधार पर लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेल्स टैक्स के लिए स्टेटमेन्ट देते हैं। उनको पेमेन्ट मिलता है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे स्टेटमेन्ट लेते हैं, वह उन्हीं की दृष्टि से लेते, हैं यहां डेटर के इन्ट्रेस्ट के लिए है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : खर्चा डेटर पर क्यों डालते हैं ? यह खर्चा इस पर नहीं डालना चाहिये। हम तो इसका घोर विरोध करेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): रूल्स में रोशनी डालेंगे। रिटर्न्स देने होते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिटर्न्स वाली बात दूसरी है। स्टेटमेन्ट उनसे मांगा जाय या वे स्टेटमेन्ट क्लॉज २० (१) में लिखा हुआ है उसके लिए है दो आना प्रति स्टेटमेन्ट होगा और मेग्ज़िमम २) रु० फीस होगी।

श्री अब्दुलजब्बार : रूल्स में ऐसा प्रावधान रखा गया कि रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार एवीडेन्स के लिए कॉल करे....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एवीडेन्स का इससे सम्बन्ध नहीं है। आपको मध्यप्रदेश की जानकारी होगी।

श्री अब्दुलजब्बार : आप इसमें ऐसा रखिये। मध्यप्रदेश की जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मंत्री ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No.105

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथा-संशोधित एवं क्लॉज़ २२ स्वीकार विधेयक के अंग बनें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want to oppose clause 22.

श्री उपाध्यक्ष : There are no amendments.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप उस पर बहस करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आवाज के आधार पर 'ना' पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Ayes have it, Sir.

श्री विजयसिंह झाला : आवाज 'नो' की ज्यादा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : डिविज़न !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):- Yes, Sir.

(मत-विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please?

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१····

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ट्रेजरी बेंचेज़ के माननीय सदस्यों को एक्सप्लेन करना जरूरी है कि क्लॉज़ २१ क्या है ? उसकी मंशा क्या है?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : हमको मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री मानिकचन्द सुराणा : अन्धेरे में वोट दे जावेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You should read out clause 21 which is to be voted upon.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : You should read the clause.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): कोई पक्ष में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : I t is supposed that all Members are present and there is no need of reading it.

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय हरिजन सदस्य हैं उनको पता नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कोई हरिजन सदस्य नहीं हैं, आप कोई राक्षसजन हैं क्या ?

Page No.106

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(मत–दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'Ayes' have it.

श्री रामानन्द अग्रवाल: 'Noes' have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Voice vote will do.

श्री उपाध्यक्ष : I am putting it again.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१, यथासंशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २२; प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २३, श्री रामानन्द।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों से पहले निवेदन करूंगा कि समय की कमी को देखते हुए जितना शीघ्रातिशीघ्र कार्य हो सके तो अच्छा रहेगा।

[खण्ड २३ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In sub-clause (b)the word 'may' appearing in the second line be replaced by the word 'Shall' and substitute words 'disallow whole of interest as well as the cost of the suit''. for the words "in whole or in part......... and may disallow costs."

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व)

Insert 'or Section 20 A, as the case may be, in the explanation.]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा इस क्लॉज़ २३ में संशोधन यह है कि इसका जो सब-क्लॉज़ (बी) है इसमें जिस मनीलैंडर ने क्लॉज़ २० और २० ए की अवहेलना की हो, उसके लिए मौजूदा क्लॉज़ में यह प्रोवीज़न रखा है कि अदालत चाहे तो उसके ब्याज में या जो इसका खर्चा हो उसमें कुछ कमी कर दें। यह डिस्क्रीशन कोर्ट को दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि अगर इसमें किसी ने अवहेलना की है, क्लॉज़ २० और २० ए की, यानी स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, जो डेटर को देने चाहिए या असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो स्टेटमेंट देना चाहिए, वह नहीं दिया या रुपये जमा कराने की रसीद नहीं दी, इस तरह की कानून की जो अवहेलना करता हो, उसके लिए यह मैंने प्रोवीज़न रखा है कि मैन्डेटरी तौर पर अदालत भी मनीलैंडर को कोई सूद या किसी तरह का दावे का खर्चा नहीं देगी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें मौजूदा जो प्रोवीजन है, उसमें अदालत को डिस्क्रीशन दिया हुआ है कि वह सूद में या खर्चे से किसी किस्म की कमी कर दे। मैं चाहता हूँ कि उसको इतनी सजा तो मिलनी चाहिए कि जो २० और २० ए को कॉन्ट्रावीन करें, उसको सूद और खर्चा नहीं मिले, यह मेरा मतलब है; इसके साथ मैं अपना संशोधन मूव करता हूँ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्षजी, पहले इसके कि मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब दूं, इसके अन्दर एक छोटी सी क्लेरिकल एरर है, क्लॉज़ २३ के अन्दर जो वडर्स हैं २०, उसके आगे क्लॉज़ २० ए "or Section 20 A as the case may be" एक्स्प्लेनेशन जो दिया हुआ है २३ का "Explanation.--

A money-lender who has given the receipt or furnished a statement of accounts or a pass book in the prescribed form and manner, shall be held to have complied with the provisions of the section 20......" यह लिखा हुआ उसके आगे "or section 20A, as the case may be" ये शब्द एड करवाकर उसके बाद में "inspite of any errors and omissions, if the court finds that such errors and omissions are not material or not made fraudulently." ये शब्द इसमें होने चाहिए एक्स्प्लेनेशन में सेक्शन २० के बाद में।

अब माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है कि जो क्लॉज़ ए और बी हैं, इसमें बताया गया है कि:

"(a) a court shall, before deciding the claim on merits, frame and decide the issue whether the money-lender has complied with the provisions of Section and section 20 A;"

इसकी कार्यवाही के बाद में

"(b) if the court finds that the provisions of section 20 and section 20A have not been complied with by the money-lender, it may, if the plaintiff,s claim is established, in whole or in part, disallow the whole or any portion of the interest found due, as may seem reasonable to it in the circumstances of the case and may disallow costs."

अब २० और २० ए की नॉन-कम्प्लायेन्स के संबंध में कोर्ट को वह अधिकार दिया है कि अगर कैसे ही उसका एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तो खर्चा हो जायगा, लेकिन यदि एस्टेब्लिश हो जाता है और साथ ही साथ उसके अन्दर नॉन-कम्प्लायन्स भी आता है तो कोर्ट को अधिकार दिया है कि चाहे वह पूरा ब्याज नहीं दिलाए, चाहे कोस्ट नहीं दिलाए। कोर्ट को जब अधिकार देने की बात आती है उसमें उनको सारी परिस्थितियों को देखना पड़ता है कि नॉन-कम्प्लायेन्स किन परिस्थितियों में हुई, उनकी सीरियसनेस कितनी है, इन सब चीज़ों को जब करने के बाद कोर्ट कोई जुर्माना करती है। इसलिए कोर्ट के लिए शर्त लगाना ठीक नहीं। तो जिस दृष्टि से इस तरमीम को रखा है, उस दृष्टि से जो मौजूदा स्थिति है और लैंग्वेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अदालतों को बाउंड डाउन नहीं कर सकते। उनको इस अधिकार का परिस्थितियों के

Page No.108

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अनुसार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसको मैं अस्वीकार करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय उप-मंत्री ने रखा है। उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २४। प्रश्न यह है कि........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to oppose this clause.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ। इस क्लॉज़ में कहा गया है कि :

"Nothing in sections 20 to 23 shall apply to loans advanced by any company or un-incorporated body which the State Government may, by notification in the official Gazette, exempt from the operations of those sections."

कुछ अनइन्कोर्पोरेटेड बॉडीज़ को, कम्पनीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट यह अधिकार लेना चाहती है कि, उनको, एग्जेम्पेशन दे दे इस बात से कि वह कर्जदार को उसके कर्जे का स्टेटमेंट न दें, वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार को एन्युअल स्टेटमेंट्स न भेजें, जो रुपया कर्जदार जमा कराए उसकी उसको रसीद न दें, जो कर्जदार डॉक्यूमेंट दे उसे कैन्सिल न करें; यानी क्लॉज़ २० में जो भी प्रोवीज़न्स हैं, जिनके तहत डेटर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है कि उसने जो डॉक्यूमेंट एग्ज़ीक्यूट किया कर्जा देने के बाद वे डॉक्यूमेन्ट्स कैंसिल हो जायं, जितने रुपया अदा करे उसकी रसीद मिल जाय, उसे पीरिओडीकली अपने हिसाब-किताब की नकल मिलती रहे, इन तमाम प्रोवीजन्स को रखा है, यहां तक की असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जो स्टेटमेंट्स भेजने हों, जिससे कि प्रोटेक्ट होता है, उन तमाम प्रोवीजन्स २० से २३ तक उनको तमाम एग्जेम्पशन् मिल जायं। और क्लॉज़ २४ में एग्जेम्प्शन मिल गया तो फिर अदालत कुछ नहीं कर सकती। पूरी डिक्री देनी पड़ेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री,-राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २४ के अनुसार एग्जेम्प्शन के बारे में अलवर से आने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से कहते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसे नहीं रखने में। इसलिये इसको डिलीट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ डिलीट की जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २४ विधेयक में से निकाला गया।

(विराम)

खण्ड २५

[खण्ड २५ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Delete the words "due on the date of decree" appearing at the end of the clause.]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज़ २५ में मेरा यह संशोधन है कि इसमें जो आखिरी शब्द हैं "due on the date of the decree", इसमें यह किया गया है कि जिस रोज डिक्री हो रही है, जितना मूलधन है उससे ब्याज ज्यादा नहीं हो सकता, उन शब्दों को निकाल दिया जाय। मेरा यह संशोधन है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिये जितना असल मूल-धन बाकी था। हिसाब जिस रोज कर्जा लिया गया उससे लगाया जाना चाहिये और ब्याज जितना कर्जा लिया गया है उससे अधिक नहीं होना चाहिये। मौजूदा क्लॉज के अनुसार डेट ऑफ डिक्री तक उससे कितना वसूल कर लिया गया मूल-धन में से उतना निकाल दिया जाय। इस डिक्री से पहले कितना गुना वसूल कर लिया गया इसमें प्रोटेक्टेड नहीं है। जब हम क्लॉज़ ३१ देखते हैं तो जिसमें रीओपन करने का क्वेश्चन है जिसमें खुद सरकार ने यह माना है बिल पेश करते हुए कि छः साल पीछे तक का हिसाब देखने की बात कही है, इस क्लॉज़ की मन्शा को यह डिफीट करता है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिये मेरा संशोधन है कि आखिरी शब्द निकाल दिये जांय, 'due on the date of the decree.' असल जितना बाकी है पिछला हिसाब देखकर उससे ज्यादा ब्याज नहीं दिया जाय। आम तौर पर ऐसा प्रोवीज़न दूसरी जगहों पर भी है, इसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो दलील रखी है उससे मैं असहमत हूं। 'Due on the date of decree. से ज्यादा नहीं देंगे। प्रिंसिपल के मुकाबले जितना इन्टरेस्ट जमा करा दिया है इसमें रेट प्रेसक्राइब कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो तो रिफन्ड करने की बात तजवीज नहीं की गई है। कोर्ट को अधिकार है कि डिक्री के बाद भी इन्टरेस्ट दिला दे। पुराने ट्रान्जेक्शन करते हैं उसको वापिस लेने का सवाल नहीं है। अगर दावा होता है तो उसमें प्रिन्सिपल और इन्टरेस्ट अलग अलग चीज आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्लॉज ३१ से कोंफ्लिक्टिंग नहीं है क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ में जो अमेन्डमेन्ट श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज २६।

[खण्ड २६ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:—

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):

Omit the proviso to the clause.]

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि जो प्रोवज़ो रखा है वह रिडन्डेन्ट है क्योंकि मोर्टगेज डिक्री के लिए अलग कानून है, इसलिये यह प्रोविज़ो नहीं रखते हैं तो भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से कानूनी पोज़ीशन एग्ज़ामिन करायें आपको मालूम होगा कि मोर्टगेज पर डिक्री है तो उससे पहले फुल पेमेन्ट के पहले प्रोपर्टी छूट नहीं सकती। मोर्टगेज decree पर प्रोवीज़ो लगाया है वह नहीं हो तो भी मोर्टगेज कानून के अनुसार एफेक्ट नहीं करता है; इसके अन्दर रखने की आवश्यकता नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : क्लॉज़ २६ के अन्दर तरमीम रखी गई है :

'Provided that nothing contained in this section shall apply to a decree passed under Order 34 of the First Schedule to the said Code.'

इसको डिलीट करने के लिये कहा गया है। मैं इस तरमीम से असहमत हूं। इसके दो कारण हैं; दरअसल क्लॉज़ २६ के अन्दर इन्स्टालमेंट्स से रकम वसूल करने का प्रावधान क्यों रखा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड़ में डिक्री देने पर पार्टी को अधिकार है कि डिक्री इन्स्टालमेन्ट्स में चाहे तो दे सकता है। लेकिन इन्स्टालमेन्ट हो जाने के बाद एग्ज़ीक्यूशन के अन्दर सी० पी० सी० में जज को इन्स्टालमेन्ट के अधिकार नहीं हैं जब तक कि क्रेडिटर स्वीकार न कर ले। हम किश्तों को स्वीकार करते हैं तो कोर्ट को भी करने का अधिकार है। बिना स्वीकृति के कोर्ट भी नहीं कर सकता। अब हम चाहते हैं कि जो अधिकार कोर्ट के इस्तेमाल करने का है उस प्रकार के अधिकार डिक्री हो जाने के बाद भी होने चाहिये। इसमें रिलीफ मिले, किश्तों में चुकाने की सुविधा मिले, यह क्लॉज़ २६ में रखा है।

हमने यह प्रोविज़ो क्यों रखा, वह इसलिये रखा है कि सेक्शन ३४ जो एस्टेट मोर्टगेज होती है उसके लिये प्रिलिमिनरी डिक्री हुआ करती है उसमें ६ महिने की मयाद मिला करती है, उसके बाद फाइनल डिक्री होती है। प्रिलिमिनरी डिक्री की एक रसी नहीं हो सकती फाइनल डिक्री पास हो जाती है तो उसके अन्दर हम इन्स्टालमेन्ट का प्रावधान नहीं कर सकते, यह कानून के विरुद्ध है।

तीसरी दलील जिसके लिये दिक्कत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नहीं, टीनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ ४३ के जरिये यह अमेंडमेंट किया गया है कि अगर किसी कि जमीन रहन है वह दस साल के अन्दर बिना रकम दिये ही बागुजिश्ता हो जाती है; तो इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिये मैं इसको डिलिट करने के लिये सहमत नहीं हूँ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आपने यह लीगली एग्ज़ामिन करवा लिया है, मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है।

मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री रघुनाथ बिश्नोई को अमेंडमेंट वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २७

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

[खण्ड २७ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

The following proviso be added after sub-clause (1) :—

"Provided that such rates shall not exceed nine percent per annum and six per cent per annum for unsecured and secured debts respectively."]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ के सब-क्लॉज़ में एक प्रोविज़ो जोड़ना चाहता हूं, जिसका मकसद यह है कि जो मेग्ज़िमम सूद की शरह है वह इस कानून की तहत मुकर्रर कर दी जानी चाहिये। मौजूदा क्लॉज़ में सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लिया है। समय समय पर वह नियत करेगी कि क्या रेट्स होंगी सूद की। मैं चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर यह मुकर्रर की जानी चाहिये। मेग्ज़िमम क्या रेट्स सिक्योर्ड डेट्स और अन-सिक्योर्ड डेट्स पर होनी चाहिए वे इसी में मुकर्रर कर दी जायं। कल इसी सम्बन्ध में देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने रूलिंग ग्रुप की ओर से भी यही भावना व्यक्त की थी। इस कानून में इस बात का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन आदमियों को कानून की जानकारी होगी उनको यह भी मालूम होगा कि इससे ज्यादा शरह नहीं है। अगर सरकार नोटिफिकेशन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के जरिये रद्दोबदल करती है तो वह आम जनता की जानकारी में नहीं आती हैं। इसलिये मैंने सजेस्ट किया है कि सिक्योर्ड डेट्स के लिये छः पर्सेन्ट पर एनम और अनसिक्योर्ड डेट्स के लिये ९ प्रतिशत पर एनम रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट में मेग्ज़िमम रखें जिसकी तहत स्टेट गवर्नमेंट मुकर्रर करे। फिर स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार नोटिफिकेशन निकालने की।

माननीय मन्त्री महोदय ने जनरल बहस का जवाब देते हुए दलील दी थी, हम ऐसी चीज स्टेट्यूट में रखना नहीं चाहते। समय परिवर्तन के साथ साथ, आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ हमें रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट में परिवर्तन करना पड़े इसलिये राज्य सरकार की ऐसी पम्परायें हैं नहीं। कानून में बार बार अमेंडमेंट करना पड़े, यह ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक कानून में संशोधन करने का सवाल है उसके लिये टीनेन्सी एक्ट हमारे सामने मिसाल है, उसमें अमेंडमेंट बार बार करना पड़ा है। चेरिंजग सोसाइटी में जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है अमेंडमेंट करना पड़ता है, इसलिये इस कानून के बारे में सरकार की इच्छा हो, इस प्रकार का प्रोवीजन रखना चाहे इस कानून में बाद में भी तरमीम लानी पड़ सकती है तो इस प्रकार एम्बीशन करना गलत होगा। इसलिये कानून के अन्दर ही रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट रखना उचित होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें डिफ्रेन्स ऑफ ओपीनियन हो, पर मैंने बहस के दौरान में निवेदन किया था कि भारत सरकार के इनीशियेटिव पर एक सब-कमेटी बैठी थी। उसने भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी थी, सारे हिन्दुस्तान भर के राज्यों के भिन्न भिन्न मनी लैंडर्स एक्टों को और उनके प्रोवीज़न्स को एग्ज़ामिन करके, स्टडी करके और रिव्यू करने के बाद सिफारिश की थी कि रेट्स एक्ट में ही प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिये। स्टेच्यूट में रेट नहीं लिखी जावे, बल्कि यह नोटिफिकेशन और दूसरे जरियों से ही रखी जावे। इसके पीछे उस कमेटी के एक्सपर्टों ने कई कारण बताये थे, जिनको बहस के दौरान में निवेदन कर चुका हूं पहले ही। इसलिये रेट को प्रेस्क्राइब करने का अधिकार सरकार ने लिया है अपने हाथ में नोटिफिकेशन के द्वारा। अब सरकार ने चूंकि अधिकार ले लिया है तो वह कोई दो पर्सेन्ट ही कर देगी या कोई बीस-पच्चीस, पचास पर्सेन्ट कर देगी, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान की परिस्थितियों को देखकर जो उचित होगा वह प्रेस्क्राइब करेगी।

अब नोटिफिकेशन गजट में शाया होगा तो चाहे नोटिफिकेशन गजट में छपे या यह एक्ट गजट में छपे, दोनों एक ही बात हैं। इसलिये इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये रेट प्रेस्क्राइब करने का अधिकार जो सरकार ने अपने हाथ में लिया है वह उस भारत सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के अनुकूल है जिसके लिये कि मैंने जिक्र किया था। बल्कि उन्होंने खास तौर से यह भी कहा था कि जो स्टेट्स स्टेच्यूट में रेटें रखती हैं तो उनको नहीं रखना चाहिये। तो एक्सपर्टों की राय का फायदा उठाना चाहिये। इस दृष्टि से यह अधिकार, रेट का, सरकार ने अपने हाथ में रखा है। इसमें कोई अनुपयुक्त बात नहीं

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। इसलिये निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....(श्री अग्रवाल से) Do you like to withdraw

क्या यह सदन की मंशा है कि माननीय सदस्य····

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I press it, Sir……

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २७ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय !

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २८ से ३०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २८ से ३० विधेयक अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २८ से ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३१

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

[संशोधन इस प्रकार है :

Proviso to this clause be debted.]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३१ रीओपनिंग ऑफ ट्रन्ज़ेक्शन्स ऑफ अकाउन्ट्स के सम्बन्ध में है। इसमें यह तो सहूलियत डेटर के लिये रखी गई है पहले पार्ट में जिससे अकाउन्ट रीओपन हो सकता है। पार्टीज़ के बीच में हिसाब देखा जा सकता है और डेटर से एक्सेसिव इन्ट्रेस्ट लिया है तो वापिस भी चार्ज किया जा सकता है और अगर दुगुने से ज्यादा ले लिया हो तो डिक्री भी हो सकती है, इसका तो मैं स्वागत करता हूं।

पर इसमें जो प्रोविज़ो लगाया है उसके जरिये यह कोशिश की है कि उन अकाउन्ट्स को केवल पिछले छः साल तक के लिये रीओपन किया जावे,और दूसरा उस प्रोवीज़ो में यह प्रोवाइड किया गया है कि किसी कोर्टको डिक्री को इफेक्ट नहीं कर सकता है यह। इसका मतलब यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब हमने सूट की डेफीनिशन में यह माना है कि :

"Suit' means any suit or proceedings."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसका मतलब है execution of proceedings. इसका मतलब यह हुआ कि किसी कोर्ट ने डिक्री दे दी तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्ज़ में उसको रिओपन नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता कि यदि उससे वसूल कर लिया गया है, एक्सेसिव रेट ऑफ इन्टरेस्ट लिया गया है। इस तरह की बात वह हो गई। इसका मतलब यह है कि जो सहूलियत एक डेटर को मिलनी चाहिये जो रिओपनिंग ऑफ अकाउन्ट्स से मिल सकती थी उसको इस प्रोविज़ो के जरिये खत्म किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सिस्टम प्रिवेलेन्ट है राजस्थान में उसमें आम तौर पर मनी लैंडर तरीके अपनाता है, वह यह है कि तीन साल बाद मयाद खत्म होने वाली होती है तो अपना हिसाब बदलवाता है और पुरानी रकम को या तो पेड करके नया हिसाब डाल लेता है या उसको एक असल के तरीके से बनाने की कोशिश करता है या उसमें ब्याज बढ़ा कर असल बना लेता है तो अगर उसके पीछे के हिसाब में नहीं जाया गया तो इस तरीके से जैसे कल मिसाल दी जा रही थी कि एक छोटी सी चीज़ के बदले में भैंस के बदले में भैंस ले ली, इस तरह की बातें होती रहेंगी। जो राहत आप डेटर को दे सकते हैं, जैसी क्लॉज़ ३१ की मंशा है तो उसको खत्म कर देंगे अगर आपने इस प्रोविज़ो को कायम रखा तो।

इसलिये अगर आप उसको लोन जितना असल दिया है उससे उसके बराबर सूद मिल गया तो उससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं, चाहे फिर छः साल हो या बीस साल हो या १५ साल हो। जितने पीछे तक जाया जा सके, जाना चाहिये और हिसाब देखा जाना चाहिये और प्रोग्रेसिव व्यू जो लिया है सब-क्लॉज़ (डी) में कि एक्सेसिव चार्ज किया है तो डिक्री हो सकती है, यह पैरा दिखावा मात्र रह जावेगा अगर इसको कायम रखेंगे और बैक डेट तक के हिसाब में नहीं जाने देंगे तो। इसलिये राजस्थान के लोगों पर जो कर्जे हैं उनका स्केलिंग डाउन भी इसके जरिये हो सकता है। यह सही है कि एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेज़ रिलीफ ऑफ इन्डेटेडनेस एक्ट्स से कवर होकर उनका डेट (debt) उसके तहत स्केल डाउन हो सकते हैं, पर दूसरी और भी क्लासेज हैं, मजदूर हैं, निम्न मध्यम वर्ग है, कर्मचारी हैं, ये कहीं कवर नहीं हैं। इनको क्लॉज़ ३१ के तहत सुविधा मिल सकती थी। उनके पुराने कर्जे बाप-दादा से चले आ रहे हैं। उन पर कितना ही गुना ब्याज वसूल किया जा चुका है, उनमें अगर पीछे तक नहीं जाया गया तो उनको सहूलियत नहीं मिलेगी।

इस दृष्टि से मैंने प्रावधान को इसमें से हटाने का प्रावधान किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको स्वीकार किया जायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ ३१ में:

're-opening of transactions or accounts already taken.'

जो हिसाब पहले हो चुके हैं उनको किन सूरतों में खोला जा सकता है उसके संबंध में यह प्रावधान किया गया है और यह कहा गया है कि:

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

" Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the court shall in any suit to which this Act applies, whether heard ex-parte or otherwise :-

(a) re-open any transacton or any account already taken between the parties;

(b) take an account between the parties;

(c) reduce the amount charged to the debtor in respect of any excessive interest;

(d) if on taking accounts it is found that the money-lender has received more than what is due to him, pass decree in favour of the debtor in respect of such amount ;

यह क्लॉज़ हमने रीओपनिंग ऑफ अकाउन्ट्स के लिए रखा है, इसमें जो प्रोविज़ो रखा है उसी के संबंध में माननीय सदस्य को एतराज़ है। एक प्रोवीज़ो यह है :

'Do anything which affects any decree of a court'

अब किसी कॉम्पीटेन्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ कर्ज में या और किसी के संबंध में डिक्री दे दी और डिक्री अपील की स्टेज में है या और किसी प्रोसेस में है तो डिक्री देने के बाद और अपील की मियाद निकल जाने के बाद आज हम कहें कि जो डिक्री दे दी गयी है उसको भी रीओपन कर दिया जाये, तो यह मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्पलीकेशन पैदा कर देगा और हजारों मुकदमों में जो डिक्रियां हो गयी हैं इस किस्म से कर देने के बाद सभी को रीओपन करना पड़ेगा और इसका मतलब यह है कि सारे केसेज रीओपन हो जायेंगे और उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स कितनी हो जायेगी और हैरेसमेन्ट कितनी हो जायेगी, इसको आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं, और फिर कोर्ट्स के जजमेन्ट में जिनकी अपील का समय निकल गया उनको रीओपन किया जाये तो चाहे वह सेशन्स कोर्ट हो, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम हो, आपके एक्ज़ेम्पशन्स के बिना पर री-ओपन हो जायेंगे और मैं समझता हूँ कि ऐसे कानून को री-ओपन किया जाये, यह अच्छा नहीं है। इससे बहुत कॉम्पलीकेशन्स बढ़ जायेंगी।

इसके अलावा आपने दूसरी बात कही कि ६ साल का रखा जाये, यह ठीक नहीं है। माननीय सभापति जी, जनरल लॉ के अन्दर रेन्डेशन ऑफ अकाउन्ट्स के दावे होते हैं उसमें ६ साल की मयाद होती है। उसके अन्दर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो री-ओपनिंग ऑफ अकाउन्ट्स के दावे हैं वह ६ साल के लिए रखे हैं। वैसे तो ३ साल के अन्दर ही केसेज़ टाइम-बार हो जाते हैं तो दावे नहीं हो सकते, लेकिन री-ओपनिंग के लिए यह प्रावधान रखा है कि जिस तारीख से दावा करते हैं उससे ६ साल पहले तक के ट्रान्ज़ेक्शन्स को री-ओपन करा सकते हैं और इसमें कोई हानि नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट को रिलीफ मिल जाती है और सेक्शन ४३ में मोर्टगेज के मामले हैं उनको भी रिलीफ मिल जाती है। ऐसी सूरत में ६ साल का जो लिमिटेशन दिया है, वैसे तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो दावे होते हैं उसका सारा प्रोवीज़न है अलग, लेकिन कोई आदमी री-ओपन कराना चाहे तो वह हमने ६ साल की छूट दे दी है, मगर इटर्निटी की छूट नहीं दी जा सकती और सभी जगह ऐसा प्रावधान है। इसलिए मूल विधेयक में जो क्लॉज़ है वह ठीक है और माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३१ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३२ से ३६ तक स्वीकार किये जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to oppose Section 34.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : वह अब कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३२ एवं ३३ विधेयक के अंग बनें।

क्लॉजेज़ ३२ एवं ३३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३४.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३४ के जरिये यह प्रावधान किया गया है कि एक महीने का फ्रेक्शन है और थोड़े दिन हैं तब भी एक कर्जदार को पूरे महीने का ब्याज देना होगा। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है। हिसाब से जितने दिनों का होता है उतना ही ब्याज ले। यह स्पेशल प्रोवीज़न जो इसमें किया गया है मैं इसको गलत मानता हूं, इस लिए मैं इसका विरोध करता हूं और जितने दिनों का ब्याज हो सकता है, हिसाब फलाया जा सकता है और हिसाब करना सब को आता है, वह सब कर लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ३४ में साफ लिखा है :

"Notwithstanding any agreement between the parties or any law for the time being in force, when a statement is delivered or pass book is supplied to a debtor under section 20 or if accounts are taken under section 32 or a tender or remittance is made by a debtor to a money-lender in respect of a loan under section 33 before the tenth day of a calendar month,

Page No.117

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

the interest due shall be calculated as payable for fifteen days of the said month and if the statement is delivered or pass-book is supplied or accounts are taken or tender or remittance is made on any subsequent day, then for the entire calendar month irrespective of the fact that such statement is delivered or pass book is supplied suc h accounts are taken or such tender or remittance is made on any such day."

१ से १५ तारीख के बीच तक का हो तो १५ दिन का ब्याज लेंगे और १५ तारीख के निकल जाने के बाद पूरे महीने का लिया जायेगा। इसमें क्या बात है, साफ लिखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो ज्यादा ही लेना चाहते हैं आप ?

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह कर्जदार को आप रियायत दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ व ३६ स्वीकार किये जायें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I oppose clause 36.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : But it has now been put to vote.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ३५ व ३६ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३५ व ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ३७

अब सदन का समय समाप्त होने वाला है और यह कार्यवाही आज ही समाप्त करने की है इसलिए मैं समझता हूं कि यह सदन की मन्शा होगी कि जब तक यह कार्यवाही समाप्त न हो जाये, सदन का समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक बिल की कार्यवाही समाप्त न हो जाये बढ़ाया जाता है।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल

[संशोधन इस प्रकार है :-

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(i) Between the word "recovery" and the word "of" occuring in line two of the clause insert the words "or in lieu"

(ii) The following proviso be added at the end of the first proviso—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"Provided further that if a money lender goes to such house or place during one month before any election to Parliament, Assembly, Panchayat or Panchayat Samiti he shall be presumed to have gone there with an intention to molest his debtor."]

उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज़ ३७ पैनाल्टी फोर मोलेस्टेशन है। इसमें यह है कि कोई भी मनीलेण्डर या कर्जदार अपने डेटर को मोलेस्ट नहीं कर सकेगा और अगर करेगा तो उसको पैनाल्टी लगाने के लिए यह क्लॉज़ बनाया गया है। इसमें भी अमेन्डमेन्ट यह पेश किया है और इसमें यह कहा गया है :

"whosoever molests, or abets the molestation of, a debtor for the recovery of a debt due by him to a creditor......"

इस किस्म के मोलस्टेशन जो कि रिकवरी ऑफ डेट के लिए किये गये उसके लिए पैनाल्टी प्रोवाइड की है, लेकिन हमारा यह तजुर्बा है सभी लोगों का कि एक क्रेडीटर अपने डैट की रिकवरी के लिए एक डेटर को मोलेस्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे अल्टीरियर पर्पज़ेज़ के लिए भी अपने क्रेडीटर होने की हैसियत का नाजायज फायदा उठाकर डैटर को परेशान करता है, मोलेस्ट करता है और खास तौर से इलेक्शन में, यह बात आम तौर पर देखने को मिलती है कि जो मनीलैंडर्स होते हैं वे समझते हैं कि जितने हमारे डैटर्स हैं वे हमारी मुट्ठी के अन्दर हैं और वे अपने नेताओं को बताते हैं कि यह मेरा वोट पक्का है और इस तरीके से उनको कर्ज आइन्दा नहीं देने का डर दिखाकर और जो कर्जा है उसको फौरन वसूल करने का डर दिखाकर और अनुचित प्रभाव डालकर चाहे जिस तरीके का काम करने के लिए मजबूर करते हैं और जो मौजूदा प्रावधान बिल में किया गया है वह उनके इस एक्शन को रोकने के लिए काफी नहीं है। तो इसमें एक तो संशोधन यह है कि:—

"Between the word 'recovery' and the word 'of' occurring in line two of the clause insert the word "or in lieu."

कर्जदार है इस नाते से वह इसको करे। दूसरा मैंने इसमें प्रोवज़ो जोड़ा है इनफरेन्स का जो कि आखिर में एक प्रोवीज़ो हैं :

"Provided that a person who goes to such house or place in order merely to obtain or communicate information shall not be deemed to molest."

उसके बाद मैंने यह प्रोवीज़ो जोड़ा है :

'Provided further, that if a money-lender goes to such house or place during one month before any election to Parliament, Assemly, Panchayat or Panchayat Samiti he shall be presumed to have gone there with an intention to molest his debtor.

यानी मेरे प्रोवीज़ो का यह मकसद है कि इलेक्शन के दौरान में एक महीने के दौरान में जब कि इलेक्शन होने वाला है उस दौरान में सरकार अगर मनी लैन्डर अपने डेटर्स के पास जाय उनके मकानों में तो यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रिज्यूम किया जायगा कि उसकी नियत अपने डेटर को इलेक्शन के पहले दबाने की है और उसको मोलेस्टेशन माना जायगा। यह प्रिज़म्पशन होगा। अदरवाइज़ होगा तो प्रूफ करने का अधिकार होगा, लेकिन प्रिलिमिनेरी दृष्टिकोण यह माना जायगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने मनीलैन्डर के फेवर में प्रिज़म्पशन क्रियेट कर दिया कि हाउस में जाय तो यह माना जायगा कि मोलेस्ट करने की दृष्टि नहीं है। मनी लैन्डर को बचाने का दृष्टिकोण उनके सामने ज्यादा था। वह उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सामने रोजमर्रा प्रोब्लम क्रियेट होती हैं, रोजमर्रा जो हम देखते हैं उसको बचाने के लिए उसको रखना चाहते हैं, तो मेरा जो यह संशोधन है वह उस इविल को हटा सकें और लागों को जो फीडम है उसको कायम रख सकें, इसलिए है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष, जो कि तरमीम रखी गई है अभी मैं उसको पोलिटिकल एमेंडमेंट की संज्ञा दे सकता हूं। उसके जरिये काम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य चाहते हैं कि मनी लैंडर नाम से पुकारे जाने वाला कोई भी आदमी इलेक्शन जब शुरू हो उसके एक महीने के पहले से राजस्थान के किसी हिस्से में घूमता हुआ नज़र न आये और घर में सोता रहे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेटर के पास न जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप जिस तरह से समझते हैं कि मनीलैण्डर को दरवाजे में बन्द कर दें तो मैं समझता हूं कि इस बात से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जो मनीलैन्डर असेम्बली का सदस्य हो सकता है उस मनी लैन्डर को असेम्बली के या पार्लियामेंट के इलेक्शन के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव जाय तो उसको प्रोहिबिट करना चाहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : गांवों का नहीं कहा है, सिर्फ कर्जदारों का कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह नहीं हो सकता है। इस तरह का प्रावधान केवल पोलिटिकल मोटिव से रखा गया है और कानून को पोलिटिक्स में घसीटने से काम नहीं चल सकता है। यह जो बिल है वह केवल पोलिटिक्स के आधार पर जैसा कि आप मानते हैं वैसा नहीं है। बिल केवल गरीबों को रिलीफ देने के लिए है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पोलिटिक्स यहां के सोशियो-इकोनोमी की कन्डीशन्स से सम्बन्ध रखती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको किस प्रकार से वोट ज्यादा मिले या दूसरे को किसी प्रकार से न मिले, यही आपके ध्यान में है। माननीय उपाध्यक्ष, जो दूसरी क्लॉज़ रखी है उसके अन्दर तरमीम में यह चाहते हैं इसकी रिकवरी तक शब्द लिखे हैं—

"whosoever molests, or abets the molestation of, a debtor for the recovery of a debt due by him"

उस आदमी के अन्दर कोई बाकी कर्जा रखे और उस कर्जे के सिलसिले में, रिकवरी के सिलसिले में मोलेस्ट करे तो वह सवाल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समझ में आता है न्यायालय की बात कि डैट की रिकवरी के सिलसिले में मोलेस्टेशन होता है, लेकिन आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है वह यह है कि आदमी जाता है तो वोट के लिए जाकर रुपये मांगता है और उसके कहने से वोट दे देता है। उसके असर को आप काम में नहीं लेना देने चाहते हैं। इस गरज से यह प्रोपोज़ल रखते हैं और इस बात की मान्यता उससे मालूम हो जाती है जब यह आप कहें कि जो मनीलैण्डर्स हैं, जो मनी लैंडिंग का बिज़ेनस करते हैं इलेक्शन के शुरू होते ही ही सारे मूवमेंट बन्द हों !........

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके दर्द की दाद देता हूं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य जो खुद मनी लैन्डर हैं वे असेम्बली में बैठ सकते हैं और वह मनी लैंडर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is a white lie.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : आप इन पर भी कानून लागू कीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am prepared to accept it for mine.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज़ ३७ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३८, श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

[खण्ड ३८ पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(i) In part (b) insert the words "or subsequent" between the words "Second" and "offence", and out the word "and" occuring at the end.

(ii) Part (c) be deleted,

(iii) Delete the figure "20, 20 A and 35" whereever occuring in this clause.

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

(i) Insert the word "or subsequent" between the words "second" and "offence" in part (b) of the clause.

(ii) Delete part (c) of the clause.

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

(i) Replace the word "punishable",

(श्री गंगासिंह राठौड़)

by the words "punished with fine extending to two hundred rupees";

(ii) Part (a),(b) and (c be deleted]

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरे तीन संशोधन है। पहला संशोधन है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत ही संक्षेप में।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : बहुत ही संक्षेप में।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : २-३ टर्म्स में कह दें, हम लोग समझदार हैं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : इसमें ५,६ क्लॉजेज़ हैं मेरी बात यह है कि इसमें २० और ३५ को हटा दिया जाय। इसका कारण यह है कि क्लॉजेज़ २० और २० ए के जो प्रावधान हैं वे इस बात के लिए हैं कि रिटर्न्स दिये जायं। और इसमें यह जो सेक्शन २३ है इसमें यह ऑलरेडी प्रोवीज़न है वह कहीं नहीं देखा गया है। अगर आधा देगा तो जैसा कि कोर्ट समझेगी वह सजा हो जायगी। तो इस प्रकार से अलग से प्रोवीजन रखने का कोई अर्थ नहीं है कि इसमें यह लिखते हैं कि इसको सजा दी जायगी। मैं. उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रोवीज़न्स आज तक किसी एक्ट में नहीं हैं। इन्कम टैक्स का रिटर्न भी अगर ५, ७ या ८ वर्ष तक नहीं भरे तो भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। सैल्स टैक्स का रिटर्न नहीं भरे तो पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि पैनाल्टी लगा दी जाती है। लेकिन इस एक्ट में इस प्रकार का प्रोवीज़न रखा है तो या तो यह कह दें :

"money lending is a crime and nobody should carry if."

आजकल जो बदमाशी होती है कि आपके रिटर्न्स फाइल में से गायब हो जाते हैं। कोई भी क्लर्क दो पैसे लेकर गायब कर देगा और आप कहेंगे कि दो रिटर्न्स गायब हैं। आप कहेंगे कि पनिशमेंट हो। पहले साल के दो रिटर्न गायब कर दिये और अगले साल के दो रिटर्न गायब कर दिये और इस प्रकार से चार रिटर्न्स गायब हुए तो उसको सज़ा दे दी जायगी इस क्लॉज़ ३५ के अन्दर।

वे यह कहते हैं कि उसको अपने मकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा। आज तक तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि किसी आदमी ने बोर्ड नहीं लगाया तो सजा दी जायगी। बोर्ड लगाया और दीवाली का महीना है और मकान की धुलाई की और उसको उतार कर रख दिया और किसी ने शिकायत कर दी तो उसको सजा दी जायगी। वहां गांवों में कच्चे मकान में कीली नहीं लग सकती और गिर गया....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बोर्ड इसलिए लगाया जाय कि चोरों को पता लग जाय कि इसके पास पैसा है।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): तब तो आपको फायदा है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड नहीं लगाने पर २००) रु० या ५००) जुर्माना रखा है और उसके बाद भी अगर दूसरी बार बोर्ड नहीं मिले तो सजा का प्रोवीज़न रखा है। मेरा खयाल है कि किसी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

प्रकार के काम्युनिस्ट राज्य में भी इस तरह की सजा नहीं होगी ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) ; कम्युनिस्ट राज्य में तो ब्याज नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : You are seeing the future so early.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: दूसरा एमेंडमेंट है ३८ के (बी) में for the second offence का लिखा है तो "सैकण्ड" के साथ "सब्सीक्वेन्ट" और बढ़ा दिया जाय ताकि फाइन का जो प्रोवीज़न है ५००)रु० का वह बाकी १,२, ३ और ४ जितने भी हैं जैसा कि क्लॉज़ ३८ में है :

'for the third or any subsequent offence, with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

यह जो है इसको डिलीट कर दिया जाय ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का पनिशमेंट का जो प्रोवीज़न है वह किसी भी एक्ट में नहीं है कि एक छोटी सी गलती के कारण किसी को सजा दी जाय, जैसा कि मनी लैन्डर के लिए है । उसके लिए तो यही बहुत बड़ी सजा है कि उसका जो रुपया है उसका अगर वह दावा करे और मान लो कि उसकी कोई गलती है तो कोर्ट उसका रुपया नहीं दिलाती है, उसका जो बाकी रुपया है वह कोर्ट के थ्रू नहीं मिले । मनी लैण्डर को सजा देना चाहते हैं तो वह उसके पैसों का नुकसान होगा । जब पैसे के लिऐ सजा दी जाय तो उसको इम्प्रिज़नमेंट की सजा देना मेरे खयाल से बिल्कुल अनुपयुक्त है और किसी एक्ट में ऐसा नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज दिन भर से हमारे साम्यवादी सेठ साहब की बात सुन रहा था । मैं यह पूछना चाहता हूं (साम्यवादी पक्ष की ओर से बातें करने पर) फिर मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं प्वॉइन्ट से दूर चला जाऊंगा ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सेठ साहब ने सेठों को प्रसन्न करने की बड़ी तरकीब निकाली । उनका मुख्य कारण यह था कि वे यह समझते हैं कि सेठ लोग आज साम्यवाद के चंगुल में फंसे नहीं । उनके साथ चुनावों में इतना किया और आज तक करते आये हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि वे यह समझते हैं कि सेठ लोग उनको पैसा नहीं देते हैं । सेठ साहब का यह प्रत्यक्ष नमूना है कि लाखों की सम्पत्ति रख कर, पैट्रौल पम्प वगैरह रख कर उनके बारे में बात नहीं करते हैं । लेकिन जो लोग मनी-लैंडिंग का बिज़नेस करते हैं उनको तो सजा होनी चाहिये यह तो होनी ही चाहिये । मैं कहता हूं, हमारे उप-मंत्रीजी ने इस कानून में सजा का प्रावधान रखा है, वह बहुत ही गलत है । टीक है यदि कोई मनी-लैंडर गलत काम करता है तो यह उचित है कि उसने जो पैसा दिया है उसकी डिक्री नहीं दी जाय । यह भी कोई कम सजा नहीं है । यह सब छोड़ कर ऐसा छोटी छोटी बातों पर जैसे बोर्ड नहीं लगाया है तो उसको सजा होगी मैं बुद्धि की

(श्री मानसिंह महार)

दाद देता हूं उप-मंत्रीजी को, उनकी बुद्धि को भी दाद देता हूं जिन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से अति चतुराई से कानून बनाया है। देहात में आप चाहते हैं कि छप्पर पर बोर्ड लगाया जाय और यदि उस छप्पर में आग लगने से वह जल जाय तो उसको सजा कर दो। कुछ तो सोचना चाहिये था। मैं तो फिर उप-मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि कानून प्रेक्टिकल बनाइये। हवाई जहाज में मत उड़िये। दो बिल आपने पायलेट कर दिये इस सदन में तो आप यह न समझें कि आप खुदा बन गये....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : आप अपने आपको ऐसा समझते होंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूं। आप सोचने लगे हैं इसलिये कहना पड़ता है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था उप-मंत्रीजी से कि हम लोगों ने छोटे छोटे संशोधन दो-तीन रखे हैं उनको मानना चाहिये कुछ बात नहीं है ? बोर्ड न लगा सके तो सजा, आपको मालूम होगा कि जयपुर में साहूकारों ने बोर्ड पर कीमत नहीं लिखी थी इसलिये उनको हथकड़ियें लगा कर शहर में घुमाया और जो लाखों रूपयों की रिश्वतें लेते हैं उनको सजा नहीं। दो आने की कीमत नहीं लिखी तो जयपुर में हथकड़ियां लगाकर घुमाया गया, यह हालत होती है; आपका कानून यह चीज है, बेवकूफी की सीमा में आता है। यह कानून यदि सदन पास करेगा तो बाहर वाले हमको बेवकूफ कहेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य परिष्कृत भाषा काम में लावें तो अच्छा है।

श्री मानसिंह महार : मैं तो बहुत कंट्रोल्ड भाषा में बोलता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी देखा था नमूना !

श्री मानसिंह महार : सेठ साहब अभी मौन हैं इसलिये सेठ साहब के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अकबर बादशाह।

श्री मानसिंह महार : मुझे खुशी है कि आप सुनने के आदी तो हुए, नहीं तो पैट्रोल पम्प की बात सुनाऊंगा। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, सेठ साहब ने हार मान ली। मेरे दूसरे उप-मन्त्री सेठ साहब हैं। दोनों सेठों की लड़ाई में राजस्थान के सेठों को बर्बाद मत करो, बुद्धि का संतुलन मत खोओ, सही ढंग से हमारे छोटे-मोटे संशोधन हैं, जो उचित हैं, बड़ा भारी काम नहीं है, उनको तो मंजूर कर लें। मैं उप-मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे वाजिब बात को मान लें।

श्री गंगासिंह राठौड (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो क्लॉज़ ३८ के अन्दर पनिशमेंट रखी है वह मैं समझता हूँ बहुत ही डिटरेन्ट है; इतना ज्यादा पनिशमेंट होने से जो प्रोविज़न्स आपके हैं उनकी मंशा भी पूरी शायद नहीं हो सकती, जो आपने रिटर्न्स

(श्री गंगासिंह राठौड़)

और बोर्ड का पास किया है और इस तरह के दूसरे प्रोविज़न्स हैं उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव युटिलिटी है । इनके कारण उनको इतनी सजा देना उपयुक्त नहीं समझता हूँ । इसके साथ साथ मैंने अपने अमेंडमेंट के जरिये यह लिखा है, उनको सजा दी जाय तो २००) रुपये से ज्यादा सजा नहीं दी जाय। यदि एक जुर्म में २००) रुपये लगाये जायं तो काफी होगा। इस समय जो क्लॉज़ रखा है उसको पास कर दें तो संभवतः उसका दुरुपयोग हो सकता है और एक आदमी दो–तीन जगह लाइसेन्स होल्डर है और रिन्यू नहीं करा सकता है तो तीन जगह अलग-अलग जुर्म हो जाता है और उसको क्लॉज़ ३० में सजा दे सकते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इस क्लॉज़ में जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वह सजा का नहीं होना चाहिये और फाइन तक ही सीमिति रहना चाहिये। इसको मद्दे नजर रखते हुए मैंने जो अमेंडमेंट रखा है वह वाजिब है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ३८ के अन्दर (बी) और (सी) के सम्बन्ध में कुछ अमेंडमेंट्स प्रस्ताव रखे हैं । साथ ही साथ मावली के माननीय सदस्य ने जो "Punishment for contravention of Sections 5, 20A, 27, 28 and 35- whosoever fails to comply with, or acts in contravention of any provision contained in Sections 5, 20, 20 A, 27, 28 and 35 shall be punishable............" इसके अन्दर २७ और २८ को छोड़ कर बाकी सबको पनिशमेन्ट के दायरे से निकालने का प्रस्ताव रखा है, उससे सहमत नहीं हूँ ।

दूसरा प्रस्ताव रखा है (बी) में :

"for the second or subsequent offence, with fine which may extend to five hundred rupees.."

इसके लिये दलील यह दी है कि साइन बोर्ड और छोटे-मोटे मामलों में सजा दी जायगी वह ठीक नहीं है और किसी जगह इस तरह का प्रावधान नहीं है और(ए)और(बी) में संशोधन लगाने की मंशा पूरी हो जाती है । क्योंकि हम प्रोवाइड कर चुके हैं कि लाइसेन्स नहीं हो तो दावे में डिक्री नहीं होगी और रुपयों से हाथ धोयेगा; इसलिये मैं इसको भी उपयुक्त नहीं समझता । इसलिये श्री सम्पत्तिलालजी ने जो प्रस्ताव (बी) और (सी) में तरमीम करने के रखे हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ । बाकी को अस्वीकार करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : The rest of it you withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि इन्हें संशोधन विथड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई ।

श्री सम्पत्तिलाल : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३८ में श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने रखे हैं सब-क्लॉज़ेज़ (बी) और (सी) के सिलसिले में और जिनको उप-मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह महार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३८, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३८, यथा-संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ४०

[खण्ड ४० पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : Raplace the words "Depuly Superintendent of police" by the word Sub-Inspector of police"

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : Part (a) be deleted.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : 'Delete Part (a) of the clause.'

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

"Proviso to this Clause be deleted."]

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने दो संशोधन प्रोविज़ो के बारे में रखे हैं । इसमें लिखा है :

"not below the rank of a Deputy

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

Superintendent of Police or under his direction or guidance or subject to his prior approval in writing."

तो यह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट का जो प्रोवीज़न रखा है यह बिल्कुल ऐसा प्रोवीज़न है कि इसको हटाना वाजिब है। अभी नई स्कीम के अनुसार डिप्टी सुपरिंटेंडेंट का बहुत सी जगह पर पोस्टिंग नहीं हुआ है, वहां सर्किल इन्सपेक्टर रहते हैं। इसलिए जो प्रोवीज़न रखा गया है, इसको हटाना वाजिब है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४० में जो कॉग्नीजेबल ऑफेन्स की बात कही है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ, In clause 5, यदि कोई व्यक्ति लाइसेन्स लिए बिना मनी-लेंडिंग करता है तो उसको सजा दी है। यह सजा किसको मिली है ? यह बहुत छोटे छोटे लोगों को मिली है। जो बड़े लोग हैं, जो लाखों का धन्धा करते हैं, पचास हजार का धन्धा करते हैं, पच्चीस हजार का धन्धा करते हैं--उनमें ऐसा कोई बेवकूफ नहीं होगा जो बिना लाइसेंस लिए धन्धा करें। इस कानून के तहत अगर कोई पकड़ा जायगा तो वह गरीब आदमी पकड़ा जायगा जो कुटिया में बैठा हुआ है, जिसके पास इस एक्ट पास होने की सूचना नहीं पहुँचेगी। जो बूढ़ा है या जो विधवा है, जो अनपढ़ है, जो गजट नहीं पढ़ते, जो रेडियो नहीं सुनते, उनके पास इस एक्ट के बारे में सूचना नहीं पहुँचेगी। इसलिए जो प्रोवीज़न रखा है कॉग्नीजेबल ऑफेन्स का वह उनके लिए ही होगा। इसलिए इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिये। यह सही है कि सजा देनी चाहिए लेकिन मनी लेंडर्स कानून के तहत सजा देना चाहते हैं, यह उनके लिए नहीं है जो बड़े लोग हैं और लाखों का धन्धा करते हैं, बल्कि यह उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास सौ, दो सौ की पूंजी है और जो छोटा धन्धा करते हैं, जिनके पास इस कानून की सूचना पांच साल, दस साल तक भी नहीं पहुँचने वाली है। आप उन लोगों के लिए प्रावधान रख रहे हैं कि उनको सजा दी जाय। मैं मूलतः मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मनी लेंडर्स बिल में जो मेग्ज़िमम सजा दी जा सकती है वह यह होनी चाहिए कि जो रुपया मांगता है कोर्ट में डिग्री उसके पक्ष में नहीं दी जाय, अगर उसके पास लाइसेन्स नहीं है और जो कुछ रुपया उसका बाकी है व्याज सहित उसका खत्म कर दिया जाय। इतनी सजा काफी है। इसलिए इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तहत जो गरीब लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं होगी उनको ही सजा दी जायगी। यह मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं मूव करता हूं कि क्लॉज़ ४० सारा का सारा डिलीट कर दिया जाय तो और भी अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मेरे पूर्व वक्ता ने इस क्लॉज़ को डिलीट करने के बारे में जो कुछ फर्मायां उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं यह समझता हूँ कि यह जो मनी लेंडर्स बिल इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है इसका एक ही उद्देश्य है कि जो बड़े और लखपति आदमी हैं, उनकी किसी प्रकार से

(श्री मानसिंह माहर)

मोनोपोली कर दी जाय। यह कानून है और इसमें जितनी सख्तियां की जाती हैं और जो अलवर से आने वाले सेठ साहब और भी सख्तियों की बात करते हैं– उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बड़े-बड़े सेठ-साहूकार हैं, लखपति हैं वे तो आराम से गुमाश्ते वगैरह रख लें और उन्हें रख कर कानून की पूरी कार्यवाही कर लें, उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी तो मोनोपोली होगी। लेकिन जो छोटे-मोटे लेन-देन करने वाले होंगे, उन बेचारों को हैरेसमेंट होगा। आज भो आप देखिये, सेल्स टैक्स वगैरह है........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : उनकी ओट लेकर अपनी बात कहना चाहते हैं?

श्री मानसिंह महार : सेल्स टैक्स वगैरह जितनी चीजें हैं उनके सम्बन्ध में बड़े लोग रिटर्न फाइल करते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि वे नौकर रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गांव में बनिये हैं, उन्होंने आज भी सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर के लिए फी दूकान पच्चीस रुपये, तीस रुपये बांधे हुए हैं। वे रिटर्न-विटर्न कुछ नहीं देते, सिर्फ इन्सपेक्टर को पच्चीस-पच्चीस रुपये उन्हें देने पड़ते हैं। इसी तरह यह भी उन गरीब लोगों के लिए होगा। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, होशियार हैं, लेन-देन करने वाले हैं वे इस एक्ट के प्रोवीज़न्स के माफिक कार्यवाही कर लेंगे लेकिन जो छोटे हैं, जो गरीब हैं जिनके पास हजार पन्द्रह सो रुपये की पूंजी है वे कर सकेंगे। मैं निवेदन करूं, ऐसे मेरे यहां पर कई काश्तकार हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप सख्त से सख्त सजा कर देते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन आप पांच हजार के टर्न ओवर को छोड़ देने की बात कर लेते और जो बोहरे हैं, जिनको मनी लेंडर्स की संज्ञा सही मायने में देनी चाहिए, वे लाखों की तादाद में बोहरगत करते हैं और जो किसान उनके चंगुल में फंस जाते हैं वे पुश्त-दर-पुश्त तक छूट नहीं सकते– उनको इस कानून के तहत लेना चाहिए। उनको लेना चाहें तो अच्छी बात होगी। लेकिन वह नहीं करते। आप छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हैं कि हरएक व्यक्ति, जो मनी लेंडिंग करने वाला है उसको परेशान किया जाय। कहा जायगा कि केजुअल मनी लेंडिंग करने वाले पकड़ में नहीं आते। आपने कह दिया, अच्छी बात है। लेकिन उप-मंत्री को मालूम होना चाहिए कि केजुअल मनी लेंडिंग गावों में छोटे-छोटे किसान करते हैं। उनके सामने आपके इन्सपेक्टर या रजिस्ट्रार जाकर खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा चालान किया जायगा क्योंकि तुमने बिना लाइसेन्स के मनी लेंडिंग का बिज़नेस किया है; तो वे फौरन रुपया नजर कर देंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे........

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : आपको भी करते हैं।

श्री मानसिंह महार : हमें आप नजर जिन्दगी भर करते रहे, पुश्तैनी रूप से करते रहे। आपके बाप-दादाओं ने भी किया है।

श्री मोतीलाल चोधरी : हमें भी आप करते हैं।

श्री मानसिंह महार : लेकिन किसान इन लोगों को करेंगे, वह हमें अखरता है।

(श्री मानसिंह महार)

इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो नजर लेते थे, वह गुनाह नहीं किया, रिश्वतखोरी नहीं की। हमारे जमाने में वह लीगलाइज्ड फार्म में था, हमने जो कुछ किया........

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री,उद्योग): लीगलाइज्ड रिश्वत थी।

श्री मानसिंह महार : लेकिन आप इल्लीगली काम करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): इसलिए कानून में है।

श्री मानसिंह महार : आपको मालूम होना चाहिए, कल एक वयोवृद्ध महिला ने फर्माया था कि सूदखोर के लिए क्या सजा होनी चाहिए। तो मैं सूदखोर का तो कट्टर विरोधी हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन आप यह जो कानून बना रहे हैं, इसमें आप सूदखोर को मारते नहीं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, एक एक गांव में एक-एक लाइसेन्स देकर सूदखोर बना लेंगे। इसके अलावा मैं सबसे बड़ी अर्ज करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मंत्री महोदय को कि एक आदमी लाइसेन्स बनवा लेगा और जो केजुअल मनी लैंडर होगा उसके लिए कह देगा कि बिना लाइसेन्स के इतने पैसा दे दिया है फलां आदमी को, तो उस बेचारे की जान को आफत हो जायगी और गांव वालों को अपना काम निकालने के लिए पैसा मिल जाता है वह बन्द हो जायगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन क्रेडिटर्स को फेल करना चाहते हैं और जिन डेटर्स का उत्थान करना चाहते हैं वह न होकर यह होने वाला है कि बस कानून के पास होते ही अगर कोई सौ रुपये मांगेगा तो उससे दो सौ रुपये का प्रोनोट लिखवा लिया जायगा। कहेगा, पांच साल की ब्याज नहीं सही, पांच वर्ष तक ब्याज न मिले तो कोई बात नहीं क्योंकि सौ रुपये के डबल उसने कर लिये। मैं फेक्ट बता रहा हूं, यही होने वाला है। इसलिए उप-मंत्री जी ने यह जो सजा का प्रोवीजन रखा है, यह नहीं रहना चाहिए। और यह जो क्लॉज़ है, इसको डिलीट किया जाय। क्लॉज ४० बहुत बेवाजिब है। यह अमेंडमेंट बहुत वाजिब है, इसलिए इसको सरकार को मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे अलवर के सेठ साहब ने अमेंडमेंट नहीं दिया है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री मोतीलाल चौधरी बोलने को खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि बहस बहुत ही मुख्तसिर में होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अमेंडमेंट नहीं है। बहस के लिए और अमेंडमेंट पड़े हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : अमेंडमेंट है ?

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही अमेंडमेंट है कि इस प्रोवीज़ो को बिल्कुल हटा दिया जाय। दूसरे उसके जो पोर्शन्स हैं (ए) और (बी), उसकी ओर मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें कुछ असंगति मालूम पड़ती है। क्लॉज़ ३६ जो है, उसमें काफी हीनियस ऑफेन्स, फ्रॉड की बात है, बॉंड में गलत शब्द लिखने वाली बात है। उसको कॉग्[illegible]

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जेबल ऑफेन्स नहीं बनाया गया, जबकि क्लॉज़ ५ वाले को बनाया गया है। क्लॉज ३६ और ३७ को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं समझता हूं, यह रह गया है। इसलिए ३६ और ३७ को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसी तरीके से ५ के साथ में २७ को जोड़ना चाहिए। उसमें जो सूद फिक्स्ड रेट से लेने की बात आती है उसको कोन्ट्राबीन करे तो वह ऑफेन्स है। इसलिए क्लॉजेज़ ५ और २७ को साथ जोड़ना चाहिए। मेरा सजेशन है कि क्लॉजेज़ ३६ और ३७ के अन्दर जो ऑफेन्स हैं वे कोग्नीजेबल हैं और नोन बेलेबल हैं, लेकिन पहले वाला है वह बहुत हीनिअस है, उसको कॉग्नीज़ेबल रखा जाय और बेलेबल बनाया जाय। इन विचारों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ पर अपनी राय रखना चाहता हूं। क्लॉज़ ४० में हमारे कुछ........

श्री उपाध्यक्ष : आप खिलाफत करना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मैं इस क्लॉज़ का विरोध कर रहा हूं।

क्लॉज ४० में रखा है कि यदि क्लॉज़ेज ८ और ५ के तहत कोई गलती होगी, और मनी लेंडिंग एक्ट की इन क्लॉज़ेज को कोई तोड़े तो यह कॉग्नीजेबल ऑफेन्स ट्रीट होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली दफा राजस्थान में मनी-लेंडर्स का कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। माननीय सदस्य, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं, वे सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं कि सजा देनी चाहिए और इसे कॉग्नीज़ेबल बनाना चाहिए। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हम जब नया प्रोग्रेसिव एक्ट लाते हैं और उसमें बहुत दफा सोचते हैं कि कॉग्नीज़ेब करें तो उसमें पुलिस के द्वारा जनता को हैरेसमेंट कराना होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को ड्राप कर दें। यह पहला कदम है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मनी लेन्डर को कोई डिफिकल्टी हो तो अमेन्डमेंट बाद में भी ला सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आम तौर से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है कि पुलिस लोगों को यहां तंग करती है, वहां तंग करती है: तो मैं कहूंगा कि इसको कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को ड्रॉप कर दिया जाए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ४० में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि इस क्लॉज़ को डीलिट कर दिया जावे, और इसी प्रकार जनसंघ और आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी अपनी भावना व्यक्त की और जाहिर किया कि कॉग्निज़ेबल ऑफेन्स नहीं रखा जाए। मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह एमेंडमेंट आपकी भावना के अनुकूल मालूम पड़ता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे आपकी

Page No.130

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

भावनाओं की कद्र करते हुए इसको मन्जूर करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय हो चुका है। अब सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : एक क्लॉज़ ४० ए और बी होने के बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जावेगी।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४० विलोपित कर दिया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४० विधेयक में से निकाला गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४० ए।

श्री रामप्रसाद लडढा : [संशोधन इस प्रकार है :

For the words figure and letter "Section 20 or 20 A" substitute the words, figure and letter "Section 5, 20 or 20 A".]

क्लॉज ४० में इतना ही एमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं, जो सर्क्युलेट किया है।

"For the words figure and letter "Section 20 or 20 A" substitute the words, figure and letter "Section 5, 20 or 20 A".

लाइसेन्स के सम्बन्ध में अपील होने के बारे में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्लॉज़ ४० तो विलोपित हो गया है। बाकी कल धीरे धीरे पास कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल १२ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ८.३५ बजे, दिनांक २० सितम्बर, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १६ सितम्बर, १६६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

परीक्षा में बैठने की अनुमति।

सहकारी समिति के गबन।

कागज उद्योग।

चरागाह के लिये भूमि।

राष्ट्रीयकृत पुस्तकें।

मंत्रियों के बंगलों में फर्नीचर की सीमा राशि।

भरतपुर में फैब्रिकेटर।

जागीरदारों को मुआवजे व रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के अलावा रुपया।

भूमि रद्द किया जाना।

विकास विभाग के अधिकारियों के लिये पुस्तिकायें।

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०।

राजस्थान का हाथी दांत का कोटा।

पावर-लूम्स का एलॉटमेंट।

पंचायत सचिवों को देरी से वेतन।

स्कम्भ

मऊ इब्राहिमपुर मिडल स्कूल।

पंचायत समिति भवन।

सड़क निर्माण।

जयपुर में विदेशी ट्यूरिस्ट।

डेयरी फार्म के लिये कर्जा।

नीम-के-थाने के उप-जिलाधीश के विरुद्ध शिकायतें।

भोपाल कोआपरेटिव सोसायटी।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स।

एक्वायर की गई सम्पत्ति।

आर्थिक विकास की सम्भावना का सर्वे।

पटेलाई के लिये प्रार्थना-पत्र।

विमान यात्रा पर व्यय।

पंचायत भवन निर्माण।

सरकारी फाइल्स का गुम होना।

गबन।

लेखकों को अनुदान।

वरिष्ठता-सूची।

स्कम्भ

डूंगर कालेज भवन।

आर० ए० एस० अधिकारी।

नया उदयपुर स्कीम–चरणोट।

स्थगित प्रश्न ६६
(२६–८–६३)

अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७२

मैसर्स ठठेरा एकता पंजाबी यूनियन जयपुर वसूली की रकम बट्टेखाते सम्बन्धी राज्य में खोली गई माध्यमिक शाला।

२. आधे–घन्टे की चर्चा ७६

जागीर कमिश्नर के फैसलों के विरुद्ध राजस्व मण्डल में पेश की गई अपीलों की वापसी से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ (२१४/सी० एम०) के उत्तर से (जो दिनांक १८ मार्च, १६६३ को दिया गया था) उत्पन्न मुद्दों पर श्री तेजाराम गहलोत, सदस्य विधान सभा, ने आधे–घन्टे की चर्चा उठायी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप–राजस्व मन्त्री, ने बहस का उत्तर दिया।

स्कम्भ

३. विधायी कार्य

राजस्थान साहूकार विधेयक, १६६३ ८७

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खण्ड ६,८ से ११, १३, १६, २१, २३ तथा खण्ड ३८ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ७, १२, १३ए, १४, १५, १७, १८, १६, १६ए, २०, २०ए, २२, २५, से ३७ एवं खण्ड ३६ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड २४ एवं ४० विलोपित किये गये।

खण्ड ४०-ए पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक रात्रि के ८ बजकर ३५ मिनट पर शुक्रवार दिनांक २० सितम्बर, १६६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक २० सितम्बर, १६६३ की कार्य-सूची

१. जन-लेखा समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन।

स्कम्भ

२. राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति विधेयक, १९६३

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

३. उदयपुर में मेडिकल कॉलेज सम्बन्धी प्रश्न १४७ के उत्तर विषयक आधे घन्टे की चर्चा

स्कम्भ

४. श्री लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय चौथवाड़ी (त० आमेर) सम्बन्धी मामले पर ध्यान आकर्षित करना।

५. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सम्बन्धी तारांकित प्रश्न ६१ए के उत्तर विषयक उठाये गये मामले पर चिकित्सा मन्त्री का वक्तव्य।

६. राजस्थान केनाल क्षेत्र सरकारी भूमि की नीलामी सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२५ का उत्तर देखिए)

DETAILS OF THE COST OF THE FURNITURE ARTICLES SUPPLIED AT THE RESIDENCE OF MINISTERS AND DY. MINISTERS FOR THEIR PERSONAL USE AS ON 17. 9. 63.

S. No.	Name.	Cost of furniture.
1	2	3
	MINISTERS.	₹
1.	Shri Mohan Lal Sukhadia. Chief Minister.	16,959.42
2.	Shri Haribhau Upadhyaya, Education Minister.	6,554.09
3.	Shri Mathura Das Mathur, Home Minister.	206.00
4.	Shri Nathu Ram Mirdha, Agriculture Minister.	5,736.30
5.	Shri Harish Chandra, P. W. D. Minister.	9,560.88
6.	Shri B. K. Kaul, Finance Minister.	7,267.04
7.	Shri Bheeka Bhai, Irrigation Minister.	6,602.60
8.	Shri Barkatullah Khan, Health Minister.	6,771.44
	DEPUTY MINISTERS.	
1.	Shri Daulat Ram,	3,864.12
2.	Shrimati Kamla Beniwal.	6,485.62
3.	Shrimati Prabha Misra.	6,078.37

1	2	3
4.	Shri Paras Ram Maderna.	5,530.45
5.	Shri Bhawani Shanker Nandwana.	6,440.37
6.	Shri Ram Prasad Ladha.	5,525.94
7.	Shri Chandan Mal Baid.	Nil
8.	Shri Dinesh Rai Dangi.	6,334.16
9.	Shri Niranjan Nath Acharya.	580.54
10.	Shri Bhim Singh.	Nil

List Showing the cost of furniture articles manufactured for the residences of Ministers and Duputy Ministers during the year 1962-63.

S. No.	Name.	Cost of furniture manufactured.
1	2	3
	MINISTERS.	
1,	Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister.	1,382.00
2.	Shri Haribhau Upadhyaya, Education Minister.	881.00
3.	Shri Mathura Das Mathur, Home Minister.	287.85
4.	Shri Nathu Ram Mirdha, Agriculture Minister,	429.11
5.	Shri Harish Chandra, P. W. D. Minister.	65.00
6.	Shri B. K. Kaul, Finance Minister.	9,254.94
7.	Shri Bheeka Bhai, Irrigation Minister.	606.48
8.	Shri Barkatullah Khan. Health Minister.	845.80
	DEPUTY MINISTERS.	
1.	Shri Daulat Ram.	74.00
2.	Shrimati Kamla Beniwal.	2,960.29
3.	Shrimati Prabha Misra.	513.80
4.	Shri Paras Ram Maderna.	1,232.55

1	2	3
5.	Shri Bhawani Shanker Nandwana.	1,603.92
6.	Shri Ram Prasad Ladha.	1,461.00
7.	Shri Chandan Mal Baid.	Nil.
8.	Shri Dinesh Rai Dangi.	1,457.03
9.	Shri Niranjan Nath Acharya.	465.44
10	Shri Bhim Singh.	Nil.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२६ का उत्तर देखिए)

LIST SHOWING THE DETAILS OF SALES EFFECTED BY THE PIGMENT MILLS OF BHARATPUR.

1/ M/ S. Indo Pigments.

	Name of the party.		Quantity Sold.
1.	M/S. C. A. Glass Works	Firozabad	80 Kg.
2.	„ Amrit Glass Works,	„	40 Kg.
3.	„ Sadgi Glass Works.	„	34 Kg.
4.	„ Central Glass Works	„	20 Kg.
5.	„ Sadgi Glass Works	„	50 Kg.
6.	„ Indo Commercial Corp.	„	20 Kg.

2. M/S Rajasthan Pigments.

1.	M/S Advance Glass Works,	Firozabad.	3000 Kg.
2.	„ Orient Glass Works,	„	3000 Kg.
3.	„ Shankar Chemical Works,	„	10000 Kg.
4.	„ G. N. Glass Works,	„	4000 Kg.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ का उत्तर देखिये)

NOTE

Bhooswamies feeling dissatisfied with the meagre payment of compensation appealed to the State Government and to the Prime Minister of India for intervention in the matter. Complaint of those people was that while payment of this meagre compensation for resumption of their Jagirs, the Government did not consider their grivances whereby the wells constructed at their expenses in the Jagir land were taken over by the tenants who acquired Khatedari rights. They also pleaded that the Government assessed the rental income of their Jagirs after resumption for purpose of determining their gross income on the basis of settlement rates, which were deliberately kept low.

The Prime Minister of India appointed a Committee of Senior Civil Officers of the Planning Commission to examine this matter and to report to him. He heard the Bhooswamies and gave his award.

4 Jagirdars of the Salami Tract, District Barmer namely Rana Pratapsingh of Guna, Rawal Amarsingh of Jasol, Rawal Gulabsingh of Sindri and Rawal Madhosing of Jasolfiled writ applications before the High Court questioning the propriety of assessment of the rental income on the basis of revised settlement rates and challanging the amendment made by the Government of Rajasthan in the Jagir Act.

As a result of mediation and compromise the State Govt. agreed to pay Rs. 2,25000/- as compensation on account of hardship caused to the settlement operations in their income, in accordance with the Nehru Award on this conditions. that they may withdraw their writ applications. These Jagirdars were obviously paid this exgratis compensation out of the provisions of 15 lacs recommended ln the Nehru Award. The four Jagirdars referred to above

were given compensation and rehabilitation grant on the basis of the following income etc:—

S. No.	Name of Jagirdar and his Jagir.	Revenue income.	Income from other sources.
1.	Rawal Shri Amarsingh of Jasol	9449.82	31771.50
2.	Rana Shri Pratapsingh of Gudha	95054.16	53398.38
3.	Shri Madhosingh of Jasol	16574.49	45321.50
4.	Shri Gulabsingh of Sindhari	19415.09	31430.00

परिशिष्ट ४

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ८३० का उत्तर देखिए)

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक ३१–१–६३ का प्रमुख विषय ,

१. गत दिनांक १४–६–६१ की साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना ।

२. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत वर्ष १९६०–६१ व वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट का अवलोकन करना तथा उपरोक्त वर्षों का संतुलन चित्र व लाभ-हानि के आंकड़ों का स्वीकार करना ।

३. संचालक मण्डल के सुझावानुसार, लाभ-वितरण की स्वीकृति प्रदान करना ।

४. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तुत वर्ष १९६२–६३ के बजट को स्वीकार करना ।

५. वर्ष १९६२–६३ के लिये बैंक की अधिकतम ऋण–सीमा निर्धारित करना ।

६. संचालक मण्डल के यात्रा-व्यय नियमों की स्वीकृति देना ।

७. बैंक के वर्तमान उपनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन की स्वीकृति प्रदान करना ।

८. वर्तमान नियमों के अन्तर्गत रिटायर्ड एवं रिक्त स्थान हेतु संचालक मण्डल के तीन सदस्यों (सहकारी समितियों) का चुनाव करना । इस वर्ष २ सदस्य श्री रैणूमल सिंह व श्री हरदेवाराम स्वेच्छा से रिटायर्ड हो रहे हैं तथा १ स्थान संशोधित नियमों के अनुसार रिक्त हुआ है । जो औद्योगिक सहकारी समितियों के लिये नियत है ।

९. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३१ का उत्तर देखिए)

नाम हाथीदांत	अफ्रीका की दर प्रति किलो रुपयों के हिसाब से।	जयपुर की दर प्रति किलो रुपयों के हिसाब से।
१–मोसम्बी चट्टा पाली १–१८ – २० मोरी १६	४३.२२	७६.१६
२–मंडिया चट्टा १५–१६ मोरी १४	३६.११	६७.८७
३–मोसम्बी चट्टा पाली २–१७–१७ मोरी १४	३६.२६	७६.६६
४–मोसम्बी मंडिया १३–१४ मोरी १०	३३.६०	६६.२६
५–जाड़ी बार १६–१७ मोरी १४	३२.८२	६२.०७
६–बेबी टस्क १० पौंड तक	३१.५६	६२.१३
७– " " १० पौंड से २० पौंड तक	३३.६०	६०.२८
८– " " २० पौंड से ३० पौंड तक	३३.६०	५७.५६

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति, तारानगर द्वारा पशु फार्म खोलने के लिए दिये गये ऋण की सूची :--

क्र०सं०	नाम	ऋण देने तारीख	ऋण की राशि	वसूली संबंधी कार्यवाही का विवरण	वसूल हुई राशि
१	२	३	४	५	६
१.	श्री मदनमोहन वल्द रामजीलाल, तारानगर	६-८-६०	३,०००)	पैनल इन्ट्रेस्ट सहित एक मुश्त वसूली की कार्यवाही की मांग तहसील कार्यालय में भेज दी गई।	३८०)
२.	श्री केशराराम वल्द रामला, वासपिथाना	१०-१०-६०	३०००)	" " " " " " " " "	३०००)
३.	श्री रामकुमारसिंह वल्द किशनसिंह, मिखाला	२६-८-६०	३०००)	" " " " " " " " "	२३००)
४.	श्री डूंगरराम वल्द गनेशाराम, मिखाला	२६-८-६०	३०००)	" " " " " " " " "	—
५.	श्री करणीसिंह वल्द मेहताबसिंह, अलायला	६-८-६०	३०००)	" " " " " " " " "	३८८)
६.	श्री मानसिंह वल्द बलवन्तसिंह, अलायला	६-८-६०	३०००)	" " " " " " " " "	४३१)
७.	श्री गणपत नाथ वल्द मोमननाथ, पूनरास	३१-१-६१	३०००)	" " " " " " " " "	—

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
८.	श्री बहादुरसिंह वल्द रूपसिंह, कालास	४-५-६१	३०००)	किश्त से वसूली को कार्यवाही की मांग तहसील कार्यालय, तारानगर में भेज दी गई	३००) प्रथम किश्त
९.	श्री हेमराज वल्द मानीराम, आनन्दसिंहपुरा	९-५-६१	३०००)	" " " " " " " " "	३००) " "
१०.	श्री चानणराय वल्द पेमाराम, साइवा	११-५-६१	३०००)	पैनल इन्ट्रेस्ट सहित एक मुश्त वसूली की कार्यवाही की मांग तहसील कार्यालय में भेज दी गई।	२६००)
११.	श्री तेजदानसिंह वल्द रुघदानसिंह, लूणास	११-५-६१	३०००)	" " " " " " " " "	—
१२.	श्री चुन्नीराम वल्द देवाराम, देवगढ़	३-५-६१	३०००)	" " " " " " " " "	३०००)
१३.	श्री केशराराम वल्द अन्नुराम, गाजूवास	२९-५-६१	३०००)	" " " " " " " " "	१६१०)
१४.	श्री जगमालसिंह वल्द पनजी, रायपुरा	२४-७-६१	३०००)	" " " " " " " " "	१५००)
१५.	श्री तेजसिंह वल्द मगनसिंह, कालास	१९-७-६३	३०००)	—	ऋण अभी दिया गया है।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ का उत्तर देखिए)

परिशिष्ट क

क्र० सं०	नाम समिति जो फरोक्त की गई	कब फरोक्त की गई।	कितनी कीमत में फरोक्त की गई .... बेचने की कीमत	किस प्रकार फरोक्त की गई।	क्या रजिस्ट्रार तथा सदस्यों की आवश्यक स्वीकृति पहिले प्राप्त कर ली थी ।
१	२	३	४	५	६
१	निर्माण का सामान ए०सी०शीट, बल्ली, काले पाइप इत्यादि	१९५६	१२, ७६६) रु०	नीलाम से	इसकी आवश्यकता नहीं थी।
२-	बिजली का सामान (ए० सी० मीटर, वायर स्विच, कट आउट इत्यादि)	,,	८, ४५५) रु०	,,	,,
३-	निर्माण का सामान	१९५८	२३०) रु०	खरीद की हुई कीमत पर	
४-	ई क्लास क्वार्टर	१९६०-६१	१, २८, ८०६) रु०	सरकार की स्वीकृति से	
५-	निर्माण का सामान	,,	३, ८०४) रु०	सौदे से (नेगोशियेशन से)	
६-	बिजली का सामान	,,	१, ३८६) रु०	,,	,,
७-	अन्य स्टोर्स का सामान	,,	१३, ८५७) रु०	,,	,,

परिशिष्ट ख

१–	सी क्लास प्लाट	३८६	
२–	ई क्लास प्लाट	६४६	
३–	डी क्लास प्लाट	६००	
४–	अन्य भूमि २५५ बीघा		
५–	सी क्लास बिल्डिंग	१५	८६,३५६.००
६–	इन्डस्ट्रियल बिल्डिंग	२	१२,५४१.००
७–	ई क्लास बिल्डिंग	१४६	३,६४,६३२.००
८–	एफ क्लास बिल्डिंग	१८	१८,१५३.००
६–	गेरेज ए क्लास	१४	२४,३७१ ००
१०–	हरिजनों की झोपड़ियें	–	२,७६५.००
११–	सी क्लास बाजार (अधूरा)		४८,५००.००
१२–	ई क्लास बाजार	२०६	८४,६१७.००
१३–	शेड		१३,००८.००
१४–	बस स्टेन्ड	२	४,६२४.००
१५–	श्मशान की जमीन		१,७१६.००
१६–	जवाहर पार्क	१	१७,५६१.००
१७–	प्लांट मशीनरी, स्विच बोर्ड इत्यादि		१,२५,३०३.००

परिशिष्ट ८

समयाभाव के कारण न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के प्रश्नोत्तर

इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स

८४४. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में कहां और कब-कब से इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स स्थापित करने की घोषणा की गई है ?

(२) प्रत्येक इन्डस्ट्रियल एस्टेट में कितने शेड्स हैं ?

(३) शेड्स के अलॉटमेन्ट के क्या नियम हैं ? कृपया उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या विभाग की ओर से कभी यह जांच की गई है कि इ० सी० के अनुसार इम्पोर्ट होने वाला माल वास्तव में इन शेड्स में आ गया है, और वहां काम आ रहा है ? यदि हां, तो इस जांच में यदि कोई खामियां पाई गई हों तो वह बताई जावें ।

उत्तर

(१) सूची संलग्न है । नीति में परिवर्तन के कारण सूची में दी गई अन्तिम २८ जगहों पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स स्थापित करना कैन्सिल कर दिया गया ।

(२) शेड्स की संख्यायें इस प्रकार हैं:—

जयपुर (६४), पाडूपुरा (३०), भीलवाड़ा (४०), जोधपुर (२८), गंगानगर (४४), कोटा (४४), भरतपुर (२६), उदयपुर (११), सुमेरपुर (३२), बीकानेर (१८), अलवर (१०), पाली (१६) ।

(३) अलॉटमेंट के नियम :—

राजस्थान इन्डस्ट्रियल एस्टेट (अलॉटमेन्ट आफ शेड्स) रूल्स, १९६१-राजस्थान राज-पत्र सप्लिमेन्टरी नं० ७ दिनांक १७-५-६२ भाग ४ सी० में प्रकाशित हो चुके हैं ।

(४) विभाग से आज्ञा दी जा चुकी है कि माल शेड्स में जाने के पश्चात् मैनेजर इन्डस्ट्रियल एस्टेट द्वारा इसकी जांच की जाकर माल की खपत से आदेश दिये जाय और पार्टीज से युटिलाइजेशन रिपोर्ट मांगी जाय । अगर कोई स्पेसीफिक केस शिड्यूल का चलाया जावे तो और जांच की जा सकती है ।

इन्डस्ट्रियल एस्टेटस् की सूची

१.	जयपुर	१९५७–५८
२.	भादूपुरा	१९५८–५९
३.	भीलवाड़ा	,,
४.	जोधपुर	,,
५.	गंगानगर	,,
६.	कोटा	,,
७.	भतरपुर	१९५९–६०
८.	उदयपुर	,,
९.	सुमेरपुर	१९६०–६१
१०.	बीकानेर	,,
११.	अलवर	,,
१२.	पाली	,,
१३.	धौलपुर	,,
१४.	गंगापुर	,,
१५.	ब्यावर	१९६१–६२
१६.	बूंदी	,,
१७.	सीकर	,,
१८.	टौंक	,,
१९.	चूरू	,,
२०.	डूंगरपुर	,,
२१.	नीम-का-थाना	१९६२–६३
२२.	आबूरोड	,,
२३.	हनुमानगढ़	,,
२४.	निम्बाहेड़ा	,,
२५.	बारां	,,
२६.	बांसवाड़ा	१९६३–६४
२७.	रामगंजमन्डी	,,
२८.	सुजानगढ़	,,

२९. नागौर	१९६३–६४
३०. दौसा	,,
३१. झुन्झुनूं	१९६४–६५
३२. मकराना	,,
३३. रतनगढ़	,,
३४. झालावाड़ (भवानीमन्डी)	,,
३५. सवाईमाधोपुर	,,
३६. पिलानी	१९६५–६६
३७. सोजत	,,
३८. सिरोही	,,
३९. भादरा	,,
४०. सूरतगढ़	,,

एक्वायर की गई सम्पत्ति

८४५. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि भूतपूर्व जोधपुर सरकार द्वारा तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर के हुक्म दिनांक १२-७-४३ व हुक्म नं. ८८९७ दिनांक १०-८-४३ के द्वारा सोजत नगर में अस्पताल जानेवाली सड़क पर दो दूकानें व एक प्याऊ एक्वायर की गई थीं व रुपये १,७६३) का चैक भी हाकिम सोजत के नाम भेज दिया गया था ?

(२) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व जोधपुर सरकार के आदेश इजलासेखास नं. ए. एम. २२।४२:४३।७३६ दिनांक २३-१-४८ के द्वारा दुकान के एक्वीज़ीशन के हुक्म को कायम रखते हुए मुआवजा रु० ६६) बढ़ाया गया जो नगरपालिका सोजत द्वारा जिलाधीश पाली के आदेशानुसार तहसील सोजत में जरिये चैक नं. ०६३५२३ दिनांक १२-८-५७ को जमा करा दिये गये ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त दुकानों व प्याऊ अस्पताल के रास्ते में मोड़ पर होने की वजह से पब्लिक इन्ट्रेस्ट में ही एक्वायर की गई थीं व जिलाधीश पाली ने भी स्वयं ने मौका देख कर एक्वायर की गई प्रापर्टी को डिसमेन्टल करने की सिफारिश कमिश्नर को की ? यदि हां, तो कब, व कमिश्नर ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(४) एक्वीजीशन होने के बाद से, यानी १२-७-४३ से अब तक उक्त दूकानों पर

कब्जा किसका है व एक्वायर होने के बाद अब तक उक्त आदेशों को पालन न करने का क्या कारण है ?

(५) क्या उक्त प्रोपर्टी एक्वायर होने के बाद उसके भूतपूर्व मालिक को उसे उपभोग करने का कोई कानूनी हक रहता है ? यदि नहीं, तो उपभोग करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(६) दिनांक १२-७-४३ की आज्ञा के जरिये एक्वायर की हुई जमीन उक्त आज्ञा के अनुसार भूतपूर्व मालिकों से छुड़ा कर डिसमेन्टल कर सार्वजनिक रास्ते पर जो कि अस्पताल की ओर जाता है होने वाली बाधा को कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा वर्ष १९४३ में एक प्याऊ व दो दूकानें सोजत नगर के अस्पताल जाने वाली सड़क पर अवाप्त की परन्तु जो स्वीकृति क्रमांक ८८६७। दिनांक १०-८-४३ के अन्तर्गत जारी की गई, प्राप्त न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त प्याऊ व दो दूकानें किसलिये अवाप्त की गई थीं। अवाप्त की गई एक प्याऊ व दो दूकानों के मालिकों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में भूतपूर्व जोधपुर राज्य के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, निर्माण विभाग ने अपने पत्र दिनांक २२-१-४४ के द्वारा १,७६३ रुपये का एक चैक नम्बरी १५३।१५२१२ दिनांक १७-१-४४ हाकिम सोजत को भिजवाया था। श्री गौतमदास ने जो कि एक दुकान के मालिक हैं, इजलास खास जोधपुर में अपील की जिसका निर्णय दिनांक २३-१-४८ को हुआ और निर्णयानुसार उन्हें ६६) रुपये मुआवजे के रूप में और देने रहे। नगरपालिका, सोजत ने वर्ष १९५७ में ६६) रु० का एक चैक जमा करा दिया। प्याऊ की अवाप्ति के मुआवजे के ४००) रु० श्री नाहरमल को दे दिये गये परन्तु शेष दो मालिकों को मुआवजा देने सम्बन्धी प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। दो दुकानों में से एक दुकान पर कब्जा अभी तक श्री गौतमदास का ही है, दूसरी दूकान के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है कि कब्जा किनका है।

दोनों दूकानों के मालिकों को मुआवजा देना व दूकानों पर कब्जा करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

आर्थिक विकास की सम्भावना का सर्वे

८४६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा राजस्थान के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का सर्वे कराया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अनुसन्धान की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार यदि औद्योगिक प्रगति के लिए स्थानीय साधन और अन्य उपयोगी बातों का उचित उपयोग करे तो राजस्थान आर्थिक विकास की पहल कर सकता है ?

(३) क्या सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी पंचवर्षीय योजना में अपनाये गए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उक्त रिपोर्ट जिसका इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है वह निम्न प्रकार है :

"Though Rajasthan is presently in a stage of low level of economic development, the State can look forward to an era of economy growth which will endow substantial prosperity to the local economy and raise the levels of living of its people by a marked degree. This optimism is warranted by the availability of local resources, locational advantages for industrial development enjoyed by the state in the Northern Region and the relatively low population pressure. Unlike other states, Rajasthan is not likely to experience any serious shortage of capital for the establishment of industries in the private sector as Rajasthan is the home of several top industrilists of the country, and they are deeply interested in the industrial development of the State.

The National Council has carefully examined the available potentiality for future development in various fields. After making a detailed scrutiny of these resources and taking into consideration the All-India targets, guide-lines of development have been suggested for Rajasthan for the decade 1961-71. These develepments would require approximately an investment of Rs. 1,500 crores during the decade, averaging to Rs. 150 crores per annum".

(३) यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार राज्य के औद्योगिक विकास के लिये योजना तैयार करने के प्रश्न पर राज्य सरकार को तीसरी योजना काल के शेष वर्षों में तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के दौरान उपलब्ध कुल साधनों को तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों को अन्य विकास-कार्यक्रमों की अपेक्षा कितनी प्राथमिकता दे, इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में जो सुझाव दिये है उनका चौथी योजना बनाते समय पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा।

पटेलाई के लिये प्रार्थना-पत्र

८४७. **श्री बालूराम चौधरी** (फतेहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर जिले की फतेहपुर तहसील एवं लक्ष्मणगढ़ तहसील में सन् १९६०-६१ व ६१-६२ में कितने व्यक्तियों ने पटेलाई (लम्बरदारी) प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र दिए ?

(२) उक्त प्रार्थियों में से कितनों को पटेलाई दी गई ? कितने प्रार्थियों ने संबंधित उच्च अधिकारियों को अपील की ? कितनों की अपील स्वीकृत हुई ? पटेलाई के कितने मामले अभी चालू हैं ?

(३) क्या सरकार की नीति पटेलाई को चालू रखने की है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सन् १९६०-६१ में फतहपुर तहसील में ३३ और लक्ष्मणगढ़ तहसील में १७३ और ६१-६२ में फतेहपुर तहसील में ४४ और लक्ष्मणगढ़ तहसील में ४१ व्यक्तियों ने पटेलाई के लिये प्रार्थना-पत्र दिए।

(२) ५२ व्यक्तियों को फतेहपुर तहसील और ७३ व्यक्तियों को लक्ष्मणगढ़ तहसील में पटेलाई दी गई। फतेहपुर तहसील के ११ और लक्ष्मणगढ़ तहसील के ८ प्रार्थियों ने उच्च अधिकारियों को अपील की। फतेहपुर तहसील की ९ और लक्ष्मणगढ़ तहसील की ८ अपीलें स्वीकृत हुई। पटेलाई के कुल ७ मामले फतेहपुर तहसील के और ४ लक्ष्मणगढ़ तहसील के अभी चालू हैं।

(३) जी नहीं। लम्बरदारी प्रथा को समाप्त करने की कार्यवाही जारी है।

विमान यात्रा पर व्यय

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६१-६२ में मंत्रियों ने विमानों द्वारा यात्रा में कुल कितने रुपये खर्च किये ?

परिशिष्ट

(२) यह खर्च किस किस मन्त्री द्वारा कितना कितना किया गया इसकी विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें।

उतर

(१) कुल रु० ६५६५. ६४ न. पै. खर्च किये।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

Statement showing the expenditure incurred on travel by air in respect of the Ministers and Dy. Ministers for the year 1961-62, (Financial Year).

	Rs.
1. Shri Mohan Lal Sukhadia, Chief Minister.	2,113.91
2. Shri Hari Bhau Upadhyaya, Minister for Finance now Education Minister.	1,014.94
3. Shri Nathu Ram Mirdha, Agriculture Minister.	471.99
4. Shri Bheeka Bhai, Irrigation Minister.	66.94
5. Shri Barkatullah Khan, Dy. Minister now Health Minister.	353.76
6. Shri Ram Kishore Vyas, Ex-Home Minister.	385.06
7. Shri Damodar Lal Vyas, Ex-Revenue Minister.	1,903.22
8. Shri Badri Pd. Gupta, Ex-Health Minister.	1,286. 70
6. Shri R. C. Dhariwal, Ex-Minister for Industries.	849.58
10. Shri R. C. Chaudhari, Ex-Minister for E. & T.	119.44
11. Shri P. C. Vishnoi, Ex-Dy. Minister.	1,030.10
	Rs. 9,595.64

पंचायत भवन-निर्माण

८४८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत भवन महाजन (तहसील लूणकरणसर) का निर्माण किस वर्ष किया गया तथा उस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(२) उपरोक्त पंचायत भवन की ईंटें कहां से खरीदी गईं तथा किस-किस रेट से खरीदी गईं ? तथा भवन पर कितनी ईंटें लगीं ?

उत्तर

(१) निर्माण-कार्य जून, १९६० में आरम्भ हुआ व फरवरी, १९६२ में सम्पूर्ण हुआ। कुल ४,६७४.०२ नये पैसे का व्यय हुआ।

(२) १५००० हजार ईंटें ३८) रु० प्रति हजार की दर से श्री किशनलाल मूंदड़ा निवासी सूरतगढ़ से व ११,५०० ईंटें ३९) रु० प्रति हजार की दर से श्री हीरालाल रतनलाल कोठारी निवासी सूरतगढ़ से खरीदी गईं। कुल ईंटें २६,५०० लगीं।

सरकारी फाइल्स का गुम होना

८५०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पिछली विधान सभा में भीलवाड़ा माइनिंग इंजीनियर के कार्यालय से कुछ सरकारी फाइल्स के गुम हो जाने के मामले पर चर्चा हुई थी और उस पर सरकार द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था।

(२) यदि हां, तो कितनी फाइल्स का गुम होना पाया गया और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जांच के परिणामस्वरूप निम्न ३ फाइलें खनिअभियन्ता भीलवाड़ा के कार्यालय में अभी तक नहीं मिली हैं:—

१. मैसर्स पी० पी० सिंघल के कायनाइट मिनरल रिटर्न्स से सम्बन्धित फाइल।

२. फाइल संख्या ४ अनआॅथोराइज्ड वर्क मैसर्स अशोका मिनरल्स द्वारा किये जाने के संबंध में

३. फाइल अनअोथोराइज्ड वर्क मैसर्स विजय माइका वर्क द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में।

इनके अलावा निम्नलिखित फाइलों में से कुछ कागजात गायब हैं, यद्यपि फाइलें मौजूद हैं।

(अ) पी० एल० फाइल श्री रामकरण शर्मा।

(ब) एम० एल० फाइल श्री सुरेन्द्रराज मेहता।

(स) सी० एल० फाइल मैसर्स अग्रवाल माईनिंग वर्क्स।

मैसर्स पी० पी० सिंघल की फाइल के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्रसिंह लेखक को दोषी पाया गया जिसके लिये उसका एक ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिया गया था।

श्री रामकरण शर्मा की फाइल में से पार्टी की ओरीजिनल दरख्वास्त गुम होने के सम्बन्ध में श्री रोशनलाल सिंगवी, जो खनिअभियंता कार्यालय में कंसेशन क्लर्क के पद पर काम करते थे जिम्मेदार पाए गए। यह फाइल फैसल हो चुकी है और इसमें कोई कार्यवाही बाकी नहीं रही है। फिर भी चूंकि फाइल उनके चार्ज में थी, अतः उनका ६ महीने के लिए ग्रेड इंक्रीमेन्ट रोक देने का आदेश दे दिया गया है।

बाकी फाइलों के सम्बन्ध में श्री आर० एस० शर्मा जो उस समय खनिअभियंता कार्यालय में माइन्स फोरमेन के पद पर कार्य कर रहे थे, को भीलवाड़ा उनके कथनानुसार जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिये भेजा जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारी निश्चित की जावेगी और सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा दी जावेगी।

गबन

८५१. दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कलमुन्डा, पी. एस. मालपुरा ने सरकारी धन का गबन किया है ? यदि हां, तो गबन की राशि कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि ऑडिट डिपार्टमेन्ट ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि सरपंच ने गबन किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त सरपंच की गिरफ्तारी के आदेश दे दिये थे, परन्तु वह अभी तक डिप्टी एस. पी. मालपुरा द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा १७ (४) के अधीन निलम्बित नहीं किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(१) आडिट रिपोर्ट में रु० ५४७. १२ नये पैसे का गबन बतलाया गया है।

(२) जो गबन बताया गया है उसकी प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(३) जी नहीं।

(४) जांच से गबन साबित होने पर ही धारा १७ (४) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

लेखकों को अनुदान

८५२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

शिक्षा विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में राज्य में किस २ लेखक को किस २ कार्य के लिये कितना २ अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में किसी भी लेखक को ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

वरिष्ठता-सूची

८५३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या नायब तहसीलदारों की वरिष्ठता-सूची तैयार करली गई है ?

उत्तर

जी हां।

डूंगर कालेज भवन

८५४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के नये भवन में विद्यार्थियों के लिये कॉमन रूम, सभा भवन तथा जलपान-गृह का अभाव है ? अगर हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार कब क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि कॉमन रूम के अभाव में खाली पीरियड्स में विद्यार्थियों को बरामदों में खड़ा रहना पड़ता है जिससे कक्षाओं की पढ़ाई में दिक्कत पैदा होती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि विद्यार्थी-समाज ने इस समस्या के तत्काल समाधान के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

उत्तर

(१) हां, यह सही है कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के नये भवन में विद्यार्थियों के लिये कॉमन रूम व सभा भवन का अभाव है। कॉमनरूम तथा जलपान-गृह निर्माणाधीन है।

(२) पुस्तकालय के विस्तार होने से जो छात्र पढ़ना चाहते हैं वे वहां पर चले जाते हैं वहां पुस्तकों आदि के पढ़ने की पूरी व्यवस्था है। जो विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग नहीं लेना चाहते हैं वे अवश्य बरामदों में खड़े रहते हैं इस कारण कक्षाओं की पढ़ाई में विघ्न पड़ता है कॉमनरूम के बन जाने से, यह विघ्न भी हट जायेगा।

(३) कॉमनरूम व जलपान-गृह निर्माणाधीन हैं; तथा करीब ३ माह में पूर्ण हो जावेगा।

आर. ए. एस. अधिकारी

८५५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) आर. ए. एस. के किन-किन अधिकारियों को कब-कब से डिप्टी-डाइरेक्टर डेवलपमेन्ट तथा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट ऑफिसर के पदों पर नियुक्त कर रखा है ?

(ख) इन पदों पर क्या क्या स्पेशल पे एण्ड अलाउन्स मिलता है ?

(ग) इन अधिकारियों का आर. ए. एस. की वरिष्ठता-सूची में कौन-कौन सा नम्बर है ?

(घ) वरिष्ठता-सूची के अनुसार जो आर. ए. एस. अधिकारी सीनियर हैं उनको इन पदों पर क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(क) ऐसे किसी अधिकारी को इन पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

नया उदयपुर स्कीम-चरणोट

२५६. **श्री जोधसिंह** (गिरवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ग्राम मनवाका खेड़ा, गिरवा तहसील (उदयपुर) में चरणोट की जमीन 'नया उदयपुर' स्कीम बनाने के लिये ले रही है ? यदि हां, तो इसी प्रकार सरकार उदयपुर के पास के किन अन्य गांवों की भूमि उदयपुर में मिलाने के लिये एक्वायर करने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार इस चरणोट की भूमि के एवज में पास में जहां भी जंगलात की भूमि है उसको चरणोट की भूमि के लिये छोड़ने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो वहां के जानवरों की चरणोट का क्या प्रबन्ध किया जावेगा ?

उत्तर

(१) ग्राम मनवाका खेड़ा का रकबा मय चरणोट को जमीन के नया उदयपुर निर्माण के प्लान में प्रस्तावित हो चुका है और इसी प्रकार उदयपुर के आस-पास ग्राम एकलिंगपुरा, पानेरीया की सादड़ी, सवीना, खेड़ा, उदयपुर गाडरीवा वास, गोवर्धन विलास, तीतरड़ी का रकबा भी नया उदयपुर–निर्माण के सम्बन्ध में एक्वायर किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(२) जी नहीं। वन विभाग के अधिकार की जमीन में जो घास पैदा होता है वह उसी गांव के बासिन्दगान काट कर अपनी मवैशियों के लिये लाते हैं। वन-विभाग सिर्फ वृक्ष की ही हिफाजत के लिये ही अपना अधिकार किये हुए हैं, इसके अलावा अन्य कोई भूमि नजदीक में चरागाह के लिये देने योग्य उपयुक्त नहीं है।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६४ का उत्तर देखिये)

Statement of pending fixation cases of U. P. S. 1950
R. P. S. 1956 and revised pay scales 1961.

Sl. No	Name of District	U. P. S. 1950	R. P. S. 1956	U. P. S. 1961	Approximate expenditure.
1	2	3	4	5	6
	Jaipur-Ajmer Range, Jaipur				
1.	Jaipur	1	23	2309	10100/-
2.	Ajmer	5	5	1636	3500/-
3.	Bharatpur	3	20	700	25000/-
4.	Sawaimadhopur-Tonk (Karauli)	2	18	701	12000/-
5.	Alwar	3	30	1296	7200/-
	Udaipur-Kota Range, Udaipur				
6.	Udaipur	8	31	1342	30000/-
7.	Chitorgarh	8	13	133	15000/-
8.	Bhilwara	—	43	195	Not available
9.	Dungarpur-Banswara	8	13	1104	10000/-
10.	Kota-Bundi	4	4	1017	10000/-
11.	Jhalawar	2	5	225	3000/-
	Bikaner-Jodhpur Rnage, Jodhpur				
12.	Churu	4	13	306	
13.	Jalore-Sirohi	3	9	672	10000/-
14.	Bikaner	10	15	1382	2466/-
15.	Ganganagar	4	12	831	4000/-
16-	Nagaur	2	2	317	3000/-
17.	Jodhpur-Jaisalmer	—	4	1303	1305

1	2	3	4	5	6
18.	Nagaur	4	3	107	8000/-
19.	Jhunjhunu	—	11	300	6000/-
20.	Pali	1	7	1010	7000/-
21.	Sikar	—	—	427	4000/-

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE ALLOCATIONS OF COPPER & ZINC AND SHEETS & CIRCLES TO UTENSIL MANUFACTURERS SINCE 1960.

IN M. TONS

S.No.	Name of the Party.	April, 60-Sept., 60.				October, 60 - March, 61				April 61 - Sept. 61		October 61- March 62	April, 62- Sept., 1962
		Copper.	Copper Scrap.	Zinc.	Brass Scrap.	Co-pper.	Copper Scrap.	Zinc.	Brass Scrap.	Co-pper.	Zinc.	Sheets and Circles	Sheets and Circles.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bartan Nirman Utpadak Sah., Samiti, Bhilwara.	1.00	—	5.07	–	5.80	1.27	5.75	0.76	7.31	5.00	7.30 (Copper) 5.00 (Zinc)	5.00 (Copper) 3.30 (Zinc)
2.	Kansera Industrial Coop. Society, Govindgarh, Ajmer.	8.19	2.844	2.26	0.798	6.68	2.84	6.70	1.81	8.48	6.70	8.43 (Copper) 6.70 (Zinc)	6.70 (Copper) 4.43 (Zinc)

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Thatera Kansi Pital Tamba, Utpadak Sah., Samiti, Pali.	0.73	0.254	1.04	0.304	0.78	0.25	0.73	0.15	1.25	0.75	2.00	1.30
4.	Jodhpur Thatera Sahakari Samiti, Ghasmandi, Jodhpur.	0.73	0.254	1.04	0.304	—	0.25	0.73	0.88	1.88	0.75	2.00	1.30
5.	Gurunanak Hast-Nirman Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Pitalion ka Chowk Jaipur.	5.39	1.832	7.89	2.337	4.39	1.82	4.36	2.16	6.50	4.25	10.75	7.16
6.	Bartan Utpadak Sahakari Samiti, Nagaur.	1.43	0.508	2.05	0.608	1.00	0.50	1.23	0.73	2.30	1.40	3.75	2.40
7.	Balsheri Bartan Utpadak Sah. Samiti, Sawaimadhopur.	—	1.117	4.60	1.482	-	1.11	0.74	0.74	No Recommedations from the Regional Dy. Director. Hence no allotment.			

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Kasera Bartan Utpadak Sah. Samiti, Kasera Bazar, Udaipur.	0.73	0.254	1.04	0.304	-	-	0.48	0.73		-do-	-do-	
9.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Srimadhopur.	3.23	-	2.05	-	2.22	-	2.15	1.00		-do-	-do-	
10.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti, Ltd., Srimadhopur.		0.254	0.95	0.304	-	0.25	0.83	1.13	1.00	0.50	1.66	1.10
11.	Bartan Utpadak Sah. Samiti Ltd., Udaipur.	-	-	-	-	-	0.25	0.61	0.15	So far no recommendation received from the Regional Dy. Director.			
12.	Nathilal Phoolchand Ganga Mandir, Bharatpur.	0.82	0.279	1.07	0.304	-	0.25	0.73	0.98	1.45	1.00	2.45	1.64
13.	Balmukund Makhanlal Gangamandir, Bhararpur.	0.98	1.016	2.82	1.218	-	1.01	1.72	2.19	4.00	2.25	6,25	4.17

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Nanakchand Bishambar Dyal, Bharatpur.	2.64	0.508	2.82	0.608	–	–	–	–	3.25	2.10	5.35	3.56
15.	Buchimal Ghasiram, Bharatpur.	0.49	0.152	0.69	0.202	–	0.10	0.73	0.05	0.75	0.60	1.35	0.90
16.	Rajasthan Metal Works, Harijan Basti, Bhilwara.	10.58	3.606	15.39	4.572	10.58	3.71	10.45	2.28	13.25	10.23	13.25 [Copper] 10.25 [Zinc]	10.25 [Copper] 6.84 (Zinc)
17.	Abdul Hamid Dholi Dawari, Udaipur.	0.24	0.101	0.43	0.100	–	0.10	0.28	0.74	1.00	0.66	1.66	1.10
18.	Moti Metal Industries, Bhilwara.	0.05	0.152	0.69	0.202	8.35	0.15	5.66	0.10	6.00	5.00	10.00 (Copper) 7.00 (Zinc) 7.00 (Copper)	4.65 (Zinc)
19.	M/s Jain Metal Works, Nagaur.	22.05	5.467	32.92	9.772	22.05	5.46	21.63 German (Silver.)	4.88	27.50	21 63	27.50 [Copper] 21.63 [Zinc] 21.63 [Copper]	14.42 [Zinc]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	F. R. Metal Industries, Ratanara Road, Industrial Area, Jodhpur.	4.23	1.117	6.52	1.422	4.23	1.11	3.80	4.71	3.00 16.00 (German Silver)	11.00	16.00 (C) 11.00 (Z)	11.00 (C) 7.35 (Z)
21.	Gandhi Metal Works, Pali.	14.64	4.574	25.46	6.908	11.07	4.57	14.97	6.45	16.00	11.00 16.00	16.00 (C) 11.00 (Z)	11.00 (C) 7.30 (Z)
22.	Gulab Chand Chandmal Thatera, Sadon Ki Gali, Jodhpur.	2.24	0.101	0.43	0.100	–	0.10	0.25	0.75	1.00	0.66	1.66	1.10
23.	Mangilal-Ramdas Kasera Sadon Ki Gali, Jodhpur.	0.21	0.101	0.34	0.100	–	0.10	0.22	0.71	0.90	0.60	1.50	1.00
24.	Ramlal Badrilal, Dabron ka Kuwa, Jodhpur.	0.21	0.075	0.34	0.100	–	0.07	0.21	0.71	0.88	0.60	1.48	1.00
25.	Madanlal Kesera, Dabron ka Kuwa, Jodhpur.	0.21	0.075	0.34	0.100	–	0.07	0.21	0.71	0.88	0.60	1.48	1.00

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
26.	Ram Ballabh Mangilal Nagaur.	0.40	0.152	0.57	0.202	–	0.15	0.36	0.50	0.75	0.60	1.35			0.90
27.	Rajasthan Metal Rolling Mills, Ist. Area, Jodhpur	11.74	3.962	21.85	3.080	20.00	3.96	17.14	1.54	23.50	16.00	23.50 (C)	16.00 (Z)	16.00 (C)	10.66 (Z)
28.	Kastoori Metal Industries, Jalore.	–	–	–	–	–	–	0.03	6.00	9.00	6.00	9.00 (C)	6.00 (Z)	6.00 (C)	4.00 (Z)
29.	Azad Metal Stores, Bikaner,	–	0.152	0.63	0.202	–	0.15	0.10	0.10	0.50	0.33	–	–	–	–
30.	Jaipur Metal Rolling Mills, Gangori Bazar, Jaipur.	32.98	10.228	47.50	13.200	32.98	10.22	31.98	5.11 (5.00 German S)	40.50	30.00	40.50 (C)	30.00 (Z)	30.00 (C)	20.00 (Z)
31.	A. Mukherji & Co., Nayaghate Road, Jaipur.	42.48	10.700	62.55	17.168	42.48	10.70	41.28	8.58	76.04	51.00	21.00 (C)	14.00 (Z)	14.00 (C)	9.00

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	Laxmi Metal Industries, Johari Bazar, Jaipur.	8.27	2.844	12.73	3.778	20.00	2.84	15.22	1.84	23.50	16.00	23.50 (C) 16.00 (Z) 16.00 (C)	10.66 (Z)
33.	Gyarsilal Gopaldas Thateron ka Mohalla, Jaipur.	1.17	–	–	–	1.00	0.40	1.05	0.42	2.25	1.50	3.75	2.50
34.	Bhagwanlal Bansilal Bhaton-ki-Gali, Sre Deodhi Bazar, Jaipur.	0.88	–	–	–	–	–	–	0.88	1.00	0.66	1.66	1.10
35.	Kishanlal Gulab Chand Alwar.	0.50	–	0.20	–	–	–	0.33	0.50	0.60	0.40	1.00	0.66
36.	Gyarsiram Balabux, Alwar.	1.00	–	0.40	–	1.00	–	0.66	–	1.10	0.75	–	–
37.	Shri Ram Chandra Prakash, Jaipur.	0.05	–	0.02	1.000	–	–	0.03	0.05	0.10	0.07	0.17	0.17
38.	Dwarka Pd. Hari Pd., Jaipur.	0.05	–	0.02	–	–	–	0.03	0.05	0.10	0.07	0.17	0.17

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
39.	Rajas Singh Santh Singh, Ganganagar.	0.98	0.355	1.34	0.406	–	0.35	0.86	1.18	1.60	0.90	2.50			1.66
40.	Deva Ind. Corporation, Ajmer.	5.63	1.930	8.22	2.438	4.63	1.93	5.42	3.33	6.63	5.42	6.63 (C)	5.43 (Z)	6.93 (C)	4.62 (Z)
41.	Shri Krishna Oil & Metal Ind. Srimadhopur.	–	–	–	–	–	–	–	–	2.64	2.50	2.66 (C)	2.50 (Z)	2.52 (C)	1.68 (Z)
42.	Kalyan Sahay Thatera, near Pareek Pathshala, Jaipur.	1.16	0.406	–	–	1.00	0.40	1.04	0.16	1.00	0.66		1.66		1.10
43.	M/s Assomet Industries (P) Ltd., Udaipur.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.00 (C)	6.00 (Z)	6.00 (C)	4.00 (Z)

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखिये)

Names of such departments who have sent NIL report of the question.

Planning Department.

1. Director of Economics & Statistics.

Home Department.

2. Home 'A' Department.
3. Director of Public Relations.
4. Director of Printing & Stationery.
5. Additional Inspector-General of Police.
6. Rajasthan State Roadways.

Education Department.

7. Education Cell-V.

Law Department.

8. Judicial Department.

Legal Affairs Depatment.

9. Legal Remembrancer.

Medical & Public Health.

10. Director of Medical & Public Health.
11. Director of Ayurvedic Department.
12. Principal, S. M. S. Medical College, Jaipur.
13. Principal, R. N. T. Medical College, Udaipur.
14. Principal, S. P. Medical College, Bikaner.

Revenue Depertment.

15. Collector, Alwar.
16. Revenue (C) Department.

Industries & Supply.

17. Director of Industries.

Food & Relief Department.

18. Food Supplies.

Social Welfare Department.

19. Director of Social Welfare.

Labour Department.

20. Labour & Employment Department.

Town Planning.

21. Low & Middle Income Group Housing Scheme.

Names of those departments who have written off amount exceeding Rs. 500/- during 1962- [illegible] per reply received.

1	2	3		4
1.	Collector, Jaisalmer.	Rs.	659.20	On account of land Revenue outstanding against various cultivators whose whereabouts despite of efforts were not found.
2.	The Chief Engineer, PWD. (B&R).	Rs.	3,204.00	Education department of former Bikaner State. The transaction pertains to year 1929 to 1936 no record to verify the same was available.
		Rs.	3178.19	Military Department of former Bikaner State. The amount was on account of services rendered by P.W.D., Bikaner. On the basis of Waiver scheme the claim was not payable by the Defence Department.
		Rs.	664.19	Shri Ghisalal contractor since expired and outstandings proved irrecoverable.
3.	Industries & Mines.	Rs.	1888.00	Regarding Nantamines against Shri Jagdish Singh resident of Baran, in absence of moveable or immoveable property.
		Rs.	9,593.58	

List of those departments who have furnished the reply not as yet, but information is, however, available with the Finance Department (Revenue).

Write off

1	2	3	4
1.	The Chief Conservator of Forest.	Rs. 1924.84	Value of shortage of grass, firewood and charcoal, Forest Deptt., Udaipur.
2.	Dieector of Inustries & Supplies.	Rs. 1000,00	Investment in shares by H. H. Dungarpur in M/s Dalmia Jain Airways ltd., New Delhi due to ts liquidation.
	-do-	Rs. 50,000.00	Investment in shares by H. H. Dungarpur in M/s Adarsh Bima & Co. Ltd, Allahabad. On its having become defunct. Since H. H. Dungarpur was personally indebited to the State Govrnment at the time of merger, the number of shares held by him were accepted at their face value in satisfaction of the debt.
4.	-do-	Rs. 3,00,000.00	Investment in M/s. Ambika Airlines Ltd., Bombay by the former State of Bikaner which went into liquidation due to nationalisation of Air routes and companies assets were not enough.

1	2	3	4
5.	Accountant General Raj., Jaipur	Rs. 20,000.00	Investment held jn M/s. Segal Air Transport Ltd., Delhi which was declared as defunct under sec. 566 (3) of the Companies Act and there being no assets.
6.	Loans & Advances.	Rs. 8,12,807.94	Temporary loans and advances - irrecoverable written off.

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर देखिए)

District-wise list of primary schools raised to middle standard during 63-64.

Jodhpur-Bikaner Range

1	2
Bikaner District	Napasar (Girls)
Churu District	Somasi
	Dhani Asha
	Naya Bas Sujangarh
	Tamba Kheri
	Charwas (Girls)
Ganganagar District	Ladhuwala
	Chak Bhagsar
	Dhandhela
Barmer District	Magna ki Dhani
	Padru
	Rawatsar
Pali District	Siryari
	Khiwandi
	Sojat Rd. (Girls)
	Sumerpur (Girls)
Jalore District	Jhab
	Dayalpura
	Dungari
Sirohi District	Kachholi

1	2
Nagaur District	Gudha Salt
	Kyamsar
	Merta City (Urban)
	Parli Kalan
	Koliya (Girls)
Jaisalmer District	Mohangarh
Jodhpur District	Kuri
	Pandit-ji-ki-Dhani
	Feench
	Banasar
	Shahpura (Jodhpur Girls)
	Pipar City (Girls)

Total Jodhpur-Bikaner Range—32 (7 Girls)

Udaipur-Kota Range:—

Banswara District	Panchalwasa
	Tambesara
Dungarpur District	Sagwara (Urban)
	Ghata ka Gaon
	Dhasor
	Pardaitiwar
Chittorgarh District	Rawat Bhata
	Kotri
	Kakarwa
	Bambori
Bhilwara District	Lohari Kalan
	Sargaon

1	2
	Bhimganj (Urban)
	Chandras
	Potalan (Girls)
	Mandalgarh (Girls)
	Bijoliyan (Girls)
Bundi District	Bansi
	Dabi
Udaipur District	Balochistan Colony (Urban)
	Ahar
	Majira
	Tal
	Babrana
	Binol
	Bhatyani Chhota (Urban
	Delwara (Girls)
Jhalawar District	Richwa
	Kanwara
	Gangdhar (Girls)
	Sunel (Girls)
Kota District	Badgaon
	Katwar
	Raithal
	Sund Lock
Total Udaipur Kota Range 35 (6 Girls)	
	Jaipur-Ajmer Range:-
Jhunjhunu District	Mandrelald
	Udamandi

1	2
	Dhamora
	Khudania
	Kakora
	Bharu
	Poonkh
	Gotra
	Jabbasar
	Ked (Taken Over)
Sikar District	Mauda Kalan
	Sihot Badi
	Asapura
	Ramgaah (Urban)
	Sri Madhopur (Urban)
	Mangloona
	Roopgarh (Girls)
Ajmer District	Bajta
	Budhwara
	Fatehgarh
	Ramnagar (Urban)
Bharatpur District	Kishan Kund
	Katra Nadbai (Urban)
	Barnetha
	Siras
	Pahari (Girls)
Karauli District	Piloda
	Ratan Zila
	Bonli (Girls)
Tonk District	Raholi
	Pahari

1	2
Alwar District	Jaisingh (Taisingh)
	Jamdoli
	No. 6 Alwar (Urban)
	Govindgarh Girls
Jaipur District	Ladana
	Panchhadala
	Kishanpura
	Mundia Ramsar
	Badi Jodha
	Jajen Kalan
	Phagi (Girls)

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६	४	क्य	क्यों
,,	१४	ारा	द्वारा
८	१८	चौहन	चौहान
१०	अन्तिम से ३	हर	पर
१२	१६,१८ व १६	रेफ्रीजेरटर्स	रेफ्रीजरेटर्स
१४	६	वेंद)	वेंद)
१७	१८	आर्ब्रिटेटर	आर्बिट्रेटर
१६	शीर्षक	१६ अगस्त,	१६ सितम्बर
३०	अन्तिम से ७	घोषणा	घोषणा
३३ से ३६ तक	शीर्षक	१६ सितम्बर	१६ सितम्बर
४४	५	हें	हैं
४६	३ व ४	श्री अध्यक्ष	—
५०	३	व ल	वसूल
	५	जिल ाधीश	जिलाधीश
,,			रिश्वत
५१	२२	रश्वत	
५२	१६	विधान	विधान सभा
५४	अन्तिम से ५	शकायते	शिकायतें
५५	१०	जसके	जिसके
,,	११	करप्सन	करप्शन
,,	१५	सीट	शीट
,,		कैंसल	कैंसिल
५६	२१		
५८	६	सहकारिता	सहकारिता
६१ से ६४ तक	शीर्षक	— १६ अगस्त	— १६ सितम्बर
६१	६	ठेन्डर्स	टेन्डर्स
६२	१६	श्री सतींशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र

(२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६२	२३	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
६३	शीर्षक	अल्पकाल सूचना –१९ सितम्बर, ६३ स्थगित प्रश्न	अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर–१९ सितम्बर, ६३ अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर
७१ से ७२	शीर्षक	स्थगित प्रश्न – १९ सितम्बर, ६३ अतारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्न–१९ सितम्बर, ६३–स्थगित प्रश्न
७३	२३	द्वितिय	द्वितीय
७४	७	नई	नये
७५	शीर्षक	आधे घंटे का – १९ सितम्बर, ६३ – वाद-विवाद	अतारांकित प्रश्नोत्तर–१९सितम्बर, ६३– आधे घन्टे का वाद-विवाद
,,	शीर्ष	श्र ी रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
,,	८	अभ न ह	अभी नहीं
७९ से ८२ तक	शीर्षक	कमिश्नर	कमिश्नर के
९५	शीर्षक	विधेयन	विधेयक
१००	१३	श्री सम्पतिलाल	श्री स[illegible]तलाल
१११	स्कम्भ	१ १	[१११
,,	अन्तिम से ४	श्री सम्मतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
,,	शीर्षक	जस्थान	राजस्थान
१४६	२५	क्लाँ	क्लॉज़
१४९	शीर्ष	लड्डा)	लड्ढा)
१५२	अन्तिम से २	oays,	days.
,,	अन्तिम से ३	woras.	words
१५३	२५	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
१६०	१२	वीकार	स्वीकार
,,	१३	पश्च	पश्चात)
१६४	१७	Moneya lender	money lender
१७९	१५	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
१८६	८,१५,२१	,, ,,	,, ,,
१९२	अन्तिम से ६	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
१९६	९	नेरारवा	ने रखा
२०३	शीर्षक	–१० सितम्बर	–१९ सितम्बर
२१०	२१	I t	It
२१२	१४	लड्डा	लड्ढा

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२१४	६	thecourt	the court
२१०	अन्तिम	लडढा	लड्ढा
२२५	१४	(वराम)	(विराम)
२३०	८	सकते	सकते हैं और
२३६	१२	i n	in
२४१	८, १२	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
२५६	अन्तिम से ३	लडढा	लड्ढा
२६६	स्कम्भ	[२३६	[२६६
२७४ से २७७ तक	शीर्षक	——	परिशिष्ट
२७८	,,	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
२७६	६	२४, ३७१००	२४,३७१.००
२६१	५	श्री जोर्घसिह	श्री जोर्घसिह